वार्षिक रिपोर्ट

2014 - 2015

पवन हंस लिमिटेड

(पूर्ववर्ती पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड)

हमारा लक्ष्य

हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन सेवाओं में एशिया का मार्केट लीडर बनना, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट परिचालनों द्वारा क्षेत्रीय संपर्कता उपलब्ध कराना तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हेलीकॉप्टर की मरम्मत/ओवरहॉल संबंधी सुविधाएं प्रदान करना।

तालिका

- निदेशक मंडल 4
- प्रबंध समूह 5
- सूचना 6
- सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश 9
- निदेशकों की रिपोर्ट 15
- प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 35
- मुख्य वित्तीय अंश 41
- संक्षिप्त लेखे 43
- वर्ष के खाते 45
- नकदी प्रवाह विवरण 90
- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर 92
- भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 113
- साचिविक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 114
- संबंधित पार्टी लेन देन 117
- नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना / गतिविधि 118
- वार्षिक विवरणी का सार 119

निदेशक मंडल

डॉ॰ बी॰ पी॰ शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मणि सथियावथी
नागर विमानन महानिदेशक

श्रीमती गार्गी कौल
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता
नागर विमानन मंत्रालय

श्रीमती उषा पाधी
संयुक्त सचिव,
नागर विमानन मंत्रालय

ए वी एम ए. एस. बुटोला
ए सी ए एस (ऑप्स एवं टी एवं एच)
वायु सेना मुख्यालय

टी॰ के॰ सेनगुप्ता
निदेशक (ऑफ शोर)
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि॰

प्रबंध समूह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	डॉ. बी. पी. शर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री केशव राव, भा. दू. से.
कार्यपालक निदेशक (व्यापार विकास एवं विपणन)	श्री संजीव बहल
संरक्षा प्रमुख	श्री दीपक कपूर
मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री धीरेन्द्र सहाय
कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)	श्री संजीव अगवाल
महाप्रबंधक (परिचालन)	एअर कमोडोर (सेवानिवृत) आलोक कुमार
महाप्रबंधक (एएमई)	श्री एम पी सिंह
स्था. महाप्रबंधक (मासं)	श्री आर बी कुशवाहा
संयुक्त महाप्रबंधक (सामग्री)	श्री एस के शर्मा
उप महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा)	श्री आशीष कुमार यादव
प्रभारी (विपणन)	श्री एम. एस. बूरा
उप महाप्रबंधक (इंफोकोम सेवाएं)	श्री राम कृष्ण
महाप्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र)	श्री संजय कुमार
महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र)	श्री एम. श्रीकुमार
महाप्रबंधक (पूर्वी क्षेत्र)	श्री विजय पथियान

पंजीकृत कार्यालय
सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली - 110 003

प्रधान कार्यालय
सी-14, सेक्टर-1
नोएडा-201301

क्षेत्रीय कार्यालय

पश्चिमी क्षेत्र
जूहू ऐरोड्रोम
एस. वी. रोड
विले पार्ले (पश्चिम)
मुम्बई - 400 056

उत्तरी क्षेत्र
सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली-110 003

पूर्वी क्षेत्र
3रा तल, होटल राजश्री इन
वी आई पी रोड, एलजीबीआई
एअरपोर्ट, गुवाहाटी, कामरूप
(मेट्रो), असम-781 015

लेखापरीक्षक
मैसर्स खन्ना एवं आनंधनम
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली-110 001

शाखा लेखाकार
मैसर्स लूनकर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
मुम्बई

बैंकर्स
विजया बैंक
पंजाब नैशनल बैंक

30वीं वार्षिक आम सभा का नोटिस

सेवा में
शेयर धारक,
पवन हंस लिमिटेड

यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए कम्पनी की 30वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को दोपहर 12.30 बजे सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110 003 स्थित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाएगा:-

सामान्य व्यवसाय

1. लेखा अंगीकरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित तुलनपत्र, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि विवरणी तथा इनसे संबंधित ऑडिटरों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा उनके संबंध में की गई टिप्पणियां तथा निदेशक रिपोर्ट को प्राप्त किया जाना, विचार किया जाने तथा उसे अंगीकार किया जाने के संबंध में।

2. लाभांश की घोषणा

विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना:-

"यह संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹245.616 करोड़ की चुकता पूंजी पर कर पश्च शुद्ध लाभ (अर्थात् ₹38.81 करोड़) होने से कम्पनी के सभी शेयरधारकों को 20 प्रतिश्त की दर से ₹7,76,18,000/- की राशि का लाभांश प्रदान किया जाए।"

3. विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना:-

i) "यह संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 152 के अंतर्गत श्री टी.के. सेनगुप्ता (डीआईएन-06802877), जो आवर्तन क्रम में सेवानिवृत्त हुए हैं तथा 30वीं वार्षिक आम सभा की तिथि तक कार्यालय पद पर कार्यरत हैं, से कम्पनी को लिखित रूप में अपनी उम्मीवारी को प्रस्तावित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है तथा एतद्वारा कम्पनी द्वारा निदेशक के पद पर पुन: नियुक्त किया जाता है और आवर्तन क्रम में उनकी सेवानिवृत्ति शेष/विस्तारित काल तक के लिए होगी।

ii) इसके अलावा यह संकल्प किया जाता है कि डॉ. बी.पी. शर्मा (डीआईएन-07125290), जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा जिनका पदनाम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए किया गया था तथा जो 30वीं आम सभा की तिथि तक कार्यालय पदधारी हैं तथा जिनसे कम्पनी को लिखित में अपनी उम्मीदवारी को प्रस्तावित करने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्वारा कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है जो शेष/विस्तारित काल तक आवर्तन क्रम में नागर विमानन मंत्रालय की आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होगें।

iii) इसके अलावा यह संकल्प किया जाता है कि श्रीमती गार्गी कौल (डीआईएन-07173427) जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा जो 30वीं आम सभा की तिथि तक कार्यालय पदधारी हैं, तथा जिनसे कम्पनी को लिखित में अपनी उम्मीदवारी को

प्रस्तावित करने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्वारा कम्पनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है जो शेष/विस्तारित काल तक आवर्तन क्रम में नागर विमानन मंत्रालय की आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होगी।"

iv) इसके अलावा यह संकल्प किया जाता है कि श्रीमती उषा पाधी (डीआईएन-03348716) जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा जो 30वीं आम सभा की तिथि तक कार्यालय पदधारी हैं, तथा जिनसे कम्पनी को लिखित में अपनी उम्मीदवारी को प्रस्तावित करने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्वारा कम्पनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है जो शेष/विस्तारित काल तक आवर्तन क्रम में नागर विमानन मंत्रालय की आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होगी।"

पवन हंस लिमिटेड के
निदेशक मंडल के
आदेशानुसार जारी
(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली

16 नवम्बर, 2015

नोट:

(क) बैठक में भाग लेने के पात्र तथा बैठक में मतदान के पात्र सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने के पात्र होगें जिसका कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्राक्सियों की प्रभाव्यता के लिए उन्हें बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना होगा। एक कोरा प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 102 के अंतर्गत विशेष व्यवसाय से संबंधित सापेक्षता स्पष्टीकरण इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

पंजीकृत कार्यालय: सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110 003

निगमित पहचान संख्या (सी आई एन) : यू62200डीएल1985जीओआई022233

अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को संबोधन

प्रिय शेयरधारियो,

आपकी कम्पनी की 30वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन के अवसर पर आपकी उपस्थिति से मुझे काफी हर्ष हुआ है। वित्तीय वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट वितरित कर दी गई है तथा आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ मान रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 चुनौतियों से भरा वर्ष रहा है तथा कम्पनी द्वारा पिछले वर्षों की तुलना में अपने निष्पादन में सुधार के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं। वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के ₹529.59 करोड़ के कुल राजस्व की तुलना में वर्ष 2014-15 का राजस्व बढ़कर ₹538.15 करोड़ हुआ है। पिछले वर्ष के ₹516.26 करोड़ के प्रचालन राजस्व की तुलना में कम्पनी को ₹522.35 करोड़ का प्रचालन राजस्व प्राप्त हुआ है तथा पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर शुद्ध प्रचालन लाभ ₹73.03 करोड़ से बढ़कर ₹79.13 करोड़ हुआ है।

पिछले वर्ष के 31,890 उड़ान घंटों की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान कुल उड़ान घंटे 30,700 थे। पिछले वर्ष के समान ही वर्ष 2014-15 के दौरान मासिक औसत हैलीकॉप्टर नियोजन 32 ही रहा। माता वैष्णों देवी के लिए 2500 घंटे प्रतिवर्ष गहन उड़ान सेवाओं की संविदा 1.4. 2014 से कम्पनी को अवार्ड न किए जाने के कारण उड़ान घंटों में कमी आई। पिछले वर्ष की तुलना में 77 प्रतिशत औसत बेड़ा सेवायोज्यता की तुलना में वर्ष 2014-15 का औसत 78 प्रतिशत रहा। कम्पनी के पास सीमा सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) के स्वामित्व वाले 6 ध्रुव हैलीकॉप्टरों के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण संविदा है।

कम्पनी द्वारा अप्रैल, 2012 से प्रारम्भ किए गए कायाकल्प कार्यक्रम एवं लागत नियंत्रण उपाय जारी रखे गए हैं। लागत कटौती के लिए किए गए उपायों से ओवरटाइम, विज्ञापनों इत्यादि पर किए जाने वाले व्ययों की कड़ी मॉनीटरिंग, टीए/डीए, ऊपरी एवं व्यवसाय प्रौन्नति व्ययों में कमी लानी संभव हो सकी है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय के ₹2.10 करोड़ की कमी हुई है।

कर्मचारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रोजमर्रा आधार पर बैठकें/वार्तालाप के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मालसूची बजट के कुशल एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए मालसूची प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है। हैलीकॉप्टरों की उपलब्धता में होने वाली देरी को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने के लिए ओएनजीसी के लिए हैलीकॉप्टर सेवाओं के समयबद्ध निष्पादन को नियंत्रित किया गया है। प्रचालनात्मक कार्यकुशलता में कुशलता में सुधार तथा एमआईएस की उत्पति के लिए प्रत्येक बेस को एकीकृत कम्प्यूटर प्रणाली में रोजमर्रा आधार पर मैनीफेस्ट प्रविष्टि करने के निदेश जारी किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के हैलीकाप्टरों के पॉयलटों के लिए क्रॉस कन्वर्जन जारी रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप उनके सामर्थ्य का प्रयोग बढ़ा है तथा प्रत्येक प्रकार के बेड़े के लिए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार प्रति पॉयलट उड़ान घंटे उच्चतर हुए हैं। केन्द्रीकृत कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से एफटीएल/एफडीटीएल तथा निम्न निष्पादन वाले कर्मी पॉयलटों को हटाने का कार्य किया गया है। पूर्वी क्षेत्र का सृजन किए जाने से पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर ध्यान अधिक केन्द्रीत हो पाया है। अधिक राजस्व उत्पति के लिए एलडी वसूली को कम किए जाने के उद्देश्य से ओएनजीसी को उपलब्ध करवाने जाने वाले हैलीकॉप्टरों के संबंध में प्रस्थान में होने वाली देरियों तथा एओजी (उड़ान के लिए योग्य नहीं) का कड़ा नियंत्रण/मॉनीटरिंग की जा रही है। प्रारम्भ में पूर्वोत्तर राज्यों से बकाया राशियों की त्वरित वसूली किए जाने के लिए एक समर्पित दल गठित किया गया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी का आरक्षित एवं अतिरिक्त ₹295.51 करोड़ रहा जबकि वर्ष 2013-14 में यह ₹268.22 करोड़ था। 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक ऋण ₹76.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹271.63 करोड़) थे। कम्पनी द्वारा विजया बैंक तथा एक्जिम बैंक से लिया गया पूर्ण आवधिक ऋण चुकता कर दिया गया है। वर्तमान

में 31.10.2015 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण ₹56.71 करोड़ (₹14.75 करोड़ ओएनजीसी तथा ₹41.96 करोड़ एनटीपीसी) है। अपने दीर्घकालिक ऋणों का पुनर्भुगतान करके कम्पनी द्वारा अपनी ऋण इक्विटी का औसत कम करके 0.16:1 किया गया है। कम्पनी की रेटिंग **स्टेबल इंडिया ए** से बढ़ाकर **स्टेबल इडिया ए+** कर दी गई है। यह उपलब्धि व्यवसाय में आई स्थिरता, राजस्व में निरंतर वृद्धि तथा बेहतर वित्तीय निष्पादन के परिणामस्वरूप संभव हुई है।

कम्पनी को लगभग कुल प्रचालनात्मक राजस्व का 85% भाग प्रतिस्पर्द्धी निविदाओं संविदाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। ओएनजीसी द्वारा हाल ही में विंटेज अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पवन हंस द्वारा ओएनजीसी को 3+1 डॉफिन एन3 हैलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए जा सके हैं। 7 वर्ष के विंटेज वाले 3+1 डॉफिन एन3 हैलीकॉप्टर ओएनजीसी को प्रदान किए जाने के संबंध में कर्मी दल परिवर्तन संविदा हेतु मार्च, 2015 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में पवन हंस द्वारा प्रस्तुत दरें योग्य पाई हैं। बाजार में ऑफशोर एएस-4 योग्यताप्राप्त पॉयलटों की कमी एक बहुत बड़ी कठिनाई है तथा कम्पनी द्वारा नियमित रूप से पॉयलटों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। तथापि योग्यताप्राप्त पॉयलटों की कमी अभी बनी हुई है।

निदेशक मंडल द्वारा ₹776.18 लाख (पिछले वर्ष लाभांश : ₹771.34 लाख) के कर पश्च लाभ (पीएटी) पर 20% की दर से लाभांश की अनुशंसा की गई है। लाभांश ₹245.616 करोड़ की समग्र चुकता पूंजी पर देय है तथा लाभ एवं हानि विवरणी के अनुसार चालू वर्ष के विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ में से ₹158. 01 लाख (पिछले वर्ष ₹154.22 लाख) के लाभांश पर निगमित कर के लिए प्रावधान कर दिए गए हैं। निबल कर पश्च लाभ केवल ₹38.81 करोड़ होने तथा हैलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े को बदलते के लिए निधियों की आवश्यकता होने के कारण कर पश्च लाभ पर 20% की दर से लाभांश की अनुशंसा की गई है। तथापि, कम्पनी द्वारा अनुवर्ती वर्षों में होने वाले लाभ से लाभांश के रूप में उच्चतर राशियों का भुगतान किए जाने के प्रयास किए जाएंगें।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के समापन के पश्चात निम्नलिखित महत्वपूर्ण विकास कार्य किए गए हैं:

(i) प्रचालनों में समग्र उत्कृष्टता की प्राप्ति एवं हाल के वर्षों में चिरस्थायी व्यवसाय निष्पादन के लिए पवन हंस को मान्यता के रूप में नीचे उल्लिखित ख्यातिप्राप्त अवार्ड/मान्यताएं प्रदान की गई है:

(क) जून में अनर्थकारी बाढ़ एवं भूस्खलन से उत्तरखंड में आई आपदा के दौरान राहत हैलीकॉप्टर प्रचालन करके 20,000 लोगों का बचाव करने तथा 500 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अमेरिकन हैलीकॉप्टर प्रचालन सोसायटी (एएचएस) द्वारा पवन हंस को कैप्टन विलियम जे. कॉस्सलर अवार्ड प्रदान किया गया।

(ख) वर्ल्डवाईड एरियल इंजन फ्लीट की सफलता में अपना समग्र योगदान देने के लिए वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित एयर शो के दौरान मैसर्स टर्बोमेका द्वारा पवन हंस को उत्कृष्टता अवार्ड प्रदान किया गया।

(ग) 32,000 से अधिक दुर्घटना रहित उड़ान घंटों के अत्याधिक उत्तम संरक्षा रिकार्ड की प्राप्ति के लिए हैलीकॉप्टर एसोसिएशन इंटरनेशनल (एचएटी) द्वारा पवन हंस को वर्ष 2014 के लिए आपरेटर सेफ्टी अवार्ड प्रदान किया गया।

(घ) पवन हंस को उत्तम सामान्य विमानन कम्पनी के रूप में दूरस्थ एवं क्षेत्रीय सम्पर्कता में संवर्धन के लिए एएसएसओसीएचएएम - नागर विमानन एवं पर्यटन अवार्ड - 2015 प्रदान किया गया है।

(ii) प्रतिस्पर्द्धी बाजार में व्यावसायिक विविधताओं के लिए उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखकर पवन हंस द्वारा 2013 में निर्धारित किए गए अपने मिशन का सूत्रपात किया गया है जिसमें ''क्षेत्रीय संपर्कता की उपलब्धि के लिए छोटे/फिक्स्ड विंग विमानों के प्रचालन के माध्यम से हैलीकॉप्टर एवं सी-प्लेन सेवाएं उपलब्ध करवाकर बाजार में प्रभुत्व प्राप्त करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समरूप मरम्मत/ओवरहॉल सेवाएं उपलब्ध करवाना'' जोड़ा गया है। विकासशील विविधताओं की आपूर्ति को ध्यान में रखकर पवन हंस लिमिटेड द्वारा 2020 के लिए नीतिगत

व्यवसाय योजना तैयार की गई है तथा ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार पवन हंस द्वारा अपनी संगठनात्मक संरचना में नीतिगत बदलाव करते हुए इसे व्यवसायिक, पारदर्शी एवं प्रक्रिया चालित संगठन बनाने के प्रयास किए गए हैं।

(iii) कम्पनी द्वारा 1.08.2015 से 31.07.2016 तक की अवधि के लिए अपने ₹1228 करोड़ के बीमाकृत मूल्य के प्रचालन हैलीकॉप्टर बेड़े तथा ₹300 करोड़ मूल्य की अपनी मालसूची के संबंध में मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से सेवा कर पूर्व ₹9,44,76,353/- राशि के कुल आकलित वार्षिक प्रीमियम पर बीमा करवाया गया है जो प्रभावकारी रूप से पिछले वर्ष के प्रीमियम से 20.18% कम है।

(iv) डिब्रुगढ़, असम के निकट स्थित खोंसा में दिनांक 4 अगस्त, 2015 को डॉफिन एन हैलीकॉप्टर (वीटी-पीएचके) के साथ एक दुर्घटना घटित हुई परिणामस्परूप दो पायलटों तथा एक यात्री की मृत्यु हुई। सरकार द्वारा श्री आर. एस. पासी, उप-निदेशक, विमान दुर्घटना अंवेषण बोर्ड की अध्यक्षता में दो सदस्यों की एक जांच समिति का गठन किया गया है। संरक्षा तथा बचाव उपायों के रूप में मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मौसम के मिजाज को समझने, संरक्षा परिपत्रों का अनुसरण करने तथा पहाड़ी क्षेत्रों एवं गैर मामूली मौसम के दौरान विकट स्थितियों का सामना करने के लिए प्राशिक्षण प्रदान करने इत्यादि के संबंध में की गई अपेक्षाओं को दोहराते हुए सचेतक पत्र जारी किए गए है। इसके अलावा, दिनांक 04.11.2015 को डॉफिन एन-3 हैलीकॉप्टर वीटी-पीडब्ल्यूएफ के साथ एक अन्य घातक दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें सायं 7.20 बजे बॉम्बे हाई में रात्रि प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दो पॉयलटों की मृत्यु हुई। बीमा दावे प्रस्तुत कर दिए हैं। एक अन्य दुर्घटना दिनांक 24.11.2015 को डॉफिन एन हैलीकॉप्टर वीटी-ईएलजे के साथ घटित हुई जिसमें नागालैंड सरकार के लिए किए जा रहे प्रचालन के दौरान लैंडिग के समय हैलीकॉप्टर नष्ट हो गया। किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कम्पनी द्वारा किए जा रहे नए प्रयासों में प्रचालन संरक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

(v) कम्पनी के लक्ष्य में वृहद विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर कम्पनी की पहचान, संरक्षा, पर्यावरण, व्यवसाय एवं दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर एक नया लोगो तैयार किया गया है जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(vi) कम्पनी की 30वीं वर्षगांठ एवं राष्ट्र को समर्पित सेवाओं का स्मरणोत्सव मनाए जाने के उद्देश्य से पवन हंस द्वारा 16 अक्तूबर, 2015 को नागर हैलीकॉप्टर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ''संरक्षा प्रबंधन प्रणली, हैलीकॉप्टरों का बहुउद्देश्य प्रयोग तथा क्षेत्रीय हवाई सम्पर्कता'' का आयोजन किया गया जिसमें नागर विमानन के क्षेत्र से अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिभागिता प्राप्त हुई।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के दौरान पवन हंस द्वारा ₹1189.50 करोड़ की अनुमानित लागत से 22 हैलीकॉप्टरों तथा 2 सीप्लेनों का अधिग्रहण करते हुए बेड़े का विस्तार किया जाना प्रक्षेपित किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी द्वारा आंतरिक स्त्रोतों से 20% निधियन तथा बैंकों से 80% निधियन के माध्यम से एमआई 172 जैसे 2 हैवी डयूटी हैलीकॉप्टर अर्जित किए जाने की योजना बनाई गई है। कम्पनी इसके अलावा जीबीएस से कुल लागत के 80% निधियन तथा आईईबीआर से 20% निधियन के माध्यम से 9 पुराने डॉफिन एन हैलीकॉप्टर बदलने का विचार रखती है।

पवन हंस द्वारा अधिक हैलीकॉप्टरों का नियोजन करते हुए तथा ग्रीनफील्ड हैलीपैड के सृजन, अनुक्षण, मरम्मत एवं ओवहॉल सुविधाओं तथा तकनीकी एवं प्रचालनात्मक कर्मचारियों के लिए कौशल विकास केन्द्र की स्थापना करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न राज्यों से सम्पर्कता स्थापित किए जाने के लिए गुवाहाटी में हैली-हब का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ₹410 करोड़ की परियोजना लागत के साथ इसका प्रस्ताव बीआरआईसीएस (ब्रिक्स बैंक) बैंक से परियोजना लागत के 50% निधियन के लिए नागर

विमानन मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया है तथा बीआरआईसीएस (ब्रिक्स बैंक) बैंक की स्क्रीनिंग समिति द्वारा भविष्य में इस ओर ध्यान दिए जाने के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया है। परियोजना की शेष 50% लागत शेष का निधियन जीबीएस के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

व्यवसाय के लिए नए प्रयास करते हुए कम्पनी द्वारा अंडमान एवं निकोबार तथा पश्चिमी बंगाल में सी प्लेन प्रचालन प्रारम्भ किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कम्पनी द्वारा रोहिणी, नई दिल्ली में 25 एकड़ भूमि पर हैलीपोर्ट के निर्माण का कार्य किया जा रहा है तथा रोहिणी में हैलीपैड की मूलभूत सुविधाओं का निर्माण पहले ही कर लिया गया है। पर्यावरण क्लीयरेंस के पश्चात् मास्टर प्लान एवं भवन के नक्शों का अनुमोदन नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.01.2014 को परियोजना के लिए क्लीयरेंस प्रदान कर दी गई है। निर्माण कार्य की संविदा दिनांक 18.07.2015 को जारी की गई तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके प्रति मार्च, 2016 तक कार्य पूरा होने की संभावना की गई है। इसके अलावा, कम्पनी को हडप्सर, पुणे में हैलीपैड के विकास का कार्य सौंपा गया है। पवन हंस द्वारा निक्षेप कार्य आधार पर ₹11.34 करोड़ की लागत से एनबीसीसी के माध्यम से निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालनात्मक आवश्यकताओ के लिए सूचित की गई ₹2.34 करोड़ के अतिरिक्त कार्य की लागत के लिए पवन हंस द्वारा नागर विमानन महानिदेशलय से अनुमोदन मांगा गया है।

कम्पनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संघ/नागर विमानन विमानन महानिदेशालय (आईसीएओ/डीजीसीए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रचालनों एवं अनुरक्षण कार्यकलापों के लिए संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को क्रियान्वित किया गया है तथा संरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कुल चार चरणों में से दो चरणों का कार्यान्वयन कर लिया गया है। एक नए संरक्षा निगरानी विभाग का गठन किया गया है तथा कम्पनी में

माननीय नागर विमानन मंत्री एवं नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा
दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 को पवन हंस के प्रतीक चिन्ह का प्रमोचन

स्वैच्छिक रिर्पोटिंग प्रणाली एवं जोखिम रिर्पोटिंग प्रणाली प्रारम्भ की गई है। कम्पनी द्वारा अपने प्रचालनों के विश्लेषण तथा मॉनीटरिंग के लिए भी उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन (एफओक्यूए) प्रणाली प्रारम्भ की गई है। कम्पनी की संरक्षा नीति को भी संशोधित करके इसमें संरक्षा को कम्पनी के प्रमुख ध्येयों में से एक ध्येय के रूप में स्थान दिया गया है। दिल्ली स्थित समर्पित प्रशिक्षण क्रेन्द्र नेशनल इंस्ट्रीटयूट ऑफ एविएशन सेफ्टी एंड सर्विसेज (एनआईएएसएस) द्वारा पॉयलटों तथा तकनीकी कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को समृद्ध किया जा रहा है।

लोक उपक्रम विभाग द्वारा निगमित संचलन के लिए दिशानिर्देश कम्पनी द्वारा अंगीकार किए गए हैं तथा विचाराधीन अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधितव निकायों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन किया गया। विकास की अपार संभावनाओं से युक्त भारत के हैलाकॉप्टर उद्योग में कम्पनी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

इस अवसर पर मेरे प्रति रखे गए विश्वास के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। मैं कम्पनी के कार्यकुशल प्रबंधन में योगदान के लिए भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय तथा अन्य विभिन्न एजेंसियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं कम्पनी के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखने तथा उनके कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के विकास में योगदान के लिए प्रदत्त सेवाओं हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जीएसपीसी, नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन, गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की सरकारों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

(डा. बी. पी. शर्मा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 18 दिसम्बर, 2015

निदेशकों की रिपोर्ट

शेयरधारकों,

सज्जनों,

पवन हंस लिमिटेड की तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षित विवरणियां, ऑडिटरों की रिपोर्ट और लेखा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए आपके निदेशकों को अत्यंत हर्ष हो रहा है।

I. प्रचालन

(क) प्रचालन परिणाम

कम्पनी को प्रमुखत: तेल उद्योग एवं सरकारी सेक्टर के संस्थागत ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संविदा निष्पादित करते में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार कुल 46 हैलीकॉप्टरों के बेड़ आकार में से हैलीकॉटरों के मासिक परिनियोजन का औसत 32 हैलीकॉप्टर (विगत वर्ष 32 हैलीकॉप्टर) था। पिछले वर्ष के 77% की सेवायोज्यता का औसत वर्ष के दौरान 78% रहा। पिछले वर्ष के 31,890 उड़ान घंटों की तुलना में कुल उड़ान घंटे 30,700 थे। माता वैष्णों देवी के लिए लगभग 2500 घंटे अनुमानित की गहन उड़ान सेवाओं की संविदा 01.04.2014 से कम्पनी को अवार्ड न किए जाने के कारण उड़ान घंटो में कमी आई।

(ख) बेड़ा प्रोफाईल

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के प्रचालनात्मक बेड़े का स्वरूप निम्नानुसार है:

हैलीकॉप्टर प्रकार	हैलीकॉटरों की संख्या	औसत आयु (वर्ष)
डॉफिन एसए365एन	18	29
डॉफिन एएस365 एन3	17	9
बेल -407	3	9
बेल 206एल4	3	17
एएस 350 बी3	2	4
एम आई-172	3	6
योग	46	

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सीमा सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) के स्वामित्व वाले 7 ध्रुव हैलीकॉप्टरों के कम्पनी द्वारा एचएएल के साथ प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए की गई निष्पादित संविदा है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा इन ध्रुव हैलीकॉप्टरों का प्रयोग नक्सल विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

(ग) बेड़ा परिनियोजन

बम्बई अपतटीय प्लेटफार्म पर स्थित ड्रिलिंग रिग्स तक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के अपतटीय प्रचालनों हेतु रात अनवरत उनके व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण आपूर्तियों के वहन के लिए पवन हंस द्वारा हैलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पवन हंस द्वारा मुम्बई के भू-भाग से 130 नॉटिक्ल मील के दायरे में स्थित तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की रिग्स (मदर प्लेटफार्म एवं ड्रिलिंग रिग्स) तथा प्लेटफार्म (कुओं) के लिए प्रचालन किए जाते हैं। वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बिडिंग में 5 वर्ष की विशिष्टता (विंटेज) के साथ निम्नतम बोली (एल 1) होने से कम्पनी को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को 7 डॉफिन एन 3 हैलीकॉप्टरों की सेवाएं करवाने की उत्पादन कार्य संविदा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। मार्च, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बिडिंग में 7 वर्ष की विशिष्टता (विंटेज) के साथ निम्नतम बोली (एल 1) होने से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को 3+1 डॉफिन एन 3 हैलीकॉटरों की सेवाएं उपलब्ध करवाने की क्रू चेंज टास्क संविदा भी पवन हंस द्वारा ही प्राप्त की गई। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को संविदा के अंतर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड के अपतटीय कार्यों के लिए 10 डॉफिन एन 3 हैलीकॉप्टरों से सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनमें से

श्री अमरनाथजी तीर्थयात्रा 2015 हेतु पवन हंस का परिचालन

आपात निकासी के लिए रात्रि एम्बूलेंस के लिए नियत 1 हैलीकॉटर के अतिरिक्त मुख्य प्लेटफार्म पर 2 डॉफिन हेलीकॉप्टर रात भर परिनियोजित रहते हैं।

कम्पनी द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों यथा मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश तथा गृह मंत्रालय को हैलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कम्पनी द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन को 4 डॉफिन हैलीकॉप्टर तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह को 2 डॉफिन हैलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए गए है। एनटीपीसी, गेल, जीएसपीसी इत्यादि को भी कम्पनी द्वारा हैलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

कम्पनी द्वारा जून, 2015 में नागालैंड सरकार के लिए एक डॉफिन हैलीकॉप्टर परिनियोजित किया गया है।

प्रत्येक वर्ष मई-जून तथा सितम्बर-अक्तूबर के दौरान पवन हंस द्वारा फाटा से केदारनाथ धाम के लिए हैलीकॉप्टर सेवाएं प्रचलित की जाती है। श्री अमररनाथ श्राईन बोर्ड द्वारा पवन हंस को 'श्री अमरनाथ जी यात्रा, 2012 तथा 2013 के लिए हैलीकॉप्टर सेवाओं' के प्रचालन की संविदा प्रदान की गई थी। इसके अलावा श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सोनमर्ग-पंजतरण ी सेक्टर पर प्रचालन के लिए संविदा प्रदान की गई थी तथा सेवाओं का प्रचालन 2 बेल 407/एएस350बी हैलीकॉप्टरों के साथ जून-अगस्त 2014 तथा 2015 के दौरान किया गया था।

हैलीकॉप्टरों के संबंध में औसत मासिक परिनियोजन निम्नानुसार रहा:-

औसत मासिक बेड़ा उपयोग

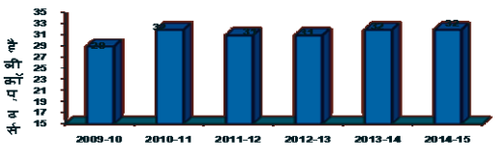

वित्तीय वर्ष

(घ) दिल्ली तथा समीपस्थ क्षेत्रों में हैलीपोर्ट/ हैलीपैड

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के नाम से जून, 2009 में रोहिणी, नई दिल्ली में हैलीपोर्ट के निर्माण के लिए 25 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। पवन हंस द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया है तथा ₹64 करोड़ की परियोजना लागत से रोहिणी हैलीपोर्ट के विकास का कार्य पवन हंस को सौंपा गया जिसकी भूमि लागत तथा विकास की 80 प्रतिशत लागत का निधियन सरकार द्वार किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुदान के रूप में भूमि लागत पर ₹19.07 करोड़ की राशि का अंशदान तथा बाद में दिनांक 31. 8.2010 को रोहिणी हैलीपोर्ट की 64 करोड़ की परियोजना लागत में इक्विटी पूंजी के रूप में ₹36 करोड़ का अंशदान किया गया है। कम्पनी द्वारा राष्ट्र मंडल खेल, 2010 के दौरान हैलीपैड के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी। पर्यावरण कलीयरैस तथा मास्टर प्लान एवं नक्शों का अनुमोदन नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, भारतीय विमानपत्तन प्राधि करण द्वारा किया जा चुका है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.1.2014 को परियोजना के लिए अनापति प्रदान कर दी गई है। निर्माण कार्य की संविदा दिनांक 18.7.2014 को जारी की गई तथा निर्माण कार्य अक्टूबर, 2014 में प्रारम्भ हो गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मार्च, 2016 तक कार्य पूरा होने की संभावना की गई है।

(च) हडप्सर, पुणे में प्रशिक्षण अकादमी तथा हैलीपोर्ट

कम्पनी को हडप्सर, पुणे में स्थित नागर विमानन महानिदेशालय के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले ग्लाईडिंग केन्द्र पर हैलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी एवं हैलीपोर्ट का निर्माण करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय की ओर से ग्लाईडिंग केन्द्र, पुणे में भूमि तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपयोग करने के उद्देश्य से पवन हंस द्वारा दिनांक 17 मई, 2010 को नागर विमानन महानिदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पवन हंस द्वारा निक्षेप कार्य आधार पर ₹11.34 करोड़ की लागत से एनबीसीसी के माध्यम से योजना एवं डियाजनिंग तथा निर्माण कार्य पूरा करवाया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए सूचित की गई ₹2.34 करोड़ के अतिरिक्त कार्य की लागत के लिए पवन हंस द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदन मांगा गया है।

II. वित्त

(क) वित्तीय परिणाम

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार था:- **(₹/करोड़)**

विवरण	**2013-14**	**2014-15**
I. प्रचालन राजस्व		
- प्रचालन से राजस्व	516.26	522.35
- प्रासंगिक राजस्व	13.33	15.80
योग (I)	529.59	538.15
II. प्रचालनात्मक व्यय		
- प्रचालनात्मक व्यय	376.85	382.52
- मूल्य ह्रास	79.71	76.52
योग (II)	456.56	459.02
III. निवल प्रचालनात्मक लाभ (I-II)	73.03	79.13
IV. ब्याज आय	11.92	11.55
घटाएं ऋण पर ब्याज प्रभार	(31.81)	(17.49)

विवरण	2013-14	2014-15
V. पूर्वावधि/अति साधारण समायोजन	8.10	(1.45)
VI. कर पूर्व लाभ	61.24	71.74
VII. कर/आस्थगित कर देयताएं	22.67	32.93
VIII. कर पश्च निवल लाभ/हानि	38.57	38.81

अप्रैल तथा मई, 2014 में आयोजित आम चुनाव के दौरान हैलीकॉप्टरों का परिनियोजन उच्चतर राजस्व दरों पर किए जाने के परिणामस्वरूप हुई प्रचालन राजस्व वृद्धि के पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। इसके अलावा उपरिव्यय, यात्रा व्यय, बीमा लागत तथा व्यवसाय प्रौन्नति व्यय पर नियंत्रण किए जाने से निवल प्रचालन लाभ ₹73.03 से बढ़कर ₹79.13 करोड़ हुआ है। कम्पनी की आरक्षित निधि पिछले वर्ष के ₹268.22 करोड़ से बढ़कर ₹295.51 करोड़ हुई है।

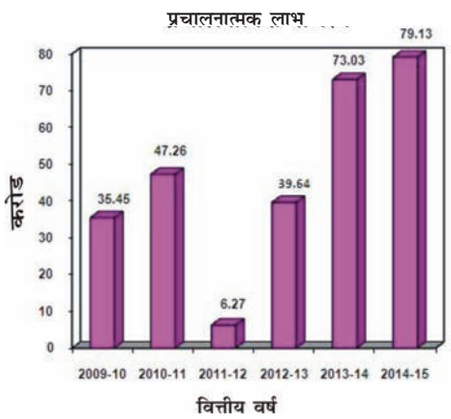

वर्ष 2013-14 के लिए पवन हंस द्वारा भारत सरकार एवं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को लाभांश का भुगतान

पवन हंस एवं नागर विमानन मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

कम्पनी को लगभग कुल प्रचालनात्मक राजस्व का 85% भाग प्रतिस्पर्द्धी निविदाओं संविदाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। बाजार में ऑफशोर एएस-4 प्रशिक्षित पॉयलटों की अनुपलब्धता काफी विकट है तथा तदनुसार अनुभवी एवं नए पॉयलटों की नियुक्ति के लिए वॉक-इन साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं।

(ख) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा ₹776.18 लाख (पिछले वर्ष लाभांश : ₹771.34 लाख) के कर पश्च लाभ (पीएटी) पर 20% की दर से लाभांश की अनुशंसा की गई है। लाभांश ₹245.616 करोड़ की समग्र चुकता पूंजी पर देय है तथा लाभ एवं हानि विवरणी के अनुसार चालू वर्ष के पर विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ में से ₹158.01 लाख (पिछले वर्ष ₹154.22 लाख) के लाभांश पर निगमित कर के लिए प्रावधान कर दिए गए हैं। निवल कर पश्च लाभ केवल ₹38.81 करोड़ होने तथा हैलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े को बदलने के लिए निधियों की आवश्यकता होने के कारण कर पश्च लाभ पर 20% की दर से लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

(ग) भारत सरकार के दावे

भारत में नागर विमान उद्योग के सम्मुख विद्यमान प्रतिस्पर्द्धी परिवेश में उत्तरजीविता के लिए अनिवार्य बेड़ा विस्तार एवं अन्य पूंजीगत परिव्यय कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के सम्मुख भारत सरकार के दावों से संबंधित बकाया मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा कम्पनी से दावा किए गए कुल ₹470.22 करोड़ (मूल राशि ₹130.91 करोड़ तथा 31.3.2001 तक ब्याज: ₹339.31 करोड़) की राशि का दावा छोड़ने के लिए दिसम्बर, 2007 में एक प्रस्ताव रखा गया था। वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान नहीं की गई। दिनांक 21.8.2008 को आयोजित निदेशक मंडल की 115वीं बैठक में

डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर

नागर विमानन मंत्रालय से वित्त मंत्रालय के दावे को छोड़ देने का यह मामला आगे बढ़ाने तथा इस उद्देश्य से इस मामले तथा अन्य संबद्ध मामलों की जांच के लिए एक वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। वित्तीय परामर्शदाता द्वारा भारत सरकार के दावों से कम्पनी पर होने वाले प्रभावों के मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह अनुशंसा की गई कि वित्त मंत्रालय के दावे के अनुसार किया जाने वाला भुगतान कम्पनी के लिए व्यवहार्य विकल्प नहीं है। रिपोर्ट पर विचार के पश्चात् कम्पनी द्वारा जनवरी, 2009 में सचिवों की समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के लिए भारत सरकार के दावों को छोड़ देने से संबंधित एक मसौदा नोट नागर विमानन मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

वित्त मंत्रालय के दावों के निपटान के संबंध में दिनांक 29.4.2012 को नागर विमानन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के मध्य आयोजित बैठक में विद्यमान प्रतिस्पर्द्धी परिवेश एवं निविदाओं के अंतर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को 5 वर्ष के लिए श्रेष्ठ हैलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा दावा किए गए ₹470.22 करोड़ के दावों से कम्पनी के समग्र विकास पर पड़ सकने वाले प्रभावों को ध्यान में रखकर 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के लिए कम्पनी हेतु व्यवसाय योजना का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया। निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् एसबीआई कैपिटल मार्किट सर्विसेज लिमिटेड की रिपोर्ट आगे वित्त मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के लिए दिनांक 2.7.2012 को नागर विमानन मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत की गई। सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय तथा संयुक्त सचिव एवं वित्तीय परादर्शदाता, नागर विमानन मंत्रालय के मध्य हाल ही में इस मामले पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। यह मामला नागर विमानन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच विचाराधीन है। भारत सरकार के दावों को कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013

की अनुसूची-III के अनुसार गैर-चालू देयताओं के अंतर्गत रखा गया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए दावों पर 31.3.2001 तक ब्याज एवं अन्य प्रभारों के संबंध में कम्पनी द्वारा 1999-2000, 2000-01 तथा 2002-03 के वित्तीय वर्षों के दौरान ₹339.31 करोड़ के पूर्व प्रावधान किए गए हैं तथा इन्हें अग्रेनित किया जा रहा है।

(घ) नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

लोक उद्यम विभाग की कार्य बल व्यवहार बैठक के पश्चात पवन हंस द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। वर्ष 2014-15 के लिए पवन हंस द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट पर पवन हंस के लिए समझौता ज्ञापन की रैटिंग 'बहुत अच्छी' आंकी जाने की संभावना की गई है।

(ङ) नए बेडे के अधिग्रहण के लिए निधियन

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा 7 डॉफिन एन3 हैलीकॉप्टरों की अधिग्रहण लागत के 80% के समरूप ₹261 करोड़ के ऋण का निधियन किया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा इस ऋण के एक भाग (₹95.85 करोड़) को बाद में कम्पनी में चुकता इक्विटी पूंजी के रूप में परिवर्तित किया गया था। एनटीपीसी द्वारा एक डॉफिन एन3 हैलीकॉटर के अधिकाप्टर के अधिग्रहण के लिए नए हैलीकॉटर हेतु 10 वर्षीय दीर्घकालिक पट्टा आधार पर ₹52 करोड़ के ऋण का निधियन किया गया था। कम्पनी द्वारा 2 डॉफिन एन3 हैलीकॉप्टरों की 80% लागत के लिए एक्जिम बैंक से ₹90.82 करोड़ का आवधिक ऋण तथा 2 एम आई-172 हैलीकौप्टरों की 80% लागत के वित्तियन के तौर पर विजया बैंक से 10 वर्ष की कालावधि के लिए ₹95.18 करोड़ का आवधिक ऋण प्राप्त किया गया था। विजया बैंक तथा एक्जिम बैंक से लिए गए ऋण की सम्पूर्ण धनवापसी की जा चुकी है तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड एवं एनटीपीसी को नियमित रूप से भुगतान किए जा रहे हैं। कम्पनी को आवधिक ऋण पर इंडिया रेटिंग से 'इंडिया ए' (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है जिसका बाद में

अनुमोदित बैट्री चार्जिंग कक्षों में बैट्री का अनुरक्षण

मुंबई के जुहू एयरोड्रम पर अपतटीय प्रचालन के लिए तैयार डॉफिन हेलीकॉप्टर का बेड़ा

इंडिया ए+ (स्थिर) के रूप में उन्नयन किया गया है।

(च)इक्विटी पूंजी

कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी ₹120 करोड़ से बढ़कर 3.12.2010 को ₹250 करोड़ हुई है। कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी भी बढ़कर ₹245.616 करोड़ हुई है जिसमें से ₹125.266 करोड़ भारत के राष्ट्रपति (पिछली राशि ₹89.266 करोड़) के नाम तथा दिनांक 14.2.2011 को इक्विटी शेयर आबंटित किए जाने के पश्चात् से ₹120.35 करोड़ (पूर्व राशि ₹24.50 करोड़) की राशि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के नाम है। तदनुसार, भारत सरकार तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की शेयर होल्डिंग पूर्व 78.46% तथा 21.54% के स्थान पर अब क्रमश: 51% तथा 49% हो गई है।

(छ)वित्तीय वर्ष 2014-15 के समापन के पश्चात् घटित महत्वपूर्ण घटनाएं:–

(i) कम्पनी द्वारा 1.08.2015 से 31.07.2016 तक की अवधि के लिए अपने ₹1228 करोड़ के बीमाकृत मूल्य के प्रचालन हैलीकॉप्टर बेड़े तथा ₹300 करोड़ मूल्य की अपनी मालसूची के संबंध में मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से सेवा कर पूर्व ₹9,44,76,353/- राशि के कुल आकलित वार्षिक प्रीमियम पर बीमा करवाया गया है जो प्रभावकारी रूप से पिछले वर्ष के प्रीमियम से 20.18% कम है।

(ii) डिब्रुगढ़, असम के निकट स्थित खोंसा में दिनांक 4 अगस्त, 2015 को डॉफिन एन हैलीकॉप्टर (वीटी-पीएचके) के साथ एक दुर्घटना घटित हुई जिसके परिणामस्वरूप दो पायलटों तथा एक यात्री की मृत्यु हुई है। सरकार द्वारा श्री आर.एस.पासी, उप निदेशक, विमानन दुर्घटना अंवेषण बोर्ड की अध्यक्षता में दो सदस्यों की एक जांच समिति का गठन किया गया है। संरक्षा तथा बचाव उपायों के रूप में मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मौसम के दौरान विकट स्थितियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने इत्यादि के संबंध में की गई अपेक्षाओं को दोहराते हुए सचेतक पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा, दिनांक 04.11.2015 को डॉफिन एन-3

हैलीकॉप्टर वीटी-पीडब्ल्यूएफ के साथ एक अन्य घातक दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें सायं 7.20 बजे बॉम्बे हाई में रात्रि प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दो पॉयलटों की मृत्यु हुई। बीमा दावे प्रस्तुत कर दिए हैं। एक अन्य दुर्घटना दिनांक 24.11.2015 को डॉफिन एन हैलीकॉप्टर वीटी-ईएलजे के साथ घटित हुई जिसमें नागालैंड सरकार के लिए किए जा रहे प्रचालन के दौरान लैंडिग के समय हैलीकॉप्टर नष्ट हो गया। किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कम्पनी द्वारा किए जा रहे नए प्रयासों में प्रचालन संरक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

(iii) कम्पनी के कार्यक्षेत्र में विस्तार की वृहद संभावनाओं को ध्यान में रखकर कम्पनी की पहचान, संरक्षा, पर्यावरण, व्यवसाय एवं दूरदर्शिता के आधार को चित्रित करने वाला एक थीम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है तथ इसे कम्पनी की 30वीं प्रतिवार्षिक तिथि के अवसर पर दिनांक 16.10.2015 से कायान्वित कर दिया गया है।

III. इंजीनियरिंग/अनुरक्षण क्रियाकलाप

अपने हैलीकॉप्टरों के बेड़े के अनुरक्षण के लिए कम्पनी द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त कर मुम्बई तथा नई दिल्ली में उत्कृष्ट अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना की गई है। विस्तृत कार्यशालाओं में हैलीकॉप्टरों के संबंध में अति सूक्ष्म अनुरक्षण परीक्षण सेवाओं के लिए आंतरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉफिन हैलीकॉप्टरों के संबंध में अति सूक्ष्म अनुरक्षण परीक्षण सेवाओं के लिए आंतरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉफिन हैलीकॉप्टरों के संबंध में प्रमुख "जी" परीक्षण किए जाने के लिए अनुरक्षण सामर्थ्य बढ़ाया गया है जिसके लिए बिना किसी विदेशी सहायता के पूर्ण रूप से आंतरिक व्यवस्था की गई है तथा इसके परिणामस्वरूप मरम्मत/परीक्षण पर होने वाली लागत से विदेशी मुद्रा की बचत संभव हो पाई है। विचाराधीन वर्ष के दौरान मुम्बई में अनुरक्षण सुविधाओं के कार्यक्षेत्र को "जी" परीक्षण (5400 घंटों पर एयरफ्रेम ओवरहॉल) सहित विस्तारित किया गया है। अपने स्वयं के संसाधनों से डॉफिन एन 3 हैलीकॉप्टरों के संबंध में टी/2टी/5टी(600 घंटे/1200 घंटे/3000 घंटे) परीक्षण तथा 2 'जी'

सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान पवन हंस में संचालित प्रशिक्षण

परीक्षण (5400 घंटे) से युक्त कुल 34 परीक्षण किए गए हैं।

कार्यशाला सुविधाओं का संवर्धन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसमें होने वाला प्रत्येक विस्तार स्वयं में एक उपलब्धि होता है। वर्ष के दौरान डॉफिन एन3 हैलीकॉप्टरों के संबंध में 'जी' परीक्षण को शामिल किए जाने के साथ साथ डॉफिन एन3 उपकरणों के बैंच परीक्षण के लिए कार्यशाला सुविधाओं के कार्यक्षेत्र में भी विस्तार किया गया था। इसके अलावा, बेस पर बेल्ल हैलीकॉप्टरों के संबंध में प्रमुख अनुरक्षण परीक्षण तथा प्रमुख संघटक परिवर्तन भी वर्ष के दौरान जारी रहे।

IV. सामग्री प्रबंधन

अचल माल सूची के बेहतर नियंत्रण के संबंध में सामग्री प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सभी प्राप्तियों के लिए माल सूचियों के स्तर के निर्धारण इंजीनियरिंग तथा सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा की गई संयुक्त समीक्षा के आधार पर किए गए हैं तथा पूर्जों के लिए आदेश पूर्वानुमानों के उपायों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाते हैं। सामग्री प्रबंधन क्रियाकलाप एकीकृत कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से ऑनलाईन किए गए हैं। मांग तथा पूर्ति की प्रक्रिया कार्यकुशल हुई है। आंकड़ों में पारदर्शिता आई है तथा सभी क्षेत्रों तथा बेस पर ये अब प्रयोक्ताओं को नेटवर्क पर उपलब्ध हैं। सामायिक चेतावनियों के माध्यम से माल सूचियों का प्रबंधन किए जाने से आपूर्ति शृंखला प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता बढ़ी है। ई-प्राप्ति प्रक्रिया का प्रयोग प्रभावोत्पादक रूप से किया जा रहा है।

V. सूचना प्रौद्योगिकी प्रयास

सूचना प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत प्रचालन, इंजीनियरिंग, सामग्री एवं वित्त जैसे सूक्ष्म कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए मैसर्स टाटा कंसलटेंसी लिमिटेड द्वारा विकसित एक एकीकृत सॉफ्टवेयर से कार्य कुशलता, प्रभाव्यता तथा ग्राहक संतोष में वृद्धि हुई है। इसके अलावा नोएडा स्थित प्रधान कार्यालय तथा सफदरजंग हवाईअड्डा, मुम्बई एवं गुवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के एकीकृत लोकल एरिया नेटवर्क/वाईड एरिया नेटवर्क (एलएएन/डब्लूएएन) अवसंरचना स्थापित की गई है। प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कुछ डिटेचमेंटों के लिए एकीकृत ध्वनि संचार का कार्यान्वन भी किया गया है। कम्पनी द्वारा प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) को भी कार्यान्वित किया गया है।

कम्पनी द्वारा केदारनाथ जी तथा अमरनाथ जी के लिए यात्री सेवा प्रचालनों के संबंध में ई-टिकटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। कम्पनी की वेबसाइट http://pawanhans.co.in नियमित रूप से हिन्दी तथा अंग्रेजी में अद्यतन की जाती है। कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के लिए नियमित अपडेटों से युक्त इन्टरानेट सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। कम्पनी के पास स्वयं अपना नोएडा में स्थित प्राथमिक डाटा केन्द्र (पीडीसी) तथा मुम्बई में आपदा निवारण केन्द्र है। कार्यकुशल ई-गवर्नेंस तथा पारदर्शिता की प्राप्ति के लिए कम्पनी द्वारा ₹5 लाख तथा अधिक मूल्य के माल एवं सेवाओं हेतु ई-ऑफिस प्रणाली तथा ई-गवर्नेंस प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है।

VI. मानव संसाधन प्रबंधन

(क) जनशक्ति

31 मार्च, 2014 की तुलना में 870 के स्थान पर 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की कुल जनशक्ति 840 है जिसमें से 141 पॉयलट, 96 विमान अनुरक्षण इंजीनियर, 44 अधिशासी, 207 तकनीशियन तथा 252 अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी हैं।

(ख) औद्योगिक संबंध

विचाराधीन अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित हुई। कर्मचारियों से संबंधित मामलों का निपटान बातचीत के माध्यम से कर लिया गया। सभी अधिशासियों, इंजीनियरों तथा पॉयलटों के लिए भी 1.1.2007 से नए वेतनमान तथा भत्तों का कार्यान्वयन कर दिया गया है परन्तु इंजीनियरों तथा पॉयलटों द्वारा लाइसेंस संबद्ध भत्तों के लिए मांग की गई है तथा

इस मामले को उनसे बातचीत करते हुए निपटाया जा रहा है।

(ग) प्रशिक्षण

सभी कर्मचारियों यथा अधिशासियों, पॉयलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा सहायक कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रबंधन दक्षता से संबंधित विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से व्याख्यान दिए जाते हैं। कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आंतरिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के लिए भी नामांकित किया जाता है। पॉयलटों, इंजीनियरों तकनीशियनों को नियमित रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए एविएशन ट्रेनिंग स्कूल के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा सितम्बर, 2009 में मुम्बई में जिसमें एएमई लाइसेंस की प्राप्ति के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित बुनियादी विमान इंजीनियरिंग लाइसेंस प्रारंभिक पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित हैलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

पॉयलटों को आपात्त स्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए पवन हंस लिमिटेड विमान कर्मियों के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उड़ान के दौरान जोखिमकारी परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए सभी कर्मियों के लिए सिम्यूलेटर प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने का भी सुनिश्चय किया जाता है। पिछले एक वर्ष में कम्पनी द्वारा 43 पॉयलटों को मैसर्स हैट्सऑफ, बंगलौर में डॉफिन विमान बेड़े के लिए सिम्यूलेटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पॉयलटों की सेवानिवृत्ति/सेवा त्याग तथा बेड़े विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के कारण अनुभवी एवं युवा पॉयलटों की भर्ती प्रशिक्षण के संबंध में कार्रवाई की गई है।

पवन हंस द्वारा ज्ञान संवर्धन सभाओं का आयोजन भी प्रारम्भ किया गया है जिसके अंतर्गत इंजीनियरों, तकनीशियनों सहित पॉयलटों के लिए व्याख्यान कक्षा एवं परस्पर संवाद के सत्र आयोजित करके व्यावसायिक विषयों पर पुनश्चर्या परीक्षण प्रदान किया जाता है। ये गुणात्मक उपाय पॉयलटों तथा अनुरक्षण कर्मियों दोनों के लिए व्यावसायिकता तथा दक्षता के स्तर को बढ़ाने तथा उसके परिणामस्वरूप प्रचालनों में उड़ान संरक्षा में वृद्धि लाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

VII. संरक्षा उपाय

पवन हंस द्वारा घटनाओं की पुनरावृति से बचाव के लिए अपने प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रणाली के लिए संरक्षा उपाय किए हैं। पवन हंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संघ/नागर विमानन महानिदेशालय (आईसीएओ/डीजीसीए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रचालनों एवं अनुरक्षण कार्यकलापों के लिए संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को क्रियान्वित किया गया है तथा सरंक्षा प्रबंधन प्रणाली के कुल चार चरणों में से दो चरणों का कार्यान्वयन कर लिया गया है जिनमें प्रतिक्रियात्मकता क्रियाओं द्वारा किया जाने वाला संरक्षा प्रबंधन शामिल है। एक नए संरक्षा निगरानी विभाग का गठन किया गया है तथा कम्पनी में स्वैच्छिक रिर्पोटिंग प्रणाली एवं जोखिम रिर्पोटिंग प्रणाली प्रारम्भ की गई है। अपने हैलीकॉप्टर प्रचालनों की मॉनीटरिंग के लिए एफडीआर तथा सीवीआर डाटा के विश्लेषण हेतु कम्पनी द्वारा अपने प्रचालनों के लिए उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन (एफओक्यूए) प्रणाली प्रारम्भ करने की योजना बनाई जा रही है। कम्पनी की संरक्षा नीति को भी संशोधित करके इसमें संरक्षा को कम्पनी के प्रमुख ध्येयों में से एक ध्येय के रूप में स्थान दिया गया है। संरक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा देश में संरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए कम्पनी द्वारा जून, 2010 में दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन सेफ्टी एंड सर्विसेज की स्थापना की गई है। इस संस्थान द्वारा विमान संरक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पवन हंस लिमिटेड द्वारा किए गए संरक्षा उपायों में से अनेक को पहले ही कार्यान्वित कर लिया गया

है तथा पवन हंस लिमिटेड के प्रत्येक प्रचालनात्मक बेस पर पवन हंस लिमिटेड के दल द्वारा नियमित रूप से गहन आंतरिक ऑडिट किया जा रहा है। सभी विभागों में आवधिक तौर पर संरक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा इनमें संरक्षा उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाती है तथा जहां कहीं आवश्यकता हो उचित कार्रवाई की जाती है। तथापि, यह प्रक्रिया अनवरत जारी है तथा अब यह पवन हंस लिमिटेड की व्यावसायिक नीति का एक भाग बन चुकी है। संरक्षा उपायों तथा निगरानी यंत्र व्यवस्था का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के उद्देश्य से एमओई (एम ओ ई) में किए गए उल्लेखानुसार संरक्षा ऑडिट का अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है नागर विमानन अपेक्षाएं 145-ए 30-सी के अंतर्गत संगठनात्मक प्रक्रियाओं का गुणवत्ता ऑडिट, विमानों का गुणवत्ता ऑडिट एवं सुधार उपायों का अनुसरण किया जा रहा है। क्षेत्रों में कार्यरत इंजीनियरिंग विभाग प्रमुख, बेस डिटेचमेंट के अनुरक्षण कर्मी को यह उपर्युक्त नागर विमानन अपेक्षाओं का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों के संबंध में समय पर सुधार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं। उत्तरदायी प्रबंधक द्वारा सुधार कार्रवाईयों की देखरेख की जा रही है।

9. **निदेशक मंडल**

वर्ष 2014-15 में निदेशक मंडल की सात बैठकें आयोजित की गई। निदेशक मंडल में विद्यमान तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित सदस्य थे:-

<u>विद्यमान</u>

डॉ. बी. पी. शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (09.03.2015 से)
श्रीमती मणि सथियावथी	वित्त परामर्शदाता एवं सहायक सचिव-नागर विमानन मंत्रालय (4.4.2014-30.12.2014) तथा नागर विमानन महानिदेशक (31.12.2014 से)
श्री टी.के. सेनगुप्ता	निदेशक (अपतट), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (01.02.2014 से)
एवीएम ए.एस. बुटोला	एसीएएस (प्रचालन, टी एंड एच), वायु सेना (05.05.2014 से)
श्रीमती गार्गी कौल	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता (30.04.2015 से)
श्रीमती ऊषा पाधी	संयुक्त सचिव-नागर विमानन मंत्रालय (13.08.2015 से)

<u>अब निदेशक नहीं</u>

श्री बी.एस.भुल्लर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.01.2015 से)
श्री अनिल श्रीवास्तव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (23.03.2012 से 31.12.2014)
सुश्री पूजा जिंदल	निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय (04.04.2014 से 06.01.2015)
श्री प्रभात कुमार	महानिदेशक, नागर विमानन (01.01.2014 से 30.12.2014)
श्री जी. अशोक कुमार	संयुक्त सचिव-नागर विमानन मंत्रालय (12.01.2012 से 04.04.2014) तथा (06.01.2015 से 12.08.2015)
एवीएम एस.आर.के. नायर	एसीएएस (प्रचालन, टी एंड एच), वायु सेना (01.02.2013 से 05.05.2014)

यह निदेशक मंडल श्री बी.एस. भुल्लर, श्री अनिल श्रीवास्तव, श्री जी. अशोक कुमार, एवीएम एस.आर.के. नायर, सुश्री पूजा जिंदल तथा श्री प्रभात कुमार द्वार अपने कार्यकाल के दौरान प्रदत्त मूल्यवान सेवाओं के लिए अपना आभार रिकार्डबद्ध करता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा अंतिम वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थित से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

निदेशक का नाम		मंडल की बैठक की तिथि - वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति						निदेशकों की वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	
	21.5.14	20.8.14	26.9.14	17.10.14	25.11.14	23.12.14	19.3.15	30.12.14	19.3.15
अनिल श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	-
डा. बी.पी. शर्मा							हां	-	हां
मणि सथियावथी	हां	हां	हां	अवकाश	हां	अवकाश	हां	हां	हां
पूजा जिंदल	हां	अवकाश	अवकाश	अवकाश	हां	हां	-	-	-
जी. अशोक कुमार	-	-	-	-	-	-	हां	हां	हां
टी.के. सेनगुप्ता	हां	हां	अवकाश	हां	अवकाश	अवकाश	अवकाश	अवकाश	अवकाश
ए.वी.एम. ए.एस. बुटोला	हां	अवकाश	अवकाश	हां	हां	अवकाश	अवकाश	अवकाश	अवकाश
प्रभात कुमार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	-	-

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 164 के उपबंधों के अनुसार कम्पनी का कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

वार्षिक आम बैठकों का तिथि विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों को विवरण नीचे दिया गया है:-

वार्षिक आम बैठक	वा.आ.बै. का समय	वा.आ.बै. का आयोजन स्थल	विशेष संकल्प, यदि कोई हों
दिनांक 27.12.2012 को आयोजित 27वीं वार्षिक आम बैठक	04.30 बजे	सफदरजंग हवाईअड्डे, नई दिल्ली-110003 में स्थित पंजीकृत कार्यालय	कम्पनी का नाम "पवन हंस हैलीकॉप्टर्स" के स्थान पर "पवन हंस लिमिटेड" किया जाना
दिनांक 18.12.2013 को आयोजित 28वीं वार्षिक आम बैठक	12.30 बजे	सफदरजंग हवाईअड्डे, नई दिल्ली-110003 में स्थित पंजीकृत कार्यालय	
दिनांक 30.12.2014 को आयोजित 29वीं वार्षिक आम बैठक	12.30 बजे	सफदरजंग हवाईअड्डे, नई दिल्ली-110003 में स्थित पंजीकृत कार्यालय	
दिनांक – नवम्बर,2014 को आयोजित 30वीं वार्षिक आम बैठक	12.30 बजे	सफदरजंग हवाईअड्डे, नई दिल्ली-110003 में स्थित पंजीकृत कार्यालय	

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से संबंधित विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 203(1) तथा कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 8(5)(iii) के अनुसरण में कम्पनी के पास निम्नलिखित पूर्ण कालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं:-

(i) डॉ. बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (09.03.2015 से)

(ii) श्री धीरेन्द्र सहाय, मुख्य वित्तीय अधिकारी (बोर्ड द्वारा 145वीं बैठक में दिए अनुमोदन के अनुसार 17.10.2014 से प्रभावी)

(iii) श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव (बोर्ड द्वारा 145 वीं बैठक में दिए अनुमोदन के अनुसार 17. 10.2014 से प्रभावी)

IX. निदेशक का उत्तरदेयता विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के संबंध में निदेशक द्वारा:-

(क) वार्षिक लेखा की तैयारी के लिए लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, का समावेश किया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के क्रियाकलापों की सत्य एवं स्पष्ट रूपरेखा तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी की लाभदेयता को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है तथा उनका सुसंगत प्रयोग किया गया है जो निर्धारण एवं अनुमानों के लिए औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत हैं।

(ग) कम्पनी की परिसम्पतियों के संरक्षण तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं उनकी खोज के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत लेखांकन के उपयुक्त रिकार्ड का अनुरक्षण उचित एवं पर्याप्त सावधानी के साथ किया गया है; तथा

(घ) वार्षिक लेखों का निर्माण संबद्ध प्रयोजन आधार पर किया गया है।

(ङ) सभी लागू विधानों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिस उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है वह प्रक्रिया यथोचित एवं कार्यकुशल थी।

X. ऑडिटरों की रिपोर्ट

सांविधिक ऑडिट रिपोर्ट: कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 139 के अनुसरण में मैसर्स खन्ना एंड आनन्दनम को सांविधिक ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। मैसर्स खन्ना एंड आनन्दनम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखे के संबंध में किए गए प्रेक्षण तथा उनसे संबंधित उत्तर अनुबंध-क (पृष्ठ संख्या 105 देखें) पर दिए गए हैं।

भारत के नियंत्रण एवं महालेखाकार की रिपोर्ट: कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(क) के अनुसरण में निधंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा टिप्पणियां अनुबंध-ख (पृष्ठ संख्या 113 देखें) पर दी गई हैं।

साचिविक ऑडिट रिपोर्ट: कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड (1) का अनुपालन करते हुए कम्पनी द्वारा 31.3.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक अनुपालन ऑडिट किए जाने हेतु साचिविक ऑडिटर्स के रूप में सतत कार्यरत मैसर्स एसजीएस एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। उनकी रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुबंध ग (पृष्ट सं. 113) पर प्रस्तुत की गई है।

साचिविक ऑडिटरों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(4) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में उपलब्धि न होने के संबंध में की गई टिप्पणी के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि एक सरकारी कम्पनी होने के नाते पवन हंस के निदेशक मंडल के सभी निदेशकों की कम्पनी में नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति किए जाने का मामला पहले से ही नागर विमानन मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जा चुका है।

XI. निगमित सुशासन

कम्पनी द्वारा निगमित संचालन के संबंध में प्रयास किए गए हैं तथा इसके क्रियाकलापों को विभिन्न भागीदारों द्वारा सराहा गया है। कम्पनी द्वारा लोकउद्यम विभाग द्वारा दिनांक 6.07.2007 को जारी निगमित संचालन दिशानिर्देशों को अंगीकार किया गया है। लोकउद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2010 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इन दिशानिर्देशों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है।

ऑडिट समिति: निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी अधि नियम, 2013 के खंड 177 का अनुसरण करते हुए वित्तीय विवरणियों, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट, सांविधिक ऑडिटरों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों की समीक्षा करने तथा वित्तीय वर्ष में अपेक्षित बैठकों का आयोजन करने के लिए एक ऑडिट समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ऑडिट समिति की बैठकें दिनांक 25.11.2014 तथा 19.03.2015 को आयोजित की गई थी। ऑडिट समिति की अध्यक्ष श्रीमती गार्गी कौल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता, नागर विमानन मंत्रालय हैं तथा एवीएम ए.एस. बुटोला, एसीएएस (प्रचा.टी एंड एच), वायु सेना मुख्यालय, श्री टी.के. सेनगुप्ता, निदेशक (अपतट) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, तथा श्रीमती ऊषा पाधी, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय इसकी सदस्य हैं।

आंतरिक ऑडिट/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली/शक्तियों का प्रत्यायोजन: वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान दो सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा आंतरिक ऑडिट किया गया था। कम्पनी द्वारा अक्टूबर, 2015 से अपने प्रचालनों के आकार के अनुरूप आंतरिक ऑडिट विभाग की स्थापना की गई है। निदेशक मंडल की ऑडिट समिति द्वारा ऑडिट पर्यवेक्षणों की संवीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है तथा जहां अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक निदेश जारी किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रिया के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 1 नवम्बर, 2015 से प्रभावी संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन मैनुअल से अपने विभिन्न अधिशासियों के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन विधिवत परिभाषित किया गया है।

कर्मचारी कल्याण: कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को वृहद चिकित्सा सुविधा, आवास ऋण, सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा सुविधा एवं सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से कल्याण लाभ प्रदान किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा अपनी नीतियों का संरेखण अर्थव्यवस्था एवं व्यावसायिक पर्यावरण के बदलते परिवेश के अनुरूप किया जाता है। कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए तीन ट्रस्ट यथा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट तथा कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रपति के निदेश: इस वर्ष के राष्ट्रपति निदेश जारी नहीं किए गए हैं।

चौकसी तंत्र व्यवस्था: चौकसी यंत्र व्यवस्था के एकीकृत भाग के रूप में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए कम्पनी द्वारा कर्मचारियों एवं जनता को उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए सरल यंत्र व्यवस्था स्थापित की गई है। सरकारी लोक शिकायत पोर्टल पर लोक शिकायतों की नियमित मॉनीटरिंग एक समर्पित अधिकारी द्वारा की जाती है।

आचरण संहिता: कम्पनी द्वारा निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचरण संहिता तैयार करके उसे कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

सचेतक नीति: एक सचेतक नीति कार्यान्वित की गई है। इस नीति से किसी विशुद्ध सचेतक को शिकायत जांच अधिकारी तथा ऑडिट समिति तक पहुंच उपलब्ध करवाए जाने सहित किसी भी प्रकार के अत्याचार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह नीति कम्पनी के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है तथा इसे कम्पनी के इन्टरानेट पर अपलोड किया गया है।

सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन कार्यान्वयन

कम्पनी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याधीन निगमित कार्यालय में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा पश्चिमी क्षेत्र में सहायक लोक सूचना

अधिकारी के समक्ष प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए अपने समग्र संगठन में व्यवस्था स्थापित की गई है। निगमित कार्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी भी नामित किया गया है। कम्पनी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियिम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर त्वरित कार्रवाई की गई है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

महिला सशक्तिकरण: कम्पनी के कार्यबल में महिला कर्मचारियों द्वारा विशेष भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा महिलाओं को लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद्ध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का अनुसरण किया गया है।

नागरिक चार्टर: कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा फार्मेट के अनुरूप नागरिक चार्टर प्रदर्शित किया गया है।

सत्यनिष्ठा समझौता: कम्पनी द्वारा ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ दिनांक 9.11.2011 को सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सत्यनिष्ठा समझौता के अंतर्गत विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली एक करोड़ से अधिक मूल्य की प्रमुख निविदाएं आती हैं।

संबद्ध पार्टी कार्य व्यवहार: कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 188 के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया संबद्ध पार्टी कार्य व्यवहार अनुबंध पर प्रस्तुत है।

व्यावसायिक कम्पनी सचिव से निगमित संचालन दिशानिर्देशों का अनुसरण किए जाने का प्रमाण पत्र

व्यावसायिक कम्पनी सचिव से निगमित संचालन दिशानिर्देशों का अनुसरण किए जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

पारिश्रमिक समिति: कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 178(1) के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल से 3 अथवा अधिक गैर-अधिशासी निदेशकों से युक्त नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसमें कम से कम आधे सदस्य सरकार से स्वतंत्र निदेशक के नाम का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किए जाएगे। स्वतंत्र निदेशकों की वर्तमान नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय में विचाराधीन है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व: लोक उद्यम विभाग द्वारा निगमित सामाजिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत कम्पनी को सौंपे गए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। कम्पनी द्व रा लोक उद्यम विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के आधार पर सितम्बर 2010 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं उत्तरजीविता (सी एस आर एस) नीति का निर्माण किया गया है। उपर्युक्त के आधार पर पूर्व तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ के औसत का प्रत्येक वर्ष कम से कम 2% सीएसआर नीति के अंतर्गत व्यय किया जाना अपेक्षित किया गया है तथा तदनुसार सीएसआर में पूर्व वर्षों के लिए 224.43 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹69.53 लाख की राशि के प्रावधान किए गए हैं। कम्पनी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 44.72 लाख (8.72 लाख स्वास्थ्य सेवाओं, 13.70 लाख प्राकृतिक संसाध नों के संरक्षण तथा 22.30 लाख प्रशिक्षण एवं कौशल विकास) पर व्यय किए गए हैं। व्यय न की गई 225.74 लाख की शेष राशि का विधिवत उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधि करण को 1 करोड़ शौचालयों के निर्माण के लिए दिए जाएंगे। कम्पनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 9 के उपबंधों के अनुसरण में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध ड. (पृष्ठ सं. 118) पर प्रस्तुत की गई है।

(XII) कम्पनी अधिनियम का अनुपालन

कर्मचारियों से संबंधित विवरण: निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की गजट अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधि नियम के खंड 197(12) के प्रावधान पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं। पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें एवं निबंधनों का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कम्पनी सचिव के वेतन तथा नियुक्ति की शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण प्रमुख प्रबंधन कार्मिक होने के कारण लोक उपक्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करते हुए किया जाता है।

प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट: प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट को शमिल करते हुए इसे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में स्थान दिया गया है।

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेशन: कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के नियम 8(3) (क) तथा (ख) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी समावेश से प्राप्त होने वाला प्रभाव अत्यंत सीमित है। जहां कहीं आवश्यकता होती है वहां कॅम्पनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण, आयात प्रतिस्थापन, आंतरिक अनुरक्षण, उत्पादन सुधार, लागत कटौति तथा अनुसंधान एवं विकास संबंध में उपाय किए जा रहे हैं।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय: कम्पनी द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान रुपए 106.27 करोड़ (पिछले वर्ष रुपए 112.87 करोड़) की विदेशी मुद्रा आय प्राप्त हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय की राशि रुपए 106.26 करोड़ (पिछले वर्ष रुपए 97.02 करोड़) हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति: कम्पनी अधिनियम के खंड 134(3) (एन) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास के लिए जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता की खुली निविदा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आंतरिक समिति का गठन किया जा रहा है। निविदा शीघ्र ही जारी की जाएगी।

वार्षिक विवरणी का संक्षेप सार: कम्पनी अधि नियम के खंड 92(3) की अपेक्षाओं के अनुसार फार्म एमजीटी-9 में वार्षिक विवरणी का संक्षेप सार अनुबंध-पर प्रस्तुत किया गया है।

निदेशक की नियुक्ति इत्यादि हेतु नीति: निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की गजट अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम के खंड 134(3)(ई) के प्रावधान पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं।

निष्पादन मूल्यांकन: निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की गजट अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम के खंड 134(3)(पी) के प्रावधान पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं।

सांविधिक प्रकटीकरण

(क) वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमाराशियां नहीं ली गई हैं।

(ग) विनियमाकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्व ारा कम्पनी की प्रतिष्ठा तथा प्रचालनों पर भविष्य में किसी प्रकार के प्रभाव डालने में संबंधित कोई महत्वपूर्ण अथवा तात्विक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) कम्पनी द्वारा उचित मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा विभिन्न व्यवसाय व्यवहारों, प्रचालनों के कार्यकौशल तथा सांविधिक विधानों, विनियमों एवं कम्पनी नीतियों के अनुसरण का सुनिश्चय किया जाता है।

(ङ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति यथा 31.3.2015 तक तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने से संबंधित किसी प्रकार का तात्विक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता नहीं है।

राजभाषा नीति:

विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की दिशा में हिन्दी दिवस / सप्ताह का आयोजन, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाने तथा द्विभाषिक विज्ञापन जारी करने एवं राजभाषा अधि नियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन किए जाने जैसे कार्य करते महत्वपूर्ण कार्यान्वयन किए गए हैं। कम्पनी द्वारा अपने सभी कार्यालयों के लिए यूनिकोड हिन्दी साफ्टवेयर प्रारम्भ किया गया है तथा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।

XIII. नि:शक्त जन के लिए रोजगार एवं प्राथमिकता प्राप्त वर्ग के लिए सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन

कम्पनी द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान, अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधि नियम, 1995 के संबंध में सभी विधिक

प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त वर्ग यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

XIV. सतर्कता

कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में एक सतर्कता विभाग स्थापित किया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए ई-निविदा, ई-टिकटिंग, ई-भुगतान तथा फाईल ट्रैकिंग को कार्यान्वित किया गया है। प्राप्तियों के संबंध में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए नवम्बर, 2011 में ट्रांसप्रेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ सत्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से एक स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (IEM) की नियुक्ति भी की गई है। कम्पनी की सचेतक नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है।

सतर्कता की दृष्टि से आवश्यक समझे गए मामलों के संबंध में सतर्कता मामले प्रारम्भ किए गए हैं तथा कुछ अधिकारियों / वरिष्ठ अधिशासियों को प्रमुख दंड प्रक्रियाओं के लिए आरोप पत्र जारी किए गए हैं। सतर्कता विभाग की कार्यात्मकता में सचेतना के परिणामस्वरूप संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है और साथ ही इसकी छवि उत्तरदेयता के आचरण के प्रति सुधार हुआ है। सतर्कता विभाग द्वारा कर्मचारियों को निविदा प्रक्रिया, प्राप्तियों एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्राप्तियों एवं निविदाओं के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों की जानकारी देने के लिए दूसरी सहायक पुस्तिका जारी की गई है।

सतर्कता विभाग द्वारा कार्यकुशलता में वृद्धि लाने, व्ययों को कम करने तथा पारदर्शिता प्रदान करने के उद्देश्य से विशेषकर विद्यमान प्रक्रियाओं तथा कार्य प्रणालियों में सुधार लाने एवं उन्हें सरल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मामलों के मामला अध्ययन भी किए जा रहे हैं। ऐसे अध्ययन देरी के मामलों से संबंधित हैं जिनके देरी के कारण तथा देरियों को कम करने के लिए उचित संभव प्रक्रिया अपनाकर देरी के कारणों को कम करने तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त करने की ओर दिया गया है। ऐसे अध्ययनों में पारदर्शिता स्थापित करने तथा सतर्कता यंत्र व्यवस्था को सबल बनाने के लिए वार्षिक सम्पत्ति विवरण की समीक्षा, सतर्कता जागरूकता प्रशिक्षण, कलपुर्जों की प्राप्ति तथा प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने की ओर भी ध्यान दिया गया है।

विचाराधीन अवधि के दौरान सतर्कता विभाग द्व ारा कारावती डिटेचमेंट पर सूचित की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच की गई। जांच से सिस्टम तथा मॉनीटरिंग यंत्र व्यवस्था की अपर्याप्त ज्ञात हुई है। लक्षद्वीप बेस पर घटित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

XV. सराहना

हाल ही में पवन हंस को अपने समग्र प्रचालनात्मक एवं संवहनीय व्यावसायिक निष्पादन में प्राप्त श्रेष्ठता के प्रति मान्यता प्राप्त हुई है तथा इसे निम्नलिखित मूल्यवान अवार्ड / मान्यताएं प्रदान की गई हैं :

(1) वर्ष के दौरान व्यावसायिक विधिता में उत्कृष्टता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की श्रेणी में न्यू लिंक लिजेंड पीएसयू शाइनिंग अवार्ड - 2013

(2) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा लोनावाला में आयोजित 18वें सीईओ सम्मेलन कै दौरान दिनांक 4 जुलाई, 2014 को पद्मश्री पद्मभूषण डॉ. सिवाथानु पिल्ले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, ब्राह्मोस एयरोस्पेस द्वारा वर्ष 2012-13 में ओवर ओरगेनाईजेशनल इफैक्टिवनेस के लिए स्वर्ण श्रेणी में प्रदत्त ओपरेशनल एक्सीलैंस अवार्ड।

(3) ई-गवर्नेंस द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2014 को आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम शिखर सम्मेलन 2014 के दौरान सेवा सेक्टर के लिए माननीय मंत्री श्री तपंग तालोह, शिक्षा, पुस्तकालय, वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प मंत्री, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त ''प्रोफारमेंस-हाइएस्ट टर्नअराउंड'' अवार्ड।

(4) निदेशक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28-31 अक्तूबर, 2014 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय

वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार), वित्त एवं निगमित कार्य राज्य मंत्री द्वारा वर्ष 2014 के लिए प्रदत्त 'स्वर्ण मयूर संवहनीयता अवार्ड'।

(5) श्री एम. वेंकेंय्या, माननीय केन्द्रीय मंत्री तथा भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक चावला द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 20-21 नवम्बर, 2014 को आयोजित चिरस्थायी एवं संतुलित व्ययवसाय निष्पादन एवं नेतृत्व की स्थिति हासिल करने के लिए हैलीकॉप्टर परिवहन सेवाओं हेतु भारत की सर्वोत्तम परियोजनाएं-2014 के लिए योग्य पाए जाने पर प्रदत्त स्कॉच नवचेतना अवार्ड।

(6) जून में अनर्थकारी बाढ़ एवं भूस्खलन से उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान राहत हैलीकॉप्टर प्रचालन करके 20,000 लोगों का बचाव करने तथा 500 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अमेरिकन हैलीकॉप्टर सोसायटी (एएचएस) द्वारा पवन हंस को कैप्टन विलियम जे. कॉस्सलर अवार्ड प्रदान किया गया।

(7) वर्ल्डवाईड एरियल इंजन फ्लीट की सफलता में अपना समग्र योगदान देने के लिए लिए वर्ष 2015 में, पेरिस में आयोजित एयर शो के दौरान मैमर्स टर्बोमेका द्वारा पवन हंस को प्रदान किया गया उत्कृष्टता अवार्ड।

(8) 32,000 से अधिक दुर्घटना रहित घंटों के अत्याधिक उत्तम संरक्षा रिकोर्ड की प्राप्ति के लिए हैलीकॉप्टर एसोसियशन इंटरनेशल (एचएआई) द्वारा पवन हंस वर्ष 2014 के लिए आपरेटर सेफ्टी अवार्ड प्रदान किया गया।

(9) पवन को उत्तम द्वारा विमानन कम्पनी के रूप में दूरस्थ एवं क्षेत्रीय सम्पर्कता में संवर्धन के लिए एएसएसओसीएचएएम-नागर विमानन एपं पर्यटन अवार्ड-2015 प्रदान किया गया है।

XVI. उदयीमान परिदृश्य

उदयीमान परिदृश्यों में कम्पनी के सम्मुख प्रतिस्पर्द्धा, गुणवत्ता एवं लागत प्रभाव्यता जैसे अवसर तथा चुनौतियां सम्मुख उपस्थित हैं। भारत में पवन हंस सबसे बड़ी हैलीकॉप्टर कम्पनी है तथा इसके

माननीय नागर विमानन मंत्री एवं राज्य मंत्री से पवन हंस को प्राप्त सर्वोतम सामान्य विमानन कंपनी पुरस्कार

प्रचालन एवं अनुरक्षण मानक उसी प्रकार से उच्च हैं। कम्पनी द्वारा संरक्षा एवं निष्पादन की दिशा में चौमुखी उत्कृष्टकता प्राप्त करने के उद्देश्य को सम्मुख रख कठोर अनवरत प्रयास किए गए हैं। कम्पनी अब अपनी शक्ति एवं कौशल के उपयोग से हैलीकॉप्टर परिचालनों के लिए एशियाई बाजार का नेतृत्व करने तथा विमानन उत्पादों की मरम्मत एवं ओवरहॉल लिए वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में भाग लेने के अपने लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में हैं।

XVII. कृतज्ञता

यह निदेशक मंडल भारत सरकार के विभन्न मंत्रालयों, विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनवरत प्रदत्त सहयोग, दिशानिर्देशन एवं सहायता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

यह निदेशक मंडल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड, विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य ग्राहकों एवं अन्य देश में प्रचालन कर रहे अन्य सभी भागीदारों द्वारा प्रदत्त विश्वास के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करता है।

यह निदेशक मंडल कम्पनी की प्रगति के लिए कार्यरत सभी वर्ग के अपने कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सत्यनिष्ठ एवं समर्पित सेवाओं के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता है।

कृते तथा
पवन हंस लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से
(डा. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 18 दिसम्बर, 2015
स्थान : नई दिल्ली

हैलीकॉप्टर प्रचालनों के संबंध में सिंहावलोकन

औद्योगिक संरचना एवं विकास

भारत में हैलीकॉप्टरों के लिए संभावनाएं अपार हैं। विविध परिस्थितियों में उड़ान भरने के हैलीकॉप्टरों के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए तथा फिक्स्ड विंग वाले विमानों की अवसंरचना का विस्तार केवल आनुक्रमिक रूप से ही संभव हो सकने के तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए हैलीकॉप्टरों का अभूतपूर्व गति से विकास स्वत: स्वाभाविक ही है। वर्तमान में भारत में लगभग 276 नागर हैलीकॉप्टर प्रचालन कर रहे हैं जो 35,750 के अंतर्राष्ट्रीय आंकडे की तुलना में अत्यंत कम हैं। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 के दौरान नागर हैलीकॉप्टरों की संख्या कुल 300 से घटकर 267 होने से हैलीकॉप्टर उद्योग का नकारात्मक विकास हुआ तथा वर्ष 2014-15 में कुछ हैलीकॉटर जोड़े जाने से नागर हैलीकॉप्टरों की कुल संख्या बढ़कर 276 हो गई। यह प्रचालन की बढ़ती लागत के परिणामस्वरूप हुआ था जो अधिकांश हैलीकॉप्टरों तथा उनके कलपूर्जो के आयात के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मुद्रा अमेरिकी डालर/यूरो की तुलना में रूपए के अवमूल्यन सहित अन्य अनेक घटकों के कारण है। इसके अलावा हवाईअड्डा प्रशुल्क, एयर टर्बाइन फ्यूल की लागत तथा स्थल संचलन प्रभारों में बढ़ोतरी होने से प्रचालनों की लागत में वृद्धि हुई। ये सभी कारण थे जिनके कारण हैलीकॉप्टर प्रचालन अव्यवहार्य हुए और अनेक प्रचालकों को अपने हैलीकॉप्टर का निपटान विदेशों में करना पड़ा। तथापि, अर्थव्यवस्था के बदलते हुए स्वरूप एवं रुपए के मूल्य में स्थिरता तथा सरकारी सेक्टर में बढ़ रही हैलीकॉप्टरों की मांग को ध्यान में रखते हुए आशा है कि प्रचालनों की लागत किफायती होगी तथा नागर हैलीकॉप्टरों का बेड़ा पुन: निकट भविष्य में विकास का रूख अख्तियार करेगा।

इन स्थितियों में भी हमारे देश में लगभग 276 नागर हैलीकॉप्टर पंजीकृत हैं तथा हमारी जनसंख्या लगभग 1.25 बिलियन है जिसके अनुसार प्रति 47 लाख व्यक्तियों के लिए हमारे पास एक हैलीकॉप्टर है तथा इस स्थिति के अनुसार हम विश्व के अनेकों विकासशील देशों से काफी पीछे हैं।

फिक्स्ड विंग वाले विमानों तथा रोटेरी विंग विमानों के संबंध में देश का आर्थिक विकास विमानन विकास के लिए उत्प्रेरक रहा है। सरकार द्वारा प्रतिपादित की गई उचित नीतियों से भी विकास को बढ़ावा मिला है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से देश में नागर हैलीकॉप्टरों के विकास के प्रति रूझान की झलक प्रतीत होती है।

भारत में हैलीकॉप्टर प्रचालनों के विकास को सौभ्य बनाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अलग से एक हैलीकॉप्टर विकसित किया गया है। इस सेक्टर के विकास के लिए हैलीकॉप्टरों के लिए विनियामक व्यवस्था को निंरतर उन्नत किए जाने की आवश्यकता है।

विषय	अनुकूल प्रयास
हैलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से हवाई सम्पर्कता	हैलीकॉप्टर प्रचालनों का त्वरित विकास
अवसंरचना निर्माण	1. देश में हैलीपोर्टों तथा हैलीपैडों का निर्माण 2. हैलीकॉप्टरों के विश्व श्रेणी के अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) केन्द्रों का विकास 3. मानव संसाधन श्रमता विकास के लिए हैलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2014-15 के दौरान भारत में पंजीकृत नागर हैलीकॉप्टरों के विकास को दर्शाने वाला रेखाचित्र:

भारत में पंजीकृत नागर हैलीकॉप्टरों का विकास (टर्बाइन)

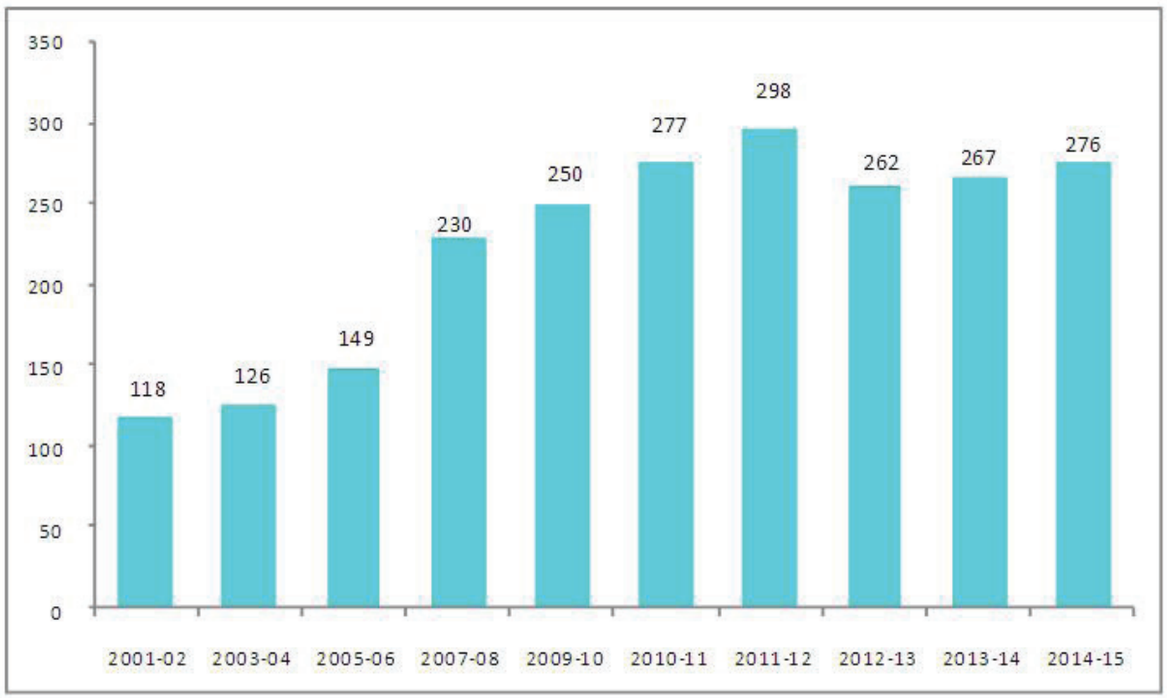

वर्ष 2014 की स्थिति के अनुसार भारत में पंजीकृत कुल 276 नागर हैलीकॉप्टरों में से 199 हैलीकॉप्टरों के बेड़े का प्रचालन 75 गैर अनुसूचित प्रचालकों द्वारा किया जा रहा है, 16 सरकारी प्रचालकों के पास 30 हेलीकॉप्टर हैं तथा 24 निजी प्रचालकों के पास 34 हैलीकॉप्टर हैं। कुल 276 हैलीकॉप्टरों में से 56% अर्थात कुल 140 हैलीकॉप्टर दोहरे इंजन वाले हैं तथा शेष देश के कुल हैलीकॉप्टर बल का 44% अर्थात 127 हैलीकॉप्टर एकल इंजन वाले हैं। देश में नागर प्रयोग के लिए कुल 276 हैलीकॉप्टरों में से 43 हैलीकॉप्टर (15.53%) ई एंड पी कम्पनियों को परिचालनों में सहयोग के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, 217 हैलीकॉप्टर (76.53%) हैलीचार्टरों के रूप में तथा 22 हैलीकॉप्टर (7.94%) तीर्थयात्रा/हैली पर्यटन के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। (स्रोत: भारत की हेलीपावर के संबंध में आरडब्ल्यूएसआई की रिपोर्ट, मार्च, 2015)

वर्तमान में पवन हंस के पास अपने 45 हैलीकॉप्टर तथा अन्य एजेंसियों के स्वामित्व वाले 7 हैलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए हैं। भारत में पांच अथवा अधिक हैलीकॉप्टरों के साथ 6 वाणिज्यिक प्रचालकों द्वारा प्रचालन किए जा रहे हैं। पवन हंस सबसे बड़ा प्रचालक है तथा दीर्घकालिक आधार पर प्रयोग में लाए जा रहे वाणिज्यिक प्रचालनों का प्रमुख बाजार अंश इसके पास है। ग्लोबल वैक्ट्रा हैलीकॉर्प लिमिटेड दूसरा सबसे बड़ा हैलीकॉप्टर प्रचालक है तथा इसके 21 हैलीकॉप्टरों से प्रचालन किए जा रहे हैं। अन्य वाणिज्यिक प्रचालकों में हिमालयन हैली सर्विस द्वारा 5 हैलीकॉप्टरों के साथ, हैलीगो चार्टर्स द्वारा 8 हैलीकॉप्टरों के साथ तथा दक्कन हैलीकॉप्टर्स 5 हैलीकॉप्टर, एचएएल रोटेरी विंग अकादमी 6 तथा ओएसएस एयर द्वारा 5 हैलीकाप्टरों के साथ प्रचालन किए जा हैं।

कम्पनी के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले संभावी (अवसरों) तथा जोखिमों के संबंध में कम्पनी की आउटलुक के लिए प्रबंधन मूल्यांकन

नेतृत्व की अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा उल्लिखित 5 प्रमुख प्रयास के लिए निमित्त किए गए हैं:-

- हैलीकॉप्टर प्रचालन

- विद्यमान बाजार में अपनी प्रतिस्पद्धी स्थिति को सशक्त करना
- नए बेड़े का अधिग्रहण
- नए क्षेत्रों में व्यवसाय संवर्धन
- अन्यों के स्वामित्व वाल हैलीकॉप्टरों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए करार
- अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल सेवाओं की स्थापना
- हैलीपोर्टों तथा हैलीहब की स्थापना
- सी-प्लेन प्रचालन
- फिक्स्ड विंग प्रचालन
- ग्राहक संतुष्टि में संवर्धन

विद्यमान बाजार में अपनी प्रतिस्पद्धी स्थिति को सशक्त करना

- बाजार लाभ की प्राप्ति के लिए विद्यमान करारों का नवीकरण
- संरक्षा एवं विश्वसनीयता के उच्च मानकों का अनुरक्षण
- मध्यम क्षेणी के नए हैलीकॉप्टरों का अधिग्रहरण करते हुए ऑफशोर (अपतट) प्रचालनों के लिए क्षमता में वृद्धि लाना।
- जब कभी अवसर उपलब्ध हो चयनित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रारम्भ करना
- प्रतिस्पर्द्धा हेतु ग्राहक आवश्यकताओं के प्रति अधिक ध्यान देते हुए अनुकूलता का संवर्धन
- ग्राहकों एवं अन्य व्यावसायिक सहभागियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना।

नए बेड़े का अधिग्रहण

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के दौरान योजना आयोग द्वारा पवन हंस के संबंध में किए गए प्रक्षेपण में 10 हेलीकॉप्टरों तथा 2 सी-प्लेनों के अधिग्रहण, उपकरणों के आयात, अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना/संयुक्त उद्यम, भवन परियोजना तथा अन्यों के संबंध में आईईबीआर के माध्यम से कुल ₹725 करोड़ की राशि का अनुमोदन दिया गया है।

इसके अलावा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के संबंध में हाल ही की गई कर्मीदल परिवर्तन निविदा में 7 वर्ष की विशिष्टता (विंटेज) की शर्त रखी गई है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के साथ किए गए विद्यमान करारों के अंतर्गत विशिष्टता (विंटेज) के प्रावधान हैं जिसके अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की सेवा में हैलीकॉप्टर प्रदान किए जाने वाले हैलीकॉप्टरों की विशिष्टता (विंटेज) 7 वर्ष होनी आवश्यक है। 3 डॉफिन एन 3 हैलीकॉप्टरों के लिए पवन हंस का चयन निम्नतम मूल्य की निविदा (एल1) के लिए किया गया है तथा अगले 5 वर्षों यथा 2015-2020 के लिए संविदा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। ग्लोबल वैक्टर को 2 हैलीकॉप्टरों के लिए कर्मीदल परिवर्तन संविदा प्राप्त करने में सफलता मिली है। 7 डॉफिन एन 3 हैलीकॉप्टरों के लिए उत्पादकता कार्य की संविदा मार्च, 2017 में समाप्त होने वाली है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की वर्ष 2016 में संभावित अगली निविदा के लिए पवन हंस को मध्यम/माध्यमिक श्रेणी के और हैलीकॉप्टरों की आवश्यकता पड़ सकती है।

इसके अलावा, ब्रिटिश गैस, जीएसपीसी, कैर्न एनर्जी, पैट्रो गैस इत्यादि जैसी अन्य ऑफशोर (अपतट) कम्पनियां हैं जिन्हें हैलीकॉप्टरों की आवश्यकता पड़ सकता है तथा तदनुसार इन आवश्यकता के संबंध में पवन हंस द्वारा अपने संशोधित प्रक्षेपणों के अंतर्गत विचार किए जाने की आवश्यकता है।

30 वर्ष की लाभदायी आयु वाले 18 डॉफिन एन 3 हॅलीकॉप्टरों के विद्यमान बेड़े का अधिग्रहण वित्तीय वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान किया गया था। इन हैलीकॉटरों की पूर्ण लाभदायी आयु वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान पूरी होगी। तदनुसार, इनमें से 9 हैलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े में अपेक्षानुसार के पुराने बेड़े में अपेक्षानुसार थोड़ा सुधार करते हुए इनका निपटान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में किए जाने की योजना बनाई गई है तथा शेष 9 हैलीकॉप्टरों

का निपटान वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में किया जाएगा।

बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हैलीकॉप्टरों के अधिग्रहण/निपटान के संबंध में किए प्रक्षेपणों की अब समीक्षा करके इन्हें संशोधित किया गया है। तदनुसार, पूर्व प्रक्षेपित ₹559.35 करोड़ की लागत से 10 हैलीकॉप्टरों का अधिग्रहण किए जाने के स्थान पर अब 22 हैलीकॉप्टरों का अधिग्रहण किया जाना प्रक्षेपित किया गया है जिसमें 2 हल्के दोहरे इंजन वाले हैलीकॉप्टर, 17 मध्यम हैलीकॉप्टर तथा 01 एमआई-172 हैलीकॉप्टर का अधिग्रहण ₹1189.50 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जाना है। संशोधित योजना अनुमोदन के लिए नागर विमानन मंत्रालय में प्रस्तुत कर दी गई है।

नए क्षेत्रों में व्यवसाय संवर्धन

- चिकित्सा बचाव कार्य, विधि प्रवर्तन, समाचार संग्रहण, प्रमुख नगरों के नगर केन्द्रों से हवाईअड्डा क्नेक्ट करने के लिए नगरों के मध्य परिवहन, निगमित यात्रा, पावर इनसुलेटरों की हॉटलाईन वाशिंग इत्यादि।
- देश में पर्यटन/तीर्थ क्षेत्रों के लिए अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं जिनकी ओर बस सावधानी पूर्वक कदम ही बढ़ाए जाने अपेक्षित हैं। इन उद्देश्यों से नए क्षेत्रों की खोज हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, दक्षिण भारत, गोवा तथा पूर्वोत्तर राज्यों से की जा सकती है।

आपदा प्रबंधन-समर्पित आपात चिकित्सा सेवाएं/एस ए आर प्रचालन

- तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को देश में पहला मैडीवैक हैलीकॉप्टर पवन हंस लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाया गया था।
- पवन हंस लिमिटेड द्वारा एनडीएमए के सहयोग से मैडीवैक/एस ए आर सैक्टर के लिए संभावनाओं की खोज की जाएगी।
- आपात चिकित्सा सेवाओं/एस ए आर भूमिकाओं एवं बेहतर गवर्नेंस के लिए जिला स्तरों पर हैलीपैड/हैलीपोर्टों के निर्माण के लिए जीबीएस के माध्यम से वित्तीय समर्थन दिया जाना अपेक्षित है।

हैलीकॉप्टर अनुरक्षण सेवाएं

डॉफिन श्रृंखला के हैलीकॉप्टरों के लिए पवन हंस मैसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस का प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्र है। शुरूआती दौर में पवन हंस डॉफिन के बेड़े का प्रयोग करने वाले अन्य प्रचालकों को सेवाओं की प्रस्तुति करते हुए मरम्मत एवं ओवरहॉल के अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। यह उद्देश्य से एक उत्कृष्ट श्रेणी का अनुरक्षण केन्द्र बनाए जाने की योजना बनाई गई है।

हैलीपोर्ट

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा रोहिणी, नई दिल्ली में हैलीपोर्ट के विकास का दायित्व सौंपा गया है। यह हैलीपोर्ट देश का पहला एकीकृत हैलीपोर्ट होगा तथा इसमें हैलीकॉप्टरों के प्रचालन तथा पर्किंग, अनुरक्षण सुविधाएं, छोटे वाणिज्यिक केन्द्र इत्यादि होंगे। अक्तूबर 2014 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य पूर्ण प्रगति पर है।

ग्राहक संतुष्टि में संवर्धन

पवन हंस द्वारा अपने यात्रियों तथा अन्य ग्राहक संस्थानों से समय-समय पर अपनी सेवाओं के प्रति जानकारियां प्राप्त की जाती है तथा इस कार्य के लिए एक बाह्य एजेंसी की सेवाएं उनसे ऐसी जानकारियां प्राप्त किए जाने के लिए ली गई हैं।

शक्ति एवं निर्बलता

पवन हंस के पास संस्थागत ग्राहकों (जैसे ओएनजीसी, राज्य सरकारें, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) को दीर्घकालिक आधार पर हैलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने, उत्कृष्ट श्रेणी की अनुरक्षण सुविधाएं, ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार का हैलीकॉप्टर बेड़ा होने का लाभ प्रतिस्पर्द्धा के रूप में उठाने, कुशल कार्य बल का विशाल स्परूप (अनुभवी पॉयलट, इंजीनियर तथा तकनीशियन) और सरकारी समर्थन जैसी कुछ शक्तियों हैं। तथापि, प्रतिस्पर्द्धा के विद्यमान परिवेश के परिणामस्वरूप निम्नतर हैलीकॉप्टर चार्टर दरें तथा बढ़ी हुई इनपुट लागत के परिणामस्वरूप आने वाले समय के लिए लाभ का मार्जिन घटने की आशा की गई है।

जोखिम एवं उनसे संबद्धता

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा

जीएसपीसी जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हैलीकॉप्टरों के लिए 7 से 10 वर्ष की विशिष्टता (विंटेज) शर्त के साथ निविदाएं जारी की गई हैं। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश द्वारा भी 5 वर्ष की विशिष्टता (विंटेज) के लिए हैवी हैलीकॉप्टरों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। ऐसी स्थिति में यदि यही चलन अन्य ग्राहकों द्वारा भी अपना लिया गया तो हैलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े के साथ नए ग्राहकों को खोजना कठिन हो जाएगा। ग्राहकों, विशेषकर राज्य सरकारों, से प्राप्त की जाने वाली वसूलियों की अवधि काफी लम्बी होती है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी राशियां बकाया रहती हैं। इससे कम्पनी का नकद प्रवाह प्रभावित होता है जिससे हैलीकॉप्टरों के नए बेड़े के लिए आवधिक ऋण को चुकता करने की निधि आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। बहरहाल, ग्राहकों के साथ किए जाने वाले अधिकांश करारों में विदेशी मुद्रा एवं एविएशन टर्बाइन फ्यूल की दरों के उतार चढ़ाव से बचाव के लिए प्रावधान रख दिए जाते हैं जिनके न किए जाने से नियत एवं निश्चित दरों पर चार्टर सेवाएं प्रदान करने पर ऐसे उतार चढ़ावों के परिणामस्वरूप इनपुट लागत बढ़ सकती है तथा लाभ के मार्जिन कम हो सकते हैं। विमानन व्यवसाय के संलक्षण आकाश तथा धरती पर संरक्षा के लिए हैं। हैलकॉप्टरों से होने वाली दुर्घटनाओं से ग्राहकों का विश्वास कम होता है तथा कम्पनी का व्यवसाय प्रभावित होता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां एवं उनकी पर्याप्तता

प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों में संस्थागत बेहतर प्रक्रियाओं का प्रयोग किए जाने के लिए मानक प्रक्रियाएं एवं दिशानिर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं। सभी क्रियाकलापों तथा परिसम्पतियों के अनाधिकृत प्रयोग की मॉनीटरिंग तथा प्रत्येक व्यवहार सही प्रकार से प्राधिकृत, रिकॉर्डबद्ध एवं सूचनाबद्ध होने का सुनिश्चय किए जाने के लिए पवन हंस में पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था की गई है। कम्पनी द्वारा सभी आंतरिक नियंत्रण नीतियों तथा प्रक्रियाओं का उनसे जुड़े विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन किए जाने का सुनिश्चय किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार सुधार कार्रवाई कर ली जाती है। निदेशक मंडल की ऑडिट समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता की देख रेख की जाती है। समय समय पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रचालनात्मक एवं संरक्षा की दृष्टि से ऑडिट किए जाते हैं।

वित्त एवं प्रचालनों का विश्लेषण

प्रत्येक तिमाही में भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन के औसत का विश्लेषण करके उसका स्वरूप निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। कम्पनी की वेबसाईट पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ कार्यालय से संबंधित समाचार नियमित एवं सुलभ स्वरूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

अंशकालिक निदेशकों तथा कम्पनी के मध्य वित्तीय अथवा व्यवहार संबंध

विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी भी अंशकालिक निदेशक के साथ कम्पनी के वित्तीय संबंध नहीं है। इसके अलावा, किसी भी अंशकालिक निदेशक को किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा उपस्थित प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध तथा प्रतिभा प्रबंधन मामले

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में कुल कर्मचारियों की संख्या 899 होने की तुलना में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में यह संख्या 879 है। वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द पूर्ण रहे। कम्पनी द्वारा अपने पॉयलटों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तथा नियमित आधार पर कर्मचारियों के संबंध में आंतरिक प्रशिक्षण विकास भी किए जाते हैं। कर्मचारियों के साथ औद्योगिक संबंध सामान्यत: सौहार्द पूर्ण हैं।

ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा प्रयोग तथा अनुसंधान एवं विकास मामले

ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकों का समावेश सदैव ही कम्पनी का परम लक्ष्य रहा है तथा विचाराधीन वर्ष के दौरान इस लक्ष्य को प्राथमिकता प्रदान की गई है। पर्यावरण एवं संरक्षा के घटकों को समाहित किए जाने से ज्ञात एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए कम्पनी को आईएसओ-14001 तथा 18001 प्रमाणन प्राप्त है। इस प्रमाणपत्र के नवीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। कम्पनी द्वारा रोहिणी में हैलीपोर्ट के विकास के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। नवोपाय के रूप में कम्पनी द्वारा कलपुर्जों के स्वदेशीकरण एवं एचएमयू (डॉफिन एन-3 हैलीकॉप्टरों) की विश्वसनीयता में संवर्धन के लिए अध्ययन किए गए हैं।

वित्तीय अंश
(2014-15) के लिए
आय के श्रोत

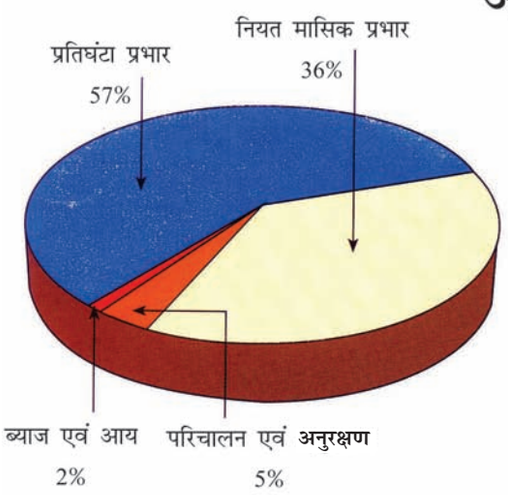

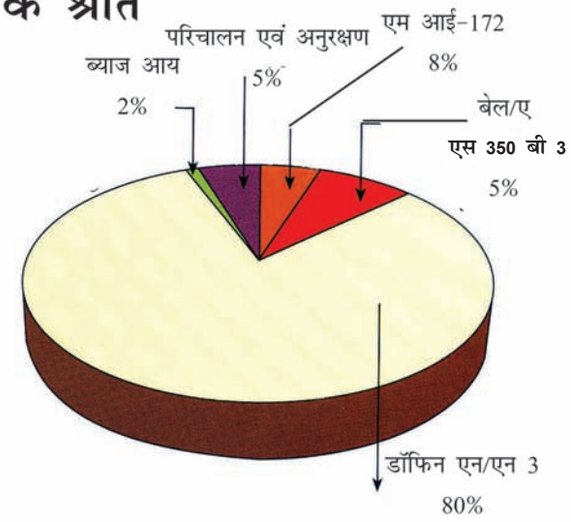

लागत संरचना

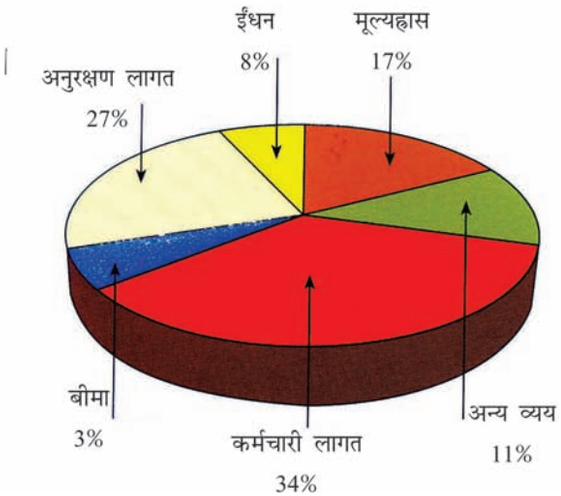

जनशक्ति विवरण

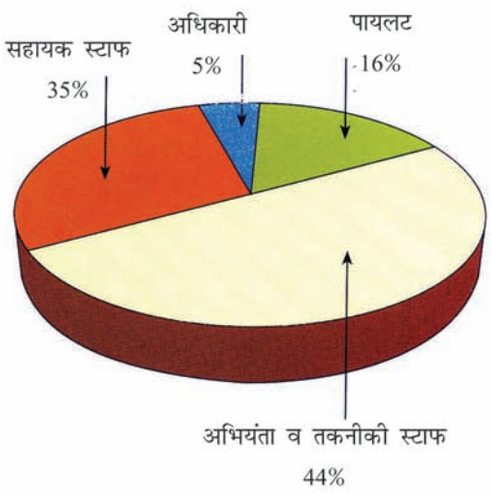

परिचालन से राजस्व और परिचालन लाभ एवं कर पश्चात लाभ

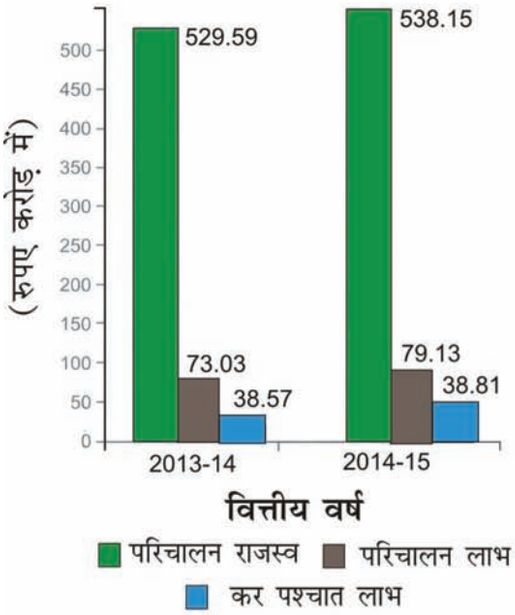

उड़ान घंटे

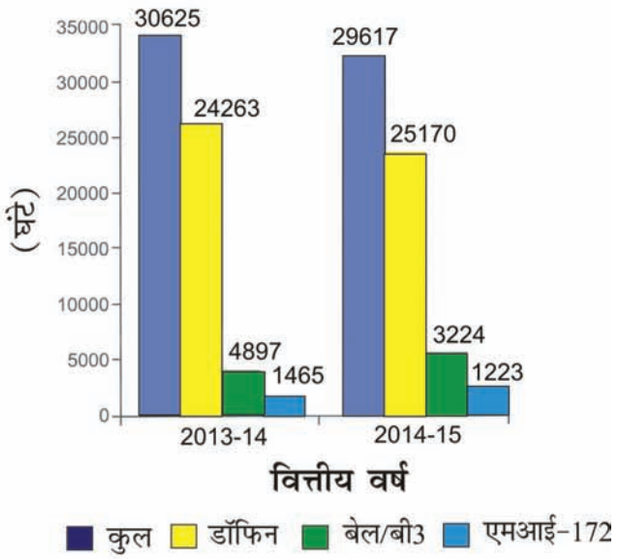

राजस्व

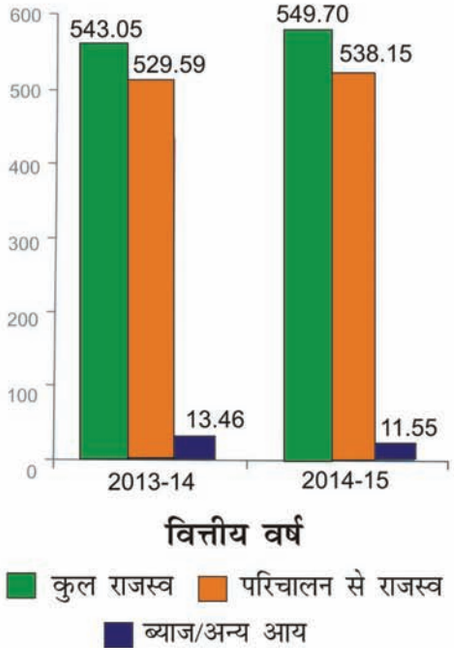

स्थाई परिसम्पतियां

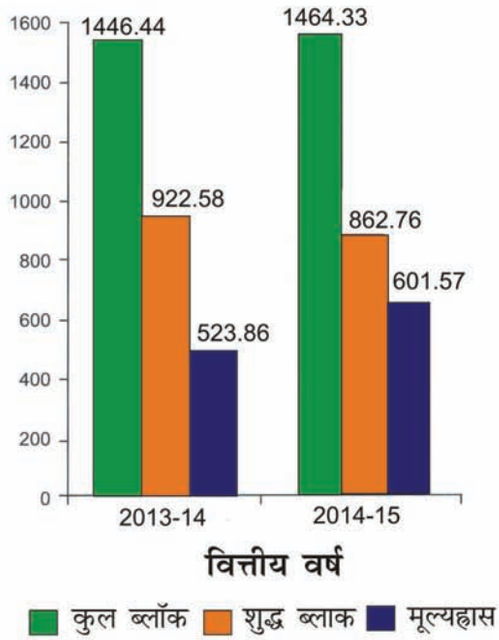

पवन हंस लिमिटेड
2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के संक्षिप्त लेखे

विवरण	अनुपात	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
संसाधन						
निवल मूल्य		541.13	543.84	484.53	475.57	485.38
गैर चालू देयताएं						
- ऋण निधियां सुरक्षित ऋण		38.68	100.59	274.69	232.83	64.10
- अन्य दीर्घावधिक देयताएं		471.37	471.22	471.40	471.51	470.69
- दीर्घाविधि प्रावधान		27.24	46.91	39.33	34.56	19.62
- आस्थगित कर देयताएं		157.70	143.63	136.27	126.53	97.63
योग		1236.12	1276.19	1406.22	1341.00	1137.42
संसाधनों का उपयोग						
नियत आस्तियां		1464.33	1446.44	1433.68	1287.45	1015.33
घटा: मूल्यह्रास		601.57	523.86	449.77	375.48	324.48
शुद्ध नियत संपत्तियां		862.76	922.58	983.91	911.97	690.85
पूंजीगत कार्य प्रगति पर		18.04	11.36	18.07	23.03	29.36
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		78.39	75.95	81.48	90.69	132.61
अन्य गैर चालू आस्तियां		2.27	5.26	3.57	3.93	4.08
निवेश		1.45	2.89	2.89	2.89	2.89
शुद्ध कार्यशील पूंजी		273.21	258.14	316.28	308.50	277.63
		1236.12	1276.17	1406.21	1341.00	1137.42
प्रयुक्त पूंजी		1154.01	1192.07	1318.27	1243.49	997.84
आय						
परिचालन से राजस्व		538.15	529.59	465.24	428.86	423.98
ब्याज / अन्य आय		11.55	13.46	10.39	9.29	6.49
योग		549.70	543.05	475.63	438.15	430.47
व्यय						
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		180.94	187.40	155.12	167.63	155.34
कर्मचारी हितलाभ व्यय		154.16	148.98	149.06	135.93	121.47
वित्तीय लागत		17.49	31.81	28.51	14.46	6.17
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		76.52	79.71	73.79	60.30	46.53
अन्य व्यय		47.40	40.45	47.63	58.73	53.38
योग		476.51	488.35	454.11	437.05	382.89
असाधारण पूर्व वर्ष के लिए लाभ						
पूर्वावधि / असाधारण समायोजन		73.19	54.70	21.52	1.10	47.58
		(1.45)	6.54	6.42	21.34	1.85
कर पूर्व लाभ		71.74	61.24	27.94	22.44	49.43
कराधान के लिए प्रावधान		17.20	14.50	6.50	4.50	9.97
पूर्व वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान		1.66	0.81	0	-0.61	0.54
अनुषंगी हितलाभ कर						
आस्थागित कर देयता		14.07	7.36	9.74	28.90	20.42
कर पश्चात शुद्ध लाभ		38.81	38.57	11.70	-10.35	18.50
		-	-	-	-	-
सार्थक अनुपात						
(क) शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ/(हानि) / कुल राजस्व	7.1%	7.1%	2.5%	-2.4%	4.3%
(ख) निवेश पर प्रतिफल	शुद्ध लाभ/(हानि) / प्रयुक्त पूंजी	3.4%	3.2%	0.9%	-0.8%	1.9%
निवल मूल्य पर प्रतिफल	शुद्ध लाभ/(हानि) / निवल मूल्य	7.2%	7.5%	2.4%	-2.2%	3.8%
ऋण वसूली की अवधि (माह)	परिचालनगत ऋण / औ. मा. परि. राजस्व	6.5	6.2	5.4	4.7	5.2
इंवैनट्री टर्नओवर (माह)	वर्ष एवं इंनवेट्री / औ. मा. परि. राजस्व	1.3	1.2	1.7	2.2	2.0
वर्तमान अनुपात	सी ए : सी एल	2.4	1.9	3.4	3.3	3.2
ऋण इक्विटी	ऋण/इक्विटी	0.31	1.11	1.34		
	ऋण/निवल मूल्य	0.14	0.53	0.68		

लेखे

29. उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

(I) अचल परिसम्पतियां/मूल्यह्रास

(क) अचल परिसम्पतियों को तुलन पत्र में उनकी वास्तविक लागत पर मूल्यह्रास करते हुए दर्शाया गया है।

(ख) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष तक अनुसूची XIV में उल्लिखित मूल्यह्रास दर को न्यूनतम दर के रूप में लिया जाता था तथा कम्पनी को मूल्यह्रास की उन न्यून दरों में परिवर्तन करने की अनुमति प्राप्त नहीं थी जिनकी न्यून दरें परिसम्पतियों के अनुमानित प्रयोज्य जीवन के अनुसार औचित्यपरक रही थी। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में अचल परिसम्पतियों के प्रयोज्य जीवन का निर्धारण किया गया है, जो अनेक मामलों में पूर्ववर्ती अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित जीवन से भिन्न है। तथापि, कम्पनियों द्वारा यदि उनके प्रयोज्य जीवन एवं अवशेष को तकनीकी रूप से समर्थित किया गया हो तथा भिन्नता के संबंध में अपनी वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण किए जाने पर अनुसूची II में कम्पनियों को उच्चतर/निम्नतर जीवन एवं अवशेष मूल्य का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है।

कम्पनी द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान हैलीकॉप्टर एवं अन्य प्रमुख अचल परिसम्पतियों के संबंध में अचल परिसम्पतियों एवं उनके प्रमुख घटकों का तकनीकी मूल्यांकन किए जाने के पश्चात इनके अनुमानित प्रयोज्य जीवन का पुनर्निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। प्रयोज्य जीवन के संबंध में अनुमानों में उचित संशोधन किए जाने का निर्धारण अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में मूल्यह्रास के प्रावधान किए जाने के लिए किया जाएगा।

(ग) एयरफ्रेम तथा एयरो इंजन उपकरणों-रोटेब्लस एवं अर्द्ध-जीवन उन्नयन कार्यक्रम की लागत (टाइप प्रमाणीकरण की लागत सहित)/हैलीकॉप्टरों के प्रमुख रेट्रोफिट का आकलन सटीक रूप से इस प्रकार किया जाता है कि प्रधान परिसम्पति (हैलीकॉप्टरों के प्रकार), जिससे वे संबद्ध हैं, के शेष प्रयोज्य जीवन की, कम्पनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निम्नतम प्रभारों की शर्त पर, 95% राशि खारिज की जा सके। एमआई 172 हैलीकॉप्टरों के संबंध में एयरफ्रेम तथा एयरो इंजन रोटेबल्स के मूल्यह्रास का निर्धारण विमान बेड़े के वार्षिक औसत अनुरक्षण उड़ान घंटों तथा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सबसे कम उड़ान भरने वाले हैलीकॉप्टर के शेष प्रयोज्य उड़ान घंटों के आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य से हैलीकॉप्टरों के अंतिम बैच (डॉफिन एन के मामले में क्योंकि इनका आकार बेड़े में सबसे अधिक है) के शेष प्रयोज्य जीवन अथवा नवीनतम हैलीकॉप्टर (अन्य बेड़े के मामले में) पर विचार किया जाता है।

(घ) 1.4.2014 की स्थिति के अनुसार ऊपर उल्लिखित परिसम्पतियों के अतिरिक्त लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार बेची/बट्टा न की गई तथा 95% तक मूल्यह्रास न की गई अचल परिसम्पतियों में से संशोधनों का अवशेष मूल्य घटाकर उनकी अग्रेनित लागत के संबंध में सटीक लाईन आधार पर कम्पनीज अधिनियम, 2013 में की गई विर्निर्दिष्ट के अनुसार उनके संशोधित प्रयोज्य जीवन के आधार पर शेष प्रयोज्य जीवन का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां किसी परिसम्पति का शेष प्रयोज्य जीवन कम्पनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए निर्धारण के अनुसार शून्य है तो वहां अवशेष मूल्य को अलग करते हुए प्रतिधारित उपार्जन के अथ शेष में शेष अग्रेनित लागत को स्थापित किया जाएगा।

(ङ) पट्टे पर प्राप्त भूमि की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया जाता है। इसी प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम करते हुए निर्मित किए गए आवासीय फ्लैटों की लागत का परिशोधन इसके करार में किए उपबंधों के अनुसार सम्पति धारण के अधि कार की अवधि में किया जाएगा।

(च) अचल परिसम्पतियों के अधिग्रहण के प्रति विदेशी मुद्रा में विनिमय अंतर का समायोजन परिसम्पतियों

की मूल लागत एवं परिशोधन न की गई मूल्यह्रास की संशोधित राशि के संबंध में प्रत्याशित मूल्यह्रास परिसम्पति का अवशेष निर्दिष्ट अवधि के अनुसार किया गया है। इस नीति का अनुसरण 31/3/2007 तक किया गया था।

(छ) सक्रिय प्रयोग में न लाई जा रही एवं निपटान के लिए रखी परिसम्पतियों के भौतिक मूल्य उनके शुद्ध बही मूल्य में निम्नतम स्तर पर अथवा शुद्ध निष्पाद्य मूल्य (जैसा लागू हो) के अनुसार स्थापित किया गया है तथा लेखा में इसका प्रकटीकरण अलग से किया गया है। ऐसी परिसम्पतियों के किसी प्रकार का मूल्यह्रास (वेस्टलैंड हैलीकॉप्टरों तथा सम्बद्ध मदों सहित वित्तीय वर्ष 1995-96 से प्रभावी) उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

(ज) हैलीकॉप्टरों / अतिरिक्त एयरो इंजनों के परिवर्धन अपमार्जन के संबंध में मूल्यह्रास यथानुपात, हैलीकॉप्टरों के अधिग्रहण की तिथि (भारतीय क्षेत्र में हैलीकॉप्टरों के लिए उड़नयोग्यता अधिकारी द्वारा उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से) उनके निपटान, आधार पर किया गया है। अन्य सभी अचल परिसम्पतियों के संबंध में मूल्यह्रास का निर्धारण यथानुपात आधार पर किया गया है। अन्य परिसम्पतियों के संबंध में प्रभावी तिथि के उद्देश्य से क्रय किए जाने के माह से अगले माह के प्रथम दिन से आकलन किया गया है। इसी प्रकार अपमानर्जन के संबंध में किसी परिसम्पति के अपमार्जन से पूर्व माह के अंतिम दिवस को यथानुपात आधार पर मूल्यह्रास के लिए प्रयोग किया गया है। परिसम्पतियों के निपटान से प्राप्त होने वाले लाभ तथा हानियां लाभ एवं हानि लेखे में जमा/प्रभारित की जाती हैं।

(झ) **क्षति**

किसी प्रकार की क्षति के संकेत का निर्धारण करने के लिए परिसम्पतियों की अग्रेनित राशि की संवीक्षा तुलन पत्र को अंतिम रूप दिए जाते समय की जाती है। किसी प्रकार संकेत प्राप्त होने पर परिसम्पतियों की वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। जब कभी किसी परिसम्पति की अग्रेनित राशि उसकी वसूली याग्य राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो उसे क्षति से हुई हानि माना जाता है।

(II) निवेश

अंतरिम भुगतान, यदि कोई प्राप्त हुआ हो, को लागत में से कम निवेश दर्शाए गए हैं। तथापि, ऐसे निवेश जिनका शोधन मूल्य अधिगृहित लागत से भिन्न है तो ऐसे निवेश की अधिगृहित लागत तथा शोधन मूल्य के अंतर का अधिगृहित तिथि से शोधन की तिथि तक के लिए सामयिक आधार पर परिशोधन किया जाता है। वर्ष के दौरान परिशोधन की गई राशि को उनके संबंध में ऐसे निवेशों पर अनुवर्ती समायोजन के साथ "निवेश पर लाभ/हानि" के अंतर्गत दर्शाया गया है। इसके अलावा निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। इस प्रकार के निवेशों के मूल्य में किसी प्रकार की क्षति अस्थाई के अतिरिक्त के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

(III) विदेशी मुद्राओं में लेन देन

(क) अचल परिसम्पतियों, माल तथा सेवाओं के संबंध में विदेशी मुद्रा में किए गए लेन देन का लेखांकन कम्पनी के प्रधान बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई लेन देन की तिथि की विनिमय दर की राशि के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में विदेशी मुद्रा में किए गए लेन देन को लेन देन की तिथि, जिसके लिए ऐसे मामलों में संबंधित माह का अंतिम दिवस सुविचारित है, की विनिमय दर के अनुसार लेखांकित किया गया है।

(ख) वर्ष के अंत में मौद्रिक परिसम्पतियां एवं देयताएं विनिमय की बिक्री दर पर परिवर्तित की जाती है तथा इसमें वर्ष के अंत में विनिमय की क्रय दर पर परिवर्तित की जाने वाली बैंक खातों में जमा विदेशी मुद्रा के अंत शेष को शामिल नहीं किया जाता है। गैर-मौद्रिक मदों को उनकी परम्परागत दर के अनुसार लिया जाता है।

(ग) मौद्रिक परिसम्पतियों अथवा देयताओं के पुन: कथन अथवा विदेशी मुद्रा लेन देन के निपटान से विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव के

परिणामस्वरूप होने वाली हानियां अथवा लाभ उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे में अंतरित किए जाते हैं।

(IV) मालसूची

(क) हैलीकॉप्टर के पुर्जों तथा उपभोज्य भंडार की मालसूची को भारित औसत प्रणाली के प्रयोग से उनकी लागत पर दर्शाया गया है। वर्ष के अंत में कर्मशाला में रखे पूर्जों तथा भंडार को भी माल सूची पर अंतिम रूप दिए जाते समय विचार में लाया गया है।

(ख) अव्यवस्थित/परीक्षण औजारों की लागत में से उनके वित्तीय बट्टे घटाकर मूल्य का निर्धारण किया गया है। अव्यवस्थित/परीक्षण औजारों का परिशोधन उनके क्रय के वर्ष सहित पिछली तीन वर्षों में समान रूप से किया गया है तथा तदनुसार ही उसे दर्शाया गया है। रद्द की मदें इन शीर्षों के अंतर्गत एफआईएफओ आधार पर बट्टा की गई हैं।

(ग) ऐसे भण्डार एवं पूर्जे जिनका लागत मूल्य ₹1000 से कम है तथा सभी उपभोज्य मदें, तेल ग्रीस, स्नेहकों को खरीद के वर्ष में व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

(घ) प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च तक आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे माल, जिसे कम्पनी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, का लेखांकन मार्गस्थ माल के रूप में किया गया है। तथापि, मरम्मत के पश्चात वापस प्राप्त किए जा रहे मार्गस्थ मल के संबंध में मरम्मत/ओवरहॉल के प्रभार उस वर्ष के "लाभ एवं हानि लेखा में अनुरक्षण व्यय" में आनुवर्ती नामे करते हुए लेखांकित किए गए हैं।

(ङ) पिछले लेन देन की तिथि से तीन निरंतर वर्षों तक वास्तविक प्रयोग के लिए जारी न किए गए भंडार, पूर्जों तथा उपभोज्यों (स्थल सहायता एवं परीक्षण उपकरणों एवं अनुरक्षण औजारों के अतिरिक्त) की नॉन-मूविंग मदों के संबंध में भारित औसत आधार पर प्रावधान किए गए हैं।

(V) देयताएं

(क) तुलन पत्र तैयार किए जाने की तिथि को प्रत्येक ज्ञात विद्यमान देयताओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ऐसी देयताएं, जो ज्ञात नहीं है अथवा जिन देयताओं की राशि का निर्धारण औचित्यपरक विशुद्धता से नहीं किया जा सकता है, के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रेषित किए गए परन्तु कम्पनी में प्राप्त नहीं हुए माल अथवा मरम्मत/ओवरहॉल शुल्कों के संबंध में निर्माता से प्राप्त सूचना/इंजीनियरिंग अनुमानों के आधार पर देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

(ख) आपूर्तिकर्ताओं/बाह्य पार्टियों द्वारा किए जाए वाले दावे ऐसी पार्टियों द्वारा स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् लेखांकित किए जाते हैं। आपूर्तिकर्ताओं/बाह्य पार्टियों/ग्राहकों द्वारा किए गए दावों का भी निपटान आधार पर लेखांकन किया जाता है।

(ग) ₹5000 से कम राशि के वैयक्तिक लेनदेन में उपार्जित व्ययों/देयताओं के लिए किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं।

(VI) पूर्वदत्त व्यय

₹5000 से कम राशि के वैयक्तिक पूर्वदत्त व्ययों का लेखांकन नहीं किया गया है।

(VII) हैलीकॉप्टरों का अनुरक्षण व्यय

वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रभावी वर्ष से हैलीकॉप्टरों के अनुरक्षण व्यय का लेखांकन किए गए व्यय के आधार पर किया जाता है।

(VIII) राजस्व स्थापना

(क) हैलीकॉप्टर प्रचालनों से प्राप्त होने वाले राजस्व की स्थापना अनुबंध के उपबंधों के आधार पर वास्तविक संग्रहण के अनुसार की जाती है।

(ख) इंजीनियरिंग एवं अन्य सेवाओं से प्राप्त आय की स्थापना अनुवर्ती सेवाएं पूरी किए जाने के पश्चात् की जाती है।

(ग) रद्द की गई परिसम्पतियों/भंडार की बिक्री से प्राप्त होने वाला राजस्व वास्तविक उगाही के अनुसार स्थापित किया जाता है।

9. **निवेश से प्राप्त ब्याज/आय**

बैंकों/अन्यों से प्राप्त ब्याज/जमा/निवेशों पर प्राप्त प्रतिफल का लेखांकन आनुपातिक आधार पर लागू

ब्याज/प्रतिफल दरों के अनुरूप वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है।

(X) ईंधन

वित्तीय वर्ष के अंत में विमान, बैरल तथा बाउजरों में एयर टर्बाइन फ्यूल के अंत शेष का लेखांकन इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा अधिसूचित मार्च माह की मूल्य सूची के अनुसार आंकते हुए लेखांकन किया जाता है तथा इसके लिए हमारे ग्राहकों द्वारा प्रचालनों के लिए हमारे विमान के लिए सीधे ही उपलब्ध करवाए गए एयर टर्बाइन फ्यूल को शामिल नहीं किया जाता है।

(XI) बीमा/बीमा दावे

(क) तकनीकी कार्मिकों के संबंध में कम्पनी द्वारा स्व-बीमा की योजना का विकल्प चुना गया है। इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

(ख) हैलीकॉप्टरों तथा माल सूची के अतिरिक्त अन्य बीमा दावों का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है तथा किसी तृतीय पक्ष को देय भुगतान के अतिरिक्त इसे आय के रूप में दर्शाया जाता है।

(ग) समग्र हानि को छोड़कर सभी हैलीकॉप्टरों तथा माल सूची के दावों से प्राप्त वसूलियों, बीमा सर्वेक्षक/ बीमा कम्पनी द्वारा दावे के संबंध में अनुमानित/अंतिम निर्धारित मूल्य की निश्चित स्वीकृत स्थापित किए जाने की जानकारी वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा पुस्तिकाओं को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व प्राप्त होने पर, के अंतिम दावों का लेखांकन वर्ष के दौरान अथवा दावे की स्वीकृति के वर्ष में किया जाता है। मरम्मत पर किए जाने वाले वास्तविक व्यय तथा कुल सिद्ध बीमा दावों का लेखांकन लाभ एवं हानि लेखे में किया जाता है तथा परिसम्पतियों को उनके बही मूल्य के अनुसार अग्रेनित किया जाता है।

(घ) हैलीकॉप्टर की पूर्ण हानि होने के मामले में हैलीकॉप्टर का परिसम्पतियों में से बट्टा मूल्य को कम करते हुए घटना घटित होने के वर्ष में समायोजन किया जाता है तथा इन्हें "बीमा दावों के अंतर्गत प्राप्य राशि" के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तथा बीमा कम्पनी द्वारा दावे के मूल्य की स्वीकृति/निपटान किए जाने के पश्चात "परिसम्पतियों का ध्वंस होने के परिणमास्वरूप बीमा दावे पर लाभ/हानि" के अंतर्गत इससे संबंधित आवश्यक समायोजन किया जाता है।

(XII) उपादान

उपादान का लेखांकन वास्तविक मूल्यांकन आधार पर होता है तथा वर्ष के दौरान देय राशि अलग से गठित उपादान ट्रस्ट को स्थानांतरित की जाती है।

(XIII) अमूर्त सम्पतियां

(क) एएस-26 के अभिप्राय के दायरे में अमूर्त सम्पतियों के रूप में मान्य प्रशिक्षण खर्चों का परिशोधन ऐसी अमूर्त सम्पतियों के प्रयोज्य जीवन के दौरान किया जाता है। अन्य प्रशिक्षण खर्चों को उनसे संबंधित राजस्व लेखा में प्रभारित किया जाता है।

(ख) खरीद किए गए/स्वयं विकसित किए गए ₹5 लाख से अधिक लागत वाले साफ्टवेयरों का परिशोधन सॉफ्टवेयर का सफल प्रयोग प्रारम्भ होने की तिथि से सटीक आधार पर प्रत्येक वर्ष के अंत में समीक्षा किए जाने की शर्त के साथ 60 माह की अवधि के दौरान किया जाता है। ₹5 लाख तक की लागत वाले सॉफ्टवेयर खरीद के वर्ष के दौरान राजस्व में प्रभारित किए जाते हैं।

(XIV) कर्मचारी हित लाभ

छुट्टी वेतन/सामान भत्ते तथा सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा हित लाभों का लेखांकन उनके वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। छुट्टी यात्रा रियायत चूंकि कैफेटेरिया भत्ते का स्वरूप धारण कर चुकी है अत: छुट्टी यात्रा रियायत के वास्तविक मूल्यांकन को अग्रेनित नहीं किया जाता है।

(XV) पूर्वावधि समायोजन

गलती अथवा चूक के कारण पूर्व वर्षों के दौरान औचित्यपरक रूप से प्रावधान योग्य लेखांकित न की जा सकी ऐसी आय अथवा व्यय, जो चालू अवधि के दौरान उत्पन्न हुई है, को पूर्वावधि मदों के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

(XVI) विविध देनदार/प्राप्य लेखा

(क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के अतिरिक्त अन्य देनदारों से तीन वर्ष से अधिक अवधि तथा संदेहास्पद माने जाने के विशिष्ट कारणों से इस अवधि से पूर्व अवधि के वसूली योग्य उधारों तथा बकाया को संदेहास्पद मान लिया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों से सात वर्ष से पूर्व अवधि तथा संदेहास्पद माने जाने के विशिष्ट कारणों से इस अवधि से पूर्व अवधि के वसूली योग्य उधारों तथा बकाया को संदेहास्पद माना जाता है।

(ख) बाह्य पार्टियों से संबद्ध समायोजित न किए गए/ दावा न किए गए तीन वर्ष से अधिक अवधि के जमा शेष लेखे में वापस लिए जाते हैं तथा उसे आय मान लिया जाता है।

(XVII) उधार लागत

(क) अधिग्रहण, निर्माण अथवा योग्य परिसम्पतियों के उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए जाने योग्य उधार लागत का पूंजीयन अपेक्षित प्रयोग के लिए परिसम्पति तैयार होने के समय से पूर्व किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त से अतिरिक्त उधार लागत को आवधिक लागत के रूप में लिया जाता है तथा तदनुसार इसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

(XVIII) आय पर कर

चालू कर का निर्धारण वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर देय कर की राशि के अनुसार किया जाता है। निर्धारण में से आयकर की अतिरिक्त मांग का प्रावधान निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में किया जाता है। तदनुसार, आयकर पर की धनवापसी के ब्याज का लेखांकन निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष अथवा उनकी वास्तविक प्राप्ति, जो भी बाद में हो, के वर्ष में किया जाता है। लेखा लाभ तथा लाभ के मध्य समय की भिन्नता के कारण आस्थगित कर प्रभार अथवा देय जमा को स्थापित दरों तथा तत्समय लागू अथवा तुलन पत्र को अंतिम रूप दिए जाने के दिन मूलत: लागू विधान के अनुसार कार्रवाई करते हुए स्थापित किया जाता है। आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्थापना केवल उनके भविष्य में परिशोधन हो सकने का निश्चय होने पर ही की जाती है। परिशोधन का पुनर्मूल्यांकन तुलन पत्र को अंतिम रूप दिए जाने के अवसर पर प्रत्येक बार ऐसी परिसम्पतियों की समीक्षा करते हुए की जाती है। जहां कहीं अनावशोषित मूल्यह्रास अथवा अग्रेनित की जाने वाली हानियां होती हैं वहां आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्थापना ऐसी परिसम्पतियों का परिशोधन किए जाने के समर्थन में स्वीकार्य प्रमाण उपलब्ध होने पर ही की जाती है।

19. **नकदी प्रवाह विवरणी**

नकदी प्रवाह विवरणी का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी "नकदी प्रवाह विवरणी से संबंधित लेखांकन मानक 3" में निर्धारित की गई अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

तुलन पत्र

यथास्थिति 31 मार्च, 2015

	नोट संख्या	31 मार्च 2015		31 मार्च 2014	(₹ लाख में)
I. इक्विटी व देयताएं					
(1) अंशधारकों की निधि					
(क) अंश पूंजी	1	24,561.60		24,561.60	
(ख) आरक्षित एवं अतिरिक्त	2	29,551.38		26,822.21	
			54,112.98		**51,383.81**
(2) गैर चालू देयताएं					
(क) अल्प कालिक ऋण	3	3,868.36		10,059.26	
(ख) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	4	15,769.69		14,362.99	
(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	5	47,136.58		47,121.89	
(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	6	2,723.56		4,690.57	
			69,498.19		**76,234.71**
(3) चालू देयताएं					
(क) व्यवसाय देयताएं	7	3,637.91		2,725.66	
(ख) अन्य चालू देयताएं	8	7,151.75		20,907.77	
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	9	8,055.14		3,595.37	
			18,844.80		**27,228.82**
योग			**1,42,455.97**		**1,54,847.35**
II. परिसंपत्तियां					
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां					
(क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) भौतिक परिसम्पतियां	10	86,172.24		92,131.43	
- सक्रिय प्रयोग में लाई जा रही परिसम्पतियां		971.83		981.74	
- सक्रिय प्रयोग से हटाई गई तथा परिसम्पतियां निपटान के लिए/क्षतिग्रस्त परिसम्पतियां					
घटा: निपटान/क्षति के लिए किए गए प्रावधान क्षति		971.83		971.83	
- सक्रिय प्रयोग में न लाई जा रही परिसम्पतियां		-		-	
(ii) अभौतिक परिसम्पतियां	11	103.45		126.12	
(iii) कार्यशील पूंजी कार्य					
- भौतिक परिसंपत्तियां	12	1,804.32		1,135.97	
		88,080.01		93,393.52	
(ख) गैर चालू निवेश	13	144.67		289.34	
(ग) दीर्घकलिक ऋण और अग्रिम	14	7,839.39		7,873.40	
(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	15	227.24		248.43	
			96,291.31		**1,01,804.72**

(2) चालू परिसंपत्तियां				
(क) मालसूचियां	16	5,648.37		5,513.79
(ख) प्राप्य व्यवसाय	17	29,045.17		27,451.66
(ग) नकदी एवं नकदी स्वरूप	18	8,925.30		15,504.53
(घ) अल्प कालिक ऋण एवं अग्रिम	19	1,803.34		2,025.03
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	20	742.48		2,547.62
			46,164.66	**53,042.63**
योग			**1,42,455.97**	**1,54,847.35**
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त नोट	**28**			
उल्लेखनीय लेखांकन नीति	**29**			

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते खन्ना एवं आनन्धनम

सनदी लेखाकार	(डा. बी. पी. शर्मा)	(श्रीमती गार्गी कौल)
फर्म रजि. नं. 1297-एन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक
(बी. जे. सिंह)	(संजीव अग्रवाल)	(धीरेन्द्र सहाय)
साझीदार	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी
(एम.सं. 7884)		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.10.2015

लाभ एवं हानि की विवरणी

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

	नोट संख्या	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
राजस्व :			
प्रचालन से राजस्व	21	52,235.57	51,626.18
अन्य आय	22	2,734.52	2,678.63
कुल राजस्व :		**54,970.09**	**54,304.80**
व्यय :			
हैलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	23	18,093.82	18,740.26
कर्मचारी लाभ व्यय	24	15,416.34	14,898.91
वित्तीय लागत-ब्याज व्यय		1,749.35	3,180.68
मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय		7,652.34	7,971.29
अन्य व्यय	25	4,740.12	4,044.57
कुल व्यय :		**47,651.96**	**48,835.71**
विशिष्ट, अतिसाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ		7,318.13	5,469.10
विशिष्ट मदें	26	-144.67	-89.12
अतिसाधारण मदें	27	-	743.41
कर पूर्व लाभ :		**7,173.46**	**6,123.39**
कर व्यय :			
(1) चालू कर (एम ए टी)		1,720.00	1,450.00
(2) पूर्व वर्षों का कर		165.85	80.56
(3) आस्थगित कर		1,406.70	736.18
अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)		**3,880.91**	**3,856.65**
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 10,000/-)			
(1) मूल		1,580	1,570
(2) डायलूटेड		1,580	1,570
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	28		
उल्लेखनीय लेखांकन नीति	29		

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते खन्ना एवं आनन्धनम

सनदी लेखाकार	(डा. बी. पी. शर्मा)	(श्रीमती गार्गी कौल)
फर्म रजि. नं. 1297-एन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक
(बी. जे. सिंह)	(संजीव अग्रवाल)	(धीरेन्द्र सहाय)
साझीदार	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी
(एम.सं. 7884)		

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 07.10.2015

नोट सं. 1
अंशधारकों की निधियाँ

			(₹ लाख में)
	नोट संख्या	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
शेयर पूंजी			
(क) प्राधिकृत पूंजी			
₹10,000/- प्रत्येक के 2,50,000 इक्विटी शेयर		25,000.00	25,000.00
(ख) चुकता पूंजी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त ₹10,000/-			
प्रत्येक के 2,45,616 इक्विटी शेयर		24,561.60	24,561.00
(ग) प्रारम्भ तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया		2,45,616	2,45,616
शेयरों का संबंध में समाधान	जोडे: आबंटित शेयर	-	-
	अंतिम	2,45,616	2,45,616
(घ) लाभांश तथा आबंटन तथा पूंजी के पुनर्भुगतान के प्रतिबंध कम्पनी के साधारण शेयरों का अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹10,000 है तथा मतदान अधिकार एवं लाभांश की पात्रता सहित शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के साथ अनुज्ञा पत्र, अधिमान एवं लाभांश की पात्रता सहित प्रत्येक का स्तर समान है।			
(ङ) 5 प्रतिशत से अधिक कम्पनी के शेयरों का अंश धारण करने वाले शेयर धारकों के शेयरों की संख्या			
	अंश धारक के नाम	धारित शेयरों की संख्या	
	भारत के राष्ट्रपति	1,25,266	1,25,266
	ओ.एन.जी.जी.सी. लिमिटेड	1,20,350	1,20,350
योग		**24,561.60**	**24,561.60**

नोट सं. 2

आरक्षित एवं अतिरिक्त

		31 मार्च 2015		31 मार्च 2014 (₹ लाख में)
(क) आरक्षित एवं अतिरिक्त				
(i) सामान्य आरक्षित				
अंत लेखा के अनुसार		2,050.00		2,050.00
(ii) लाभ व हानि की विवरणी-अधिशेष				
अंत लेखा के अनुसार	24,772.21			
घटाएं : मूल्य ह्रास समायोजन	-217.54		21,841.12	
जोड़िए : वर्ष के दौरान जोड़े गए	3,880.91		3,856.65	
घटाएं : इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	-776		-771.33	
घटाएं : प्रस्तावित लाभांश पर कर	-558.01		-154.22	
		27,501.38		24,772.22
योग		**29,551.38**		**26,822.22**

नोट सं. 3

दीर्घ कालिक ऋण उधार

	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014 (₹ लाख में)
प्रतिभूत कालावधि ऋण		
- ओएनजीसी लिमिटेड	328.90	3,678.85
- एनटीपीसी लिमिटेड	3,539.46	4,015.40
- एक्जिम बैंक	-	2,365.01
- विजया बैंक	-	-
योग	3,868.36	27,469.39
उधारों की पूर्णता का सार निम्नवत है:	**31.03.2015**	**30.03.2014**
- एक वर्ष से अधिक देर तक नहीं (नोट सं. 8)	3,825.44	17,103.58
दीर्घावधि ऋण की चालू पूर्णता	3,825.44	17,103.58
- एक वर्ष से अधिक देर और पांच वर्ष से अधिक देर नहीं	2,544.84	8,131.07
- पांच वर्ष से अधिक देर	1,323.52	1,928.19
	3,868.36	10,059.26

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट (नोट सं. 28) के नोट सं. (X) का संदर्भ लें।

नोट सं. 4

आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)

		31 मार्च 2015		(₹ लाख में) 31 मार्च 2014
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)				
1. **आस्थगित कर देयताएं**				
– बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास का अंतर	23,535.17		22,641.27	
		23,535.17		22,641.27
सकल आस्थगित कर देयता		**23,535.17**		**22,641.27**
2. आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
प्रावधान निर्माण				
– कर्मचारी हित लाभ	2,960.90		2,387.08	
– नॉन मूविंग मालसूची	954.76		764.77	
– निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व/सतत विकास निधि	–		68.29	
– निवेश मूल्य में क्षति के प्रावधान	49.17		–	
– अग्रेनित अनावशोषित मूल्लह्रास	3,284.65		4,876.24	
– संदेहास्पद ऋण / अग्रिम	286.52		181.90	
– सम्पति कर के लिए प्रावधान	34.70		–	
– भा. वि. प्रा. को पट्टा किराए के लिए प्रावधान	194.79		–	
		7,765.49		8,278.28
सकल आस्थगित कर परिसंपत्तियां		**7,765.49**		**8,278.28**
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		**16,769.69**		**8,278.28**

नोट सं. 5

अन्य दीर्घकालिक देयताएं

		31 मार्च 2015		(₹ लाख में) 31 मार्च 2014
अन्य दीर्घकालिक देयताएं				
(क) सुरक्षा जमा		114.36		99.67
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दावा की गई राशि				
– मूल राशि	13,091.03		13,091.03	
– ब्याज/अन्य प्रभार	33,931.19		33,931.19	
		47,022.22		47,022.22
योग		**47,136.58**		**47,121.89**

नोट सं. 6

दीर्घकालिक प्रावधान

			(₹ लाख में)	
		31 मार्च 2015		31 मार्च 2014
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
– सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा लाभ योजना	632.89		514.60	
– अर्जित अवकाश	1,430.69		1,388.73	
– बीमारी अवकाश (अर्द्ध वेतन छुट्टी)	645.13		548.09	
– पेंशन	–		2,225.74	
– अन्य	14.85		13.41	
		2,723.56		4,690.57
योग		**2,723.56**		**4,690.57**

एएस-15 कर्मचारी हितलाभ के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण नोट क्रमांक 28(XII) में दिया गया है।

नोट सं. 7

व्यवसाय देयताएं

		(₹ लाख में)
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
व्यवसाय देयताएं	3,637.91	2,725.66
योग	**3,637.91**	**2,725.66**

नोट सं. 8

अन्य चालू देयताएं

		(₹ लाख में) 31 मार्च 2015		31 मार्च 2014
दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता		3,825.44		17,103.58
ब्याज उपर्जित परन्तु ऋण पर देय नहीं		-		8.89
अन्य देयताएं :				
- ग्राहकों से अग्रिम		285.80		783.45
- ना. वि. म. से परियोजनाओं के लिए अग्रिम (ब्याज सहित)	1,201.12		1,190.48	
घटा : परियोजना पर व्यय की गई राशि	1,160.77		1,066.68	
		40.35		123.80
- सुरक्षा/अर्जित धन जमा	270.93		101.42	
- वैधानिक देयताएं	190.30		393.47	
- अचल परिसम्पतियों की खरीद के लिए देय	527.23		695.34	
- पूंजीगत व्ययों के लिए देय	19.02		22.05	
- कर्मचारियों को देय	74.00		74.23	
- अस्थायी बही ओवरड्राफ्ट	986.92		651.44	
- अन्य देय	931.76		950.10	
		3,000.16		2,888.05
योग		**7,151.75**		**20,907.77**

नोट सं. 9

अल्पकालिक प्रावधान

		(₹ लाख में)
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
– सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना	20.12	15.00
– अर्जित अवकाश	105.22	91.47
– बीमारी अवकाश (अर्द्ध वेतन छुट्टी)	52.14	44.90
– पेंशन	2,498.52	–
– अन्य	3,311.54	2,180.95
	5,987.54	2,332.2
लक्षद्वीप में हानि का प्रावधान	89.12	89.12
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास निधि के लिए प्रावधान	225.74	200.92
अन्य प्रावधान (नोट संख्या 28 (VI) (ख) देखें)	39.31	39.31
कराधान के लिए प्रावधान		
– संपत्ति कर	7.90	8.15
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	1,547.53	771.33
प्रस्तावित लाभांश पर कर	158.01	154.22
योग	**8,055.14**	**3,595.37**

नोट सं. 10
अचल परिसम्पत्तियाँ

अचल परिसम्पतियां

(मूल्य ₹/लाख)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास					शुद्ध ब्लॉक	
	1 अप्रैल,2014 के अनुसार	अतिरिक्त	निपटान/ समायोजन	31 मार्च,2015 के अनुसार	31 मार्च, 2014 तक	वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास	धारित उपार्जन से समायोजित राशि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2015 तक	31 मार्च, 2015 तक शेष	31 मार्च, 2014 तक शेष
भौतिक परिसम्पतियां											
I. सक्रिय प्रयोग में परिसम्पतियां											
भूमि - पट्टाधारण	58.91			58.91	15.68	0.65			16.33	42.58	43.23
भवन	4,412.09	0.27		4,412.36	1,771.65	145.46	54.32		1,971.43	2,440.93	2,640.44
संयंत्र एवं उपकरण											
- हैलीकॉप्टर्स एवं एयो - इंजन	108,506.31			108,506.31	35,248.27	5,028.08			40,276.35	68,229.96	73,258.04
- एयरफ्रेम एवं इंजन उपकरण रोटेब्ल्स	25,399.83	1,549.20	178.42	26,770.61	12,633.41	1,809.45		73.84	14,369.02	12,401.59	12,766.42
-कार्यशाला एवं स्थल सहायता उपकरण	3,550.21	352.46	17.78	3,884.89	1,309.73	261.39	52.11	10.93	1,612.30	2,272.59	2,240.48
- प्रशिक्षण सहायता उपकरण	22.91			22.91	20.11	0.24	0.43		20.78	2.13	2.80
- एयर कंडीशनिंग	218.13	4.27		222.40	66.21	99.63	23.01		188.85	33.55	151.92
- इलैक्ट्रिकल स्थापन	310.91	1.66		312.57	113.48	22.94	12.36		148.78	163.79	197.43
फर्नीचर एवं जुड़नार	631.29	15.30		646.59	261.46	67.92	4.31		333.69	312.90	369.83
वाहन	207.20	10.71		217.91	117.71	24.35			142.06	75.85	89.49
कार्यालय उपकरण	230.93	9.22	0.33	239.82	100.39	51.23	40.64	0.31	191.95	47.87	130.54
अन्य											
-कम्प्यूटर एवं अन्य कार्यालय उपकरण	697.42	35.71	14.11	719.02	456.58	96.99	30.36	13.41	570.52	148.50	240.84
योग (I)	**144,246.14**	**1,978.80**	**210.64**	**146,014.30**	**52,114.68**	**7,608.33**	**217.54**	**98.49**	**59,842.06**	**86,172.24**	**92,131.46**
पूर्व वर्ष (I)	**142,949.97**	**2,050.00**	**753.83**	**144,246.14**	**44,753.26**	**7,917.90**		**556.48**	**52,114.68**	**92,131.46**	**98,196.71**

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास					नेट ब्लॉक	
	1 अप्रैल,2014 के अनुसार	अतिरिक्त	निपटान/ समायोजन	31 मार्च,2015 के अनुसार	31 मार्च, 2014 तक	वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास	धारित उपार्जन से समायोजित राशि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2015 तक	31 मार्च, 2015 तक शेष	31 मार्च, 2014 तक शेष
II. सक्रिय प्रयोग से हटाई गई तथा निपटान के लिए/ क्षतिग्रसत परिसम्पतियां											
संयंत्र एवं उपकरण											
- हैलीकॉप्टर्स एवं एयो - इंजन	5,778.08			5,778.08	5,050.46				5,050.46	727.62	727.62
- एयरफ्रेम एवं इंजन उपकरण रोटेबल्स	9.91			9.91	-				-	9.91	9.91
-कार्यशाला एवं स्थल सहायता उपकरण	322.50			322.50	138.76				138.76	183.74	183.74
- प्रशिक्षण सहायता उपकरण	41.25			41.25	18.91				18.91	22.34	22.34
- इलैक्ट्रिक्ल स्थापन	6.68			6.68	5.73				5.73	0.95	0.95
फर्नीचर एवं जुड़नार	34.06			34.06	31.44				31.44	2.62	2.62
कार्यालय उपकरण	30.01			30.01	17.82				17.82	12.19	12.19
संचार उपकरण	20.98			20.98	9.19				9.19	11.79	11.79
वाहन	2.05			2.05	1.94				1.94	0.11	0.11
कॅम्प्यूटर	11.38			11.38	10.82				10.82	0.56	0.56
योग (II)	6,256.90	-	-	6,256.90	5,285.07	-	-	-	5,285.07	971.83	971.83
पूर्व वर्ष (II)	6,233.24	-	-23.67	6,256.91	5,277.21	-	-	-7.86	5,285.07	971.84	956.03
सकल योग (I + II + III) (A)	150,503.04	1,978.80	210.64	152,271.20	57,399.75	7,608.33	217.54	98.49	65,127.13	87,144.07	93,103.29
सकल योग (पूर्व वर्ष) (I + II + III)	149,183.21	2,050.00	730.16	150,503.05	50,030.47	7,917.90	-	548.62	57,399.75	93,103.30	99,152.74

नोट सं. 11

भौतिक परिसम्पतियां											
पूंजीकृत साफ्टवयर	240.46	21.34		261.80	221.67	12.60			234.27	27.53	18.79
प्रशिक्षण लागत	157.06			157.06	49.73	31.41			81.14	75.92	107.33
योग (B)	397.52	21.34	-	418.86	271.40	44.01	-	-	315.41	103.45	126.12
पूर्व वर्ष	397.52	-	-	397.52	211.78	53.39	-	-6.23	271.40	126.12	185.74

नोट संख्या - 12

प्रगति पर पूंजी कार्य

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार अथ शेष	अतिरिक्त	विलोपन / समायोजन	31.03.2015 के अनुसार अंत शेष
प्रगति पर पूजी कार्य				
(क) लाभ अनुरक्षण केन्द्र परियोजना, मुम्बई	19.42	-	-	19.42
(ख) हैलीकॉप्टरों के उन्नयन के लिए किट	717.08	-	704.59	12.49
(ग) विदेशी आपूर्तिकर्ता को मरम्मत के लिए प्रेषण किए जाने वाले रोटेब्ल्स	94.40	-	13.17	81.23
(घ) हैलीपोर्ट परियोजना, रोहिणी, नई दिल्ली	305.06	1,401.71	-	1,706.77
(ङ.) मार्गस्थ /स्थापित किए जा रहे रोटेब्ल्स/स्थल सहायता उपकरण	19.43	3.83	19.43	3.83
योग	1,155.39	1,405.54	737.19	1,823.74
घटाएं : कार्यशील संदेहास्पद पूंजी के लिए प्रावधान	19.42			19.42
कार्यशील शुद्ध पूंजी	1,135.97	1,405.54	737.19	1,804.32
पूर्व वर्ष	1,826.88	10.85	682.34	1,135.97

नोट सं. - 13

गैर चालू निवेश

		31 मार्च 2015		31 मार्च 2014 (₹ लाख में)
गैर व्यवसाय (लागत पर, उद्धरण के बिना)				
नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रा. लि. (प्रत्येक रु.10/- के पूर्ण चुकता 28,93,353 इक्विटी शेयर)	289.34		289.34	
घटाएं: निवेश मूल्य में क्षति के लिए प्रावधान	144.67	144.67	-	289.34
योग		**144.67**		**289.34**

नोट संख्या - 14

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

		(₹ लाख में) 31 मार्च 2015		31 मार्च 2014
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम				
(अरक्षित, अन्यथा उल्लिखित न किए जाने पर अच्छे माने गए)				
(क) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को ऋण, संदेहास्पद माने गए	725.00		725.00	
घटाएं: सन्देहास्पद ऋण का प्रावधान	725.00	-	725.00	-
(ख) पूंजी अग्रिम		9.98		9.98
(ग) अग्रिम आयकर (प्रावधान का शुद्ध)		6,902.09		6,847.63
(घ) सुरक्षा जमा				
अरक्षित माना गया माल	354.95		373.23	
अरक्षित, संदेहास्पद माना गया	1.91		1.91	
	356.86		375.23	
घटाएं: संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	1.91		1.91	
(ङ) आयकर वसूली		354.95		373.23
(च) कर्मचारी को ऋण		5.88		5.88
सुरक्षित माना गया माल	274.68		271.24	
अरक्षित माना गया माल	17.66		17.69	
अरक्षित, संदेशस्पद माना गया	12.08		12.08	
	304.42		301.01	
घटाएं: सन्देहास्पद ऋण के प्रावधान	12.08		12.08	
(छ) अन्य को अग्रिम		292.34		288.93
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	274.15		347.75	
अप्रत्याभूत, सन्देहास्पद समझे गए	112.33		113.89	
	386.48		461.64	
घटा: सन्देहास्पद जमा के लिए प्रावधान	112.33		113.89	
		274.15		347.75
योग		**7,839.39**		**7,876.40**

नोट सं. 15

अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ

		31 मार्च 2015		31 मार्च 2014
अन्य गैर चालू परिसम्पतियां				
(अरक्षित, अन्यथा उल्लिखित न किए जाने पर अचछे माने गए				
क) सुरक्षा जमा				-
ख) उपार्जित ब्याज				
- कर्मचारी ऋण	250.02		271.28	
	250.02		271.28	
घटाएं: कर्मचारी ऋणों पर उपार्जित संदेहास्पद ब्याज के लिए प्रावधान	22.78	227.24	22.85	248.43
ग) अन्य प्राप्य	2.92		2.92	
घटाएं : संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए प्रावधान	2.92		2.92	
		-		-
योग		227.24		248.43

नोट सं. 16
मालसूचियां

(मूल्य ₹/लाख)

		31 मार्च 2015		31 मार्च 2014	
मालसूचियां					
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित एवं मूल्य निर्धारित)					
क) भंडार एवं पूर्जे (प्रावधान घटाते हुए लागत पर)		8,804.15		7,953.30	
घटाएं:(i) नॉन मूविंग भंडार एवं पूर्जों के प्रावधान		2,735.43		2,193.55	
(ii) मालसूची की कमी के लिए प्रावधान		70.19		53.13	
(iii) मूल्य में क्षति के लिए प्रावधान		453.14		453.14	
			5,545.39		5,253.48
ख) अप्रचलित/खराब घटाते हुए लागत पर					
- मरम्मतयोग्य एवं रोटेबल्स पूर्जे		1,575.56		1,575.56	
घटाएं:(i) पुराना भंडार		1,436.26		1,436.26	
(ii) मूल्य में क्षति के लिए प्रावधान		139.30		139.30	
			-		-
- जैम मॉड्यूल		501.37		501.37	
घटाएं:(i) पुराना भंडार		447.21		447.21	
(ii) मूल्य में क्षति के लिए प्रावधान		54.16		54.16	
			-		-
ग) बट्टा घटाकर लागत पर					
- परीक्षण औजार उपकरण		470.31		414.09	
घटाएं: बट्टा		402.10		369.55	
			68.21		44.54
- प्रशिक्षण सामग्री		27.17		27.17	
घटाएं: बट्टा		27.17		27.17	
			-		-
घ) मार्गस्थ माल (लागत पर)			9.89		190.25
ड़)) एविएशन टर्बाइन फ्यूल (लागत पर)			24.88		25.52
योग			5,648.37		5,513.79

नोट सं. 17

प्राप्त व्यवसाय (अरक्षित)

			(₹ लाख में)	
	31 मार्च 2015		**31 मार्च 2014**	
– भुगतान के लिए देय तिथि से छः माह की अधिक अवधि से देय बकाया				
(क) सही माने गए	19,755.64		10,853.60	
(ख) संदेहास्पद माने गए	625.24		315.83	
– अन्य ऋण: सही माने गए*	15,289.53		16,598.06	
	29,670.41		27,767.49	
घटाएं: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	625.24		315.83	
		29,045.17		27,451.66
योग		**29,045.17**		**27,451.66**

*** इस राशि में ओएनजीसी से प्राप्त ₹2105.89 लाख की राशि शामिल है। (पिछले वर्ष ₹9060.14 लाख)**

नोट सं. 18

नकदी एवं नकदी समतुल्य

			(₹ लाख में)	
	31 मार्च 2015		**31 मार्च 2014**	
(क) बैंकों में शेष				
– चालू खाता	2,649,89		762.45	
– निर्यात उपार्जन विदेशी चालू खाता	196,36		470.68	
– स्थिति अनुरूप जमा खाते	1,500.38		1,244.36	
– सावधि जमा खाते	3,031.16		11,421.74	
– मार्जिन राशि (सावधि जमा)	1,520.91		1,571.71	
		8,898.70		15,470.94
(ख) उपलब्ध नकदी		26.60		33.59
योग		**8,925.30**		**15,504.53**

टिप्पणी:

(i) सावधि जमा में रोहिणी परियोजना के लिए निश्चित ₹1893.23 लाख (पिछले वर्ष ₹3294.94 लाख) की राशि शामिल है। संदर्भ नोट 28(XVI)

(ii) मार्जिन धन से बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी किए जाने के लिए ग्रहणधिकार के साथ बैंकों में सावधि जमा अभिप्रेत हैं।

नोट सं. 19

अल्पावधि ऋण और अग्रिम

		31 मार्च 2015		31 मार्च 2014	
अल्प कालिक ऋण एवं अग्रिम					
(अन्यथा उल्लेख न होने पर उपयुक्त मान्य)					
क) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम :-					
प्रतिभूत , उपयुक्त मान्य		70.00		58.84	
अप्रतिभूत , उपयुक्त मान्य		428.40		505.70	
अप्रतिभूत , संदेहास्पद मान्य		6.53		6.53	
		504.93		571.07	
घटाएं: संदेहास्पद ऋणों एवं अग्रिमों के प्रावधान		6.53		6.53	
			498.40		564.54
ख) अन्यों को अग्रिम :-					
अप्रतिभूत , उपयुक्त मान्य		624.30		450.70	
अप्रतिभूत , संदेहास्पद मान्य		59.15		59.15	
		683.45		509.85	
घटाएं: संदेहास्पद एवं अग्रिमों के प्रावधान		59.15		59.15	
			624.30		450.70
ग) सांविधिक प्राधिकरणों में शेष			152.58		171.29
घ) पूर्वदत्त व्यय			429.94		769.41
इ) सुरक्षा एवं अर्जित धन जमा			98.12		69.09
योग			**1,803.34**		**2,025.03**

नोट सं. 20

अन्य चालू परिसम्पत्तियां

		31 मार्च 2015		31 मार्च 2014	
अन्य चालू परिसम्पतियां					
(अप्रतिभूत , उपयुक्त मान्य)					
क) उपार्जित ब्याज					
सावधि जमा		204.64		551.99	
कर्मचारी ऋण		25.14		21.96	
			229.78		573.95
ख) बीमा दावे से प्राप्य			444.72		1,546.76
ग) बैंकों में सावधि जमा खाते/ चालू खाते (नागर विमानन महानिदेशालय से परियोजना के लिए प्राप्त राशि पर ब्याज सहित)			40.35		123.79
घ) अन्य			27.63		303.12
योग			**742.48**		**2,547.62**

नोट सं. 21

प्रचालनों से राजस्व

				(₹ लाख में)
		31 मार्च 2015		31 मार्च 2014
(क) सेवाओं की बिक्री				
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार	50,142		49,465.15	
घटाए: हेलीकॉप्टरों की उपलब्धि न होने से कटौति (ए. ओ. जी.)	623.29		500.56	
		49,518.88		48,964.59
(ख) अन्य प्रचालन राजस्व				
प्रचालन तथा अनुरक्षण अनुबंधो से आय	2,692.74		2,527.44	
प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य उगाहियां	23.95		44.16	
निर्णित हर्जाना उगाही	–		90.00	
		2,716.69		2,661.60
योग		**52,235.57**		**51,626.18**

नोट सं. 22

अन्य आय

				(₹ लाख में)
		31 मार्च 2014		31 मार्च 2013
ब्याज आय:				
(क) बैंकों में जमा से ब्याज आय	1,123.48		1,161.79	
(ख) कर्मचारियों को दिए ऋण पर ब्याज	31.90		30.61	
		1,155.38		1,192.40
बीमा दावों के निपटान से अधिशेष		22.35		19.57
पूर्वावधि आय (शुद्ध) (नोट 25ए)		–		133.73
मालसूची मदो की बिक्री से लाभ		–		7.48
विनिमय दर अस्थिरता (शुद्ध)		935.53		494.36
अनापेक्षित प्रावधान-पुनरांकित		273.72		265.75
निर्णित हर्जाने (खरीद)		99.15		4.88
विविध आय		248.39		560.45
योग		**2,734.52**		**2,678.63**

नोट सं. 23

हेलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

		(₹ लाख में)
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण व्यय	11,527.04	10,437.35
ईंधन व्यय	3,483.58	4,058.79
बीमा व्यय	1,162.45	1,860.65
अवतरण, पार्किंग एवं अन्य व्यय	168.45	157.76
निर्णित हर्जाने	839.31	1,156.95
उपकरण/विशेषज्ञता किराया प्रभार/पट्टा प्रभार	–	6.45
श्राइन बोर्ड को रॉयल्टी/कमीशन	73.70	192.61
नॉन मूविंग मालसूची/उपयोग अवधि समाप्ति वाली मदें	541.89	575.99
बट्टा किए गए रोटेबल्स, भंडार एवं पूर्जे	–	41.99
अचल परिसम्पतियों की क्षति से हुई हानि	–	11.80
बट्टा की गई अचल परिसम्पत्ति	107.44	43.44
भंडारण, संचलन एवं विलंम्ब प्रभार	51.05	66.10
माल, परिवहन तथा ढुलाई	128.12	106.69
अन्य प्रचालन व्यय	10.71	23.69
योग	**18,093.82**	**18,740.26**

नोट सं. 24

कर्मचारी हित लाभ व्यय

		(₹ लाख में)
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
वेतन, मजदूरी तथा अन्य लाभ	13,902.11	13,512.07
कर्मचारी कल्याण	42.62	45.72
भविष्य एवं उपदान निधियों में अंशदान	499.93	552.90
अन्य कर्मचारी व्यय	971.68	788.22
योग	**15,416.34**	**14,898.91**

नोट सं. 25

अन्य व्यय

		31 मार्च 2015		31 मार्च 2014	
अन्य व्यय					
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
भवन		33.04		30.07	
उपकरण		92.19		41.02	
अन्य		108.25		120.30	
			233.48		191.39
किराए			811.58		478.54
यात्रा एवं परिवहन			1,693.47		1,770.75
कर्मी दल एवं अन्य कर्मचारी प्रशिक्षण			465.34		396.12
बैंक प्रभार			47.22		33.13
बिजली एवं पानी व्यय			223.14		192.22
टेलीफोन,टैलेक्स एवं डाक			96.07		100.52
विज्ञापन एवं प्रचार			47.94		48.71
मुद्रण एवं लेखन सामग्री			74.74		81.24
वाहन चालन एवं अनुरक्षण			21.46		22.75
ऑडिटरों को पारिश्रमिक					
-सांविधिक ऑडिट प्रभार		6.73		6.06	
- व्ययों का पुनर्भुगतान		0.68		0.72	
			7.41		6.78
दरें, शुल्क एवं कर			70.23		20.57
परिसम्पतियों की बिक्री से हानि			-		-
पूर्वावधि आय (शुद्ध) (देखें नोट 25ए)			119.30		
संदेहास्पद ऋणों एवं अग्रिमों के प्रावधान			309.46		32.86
निगमित सामाजिक दायित्वों एवं दीर्घकालिक विकास निधि के प्रावधान			69.53		35.09
सम्पति कर के प्रावधान			7.90		8.15
जुहू हाउसिंग कॉम्प्लेक्स व्यय (शुद्ध उगाहियां)			84.77		108.48
बीमा व्यय			35.13		41.01
अन्य व्यय			321.94		476.26
योग			**4,740.12**		**4,044.57**

नोट सं. 25क

		31 मार्च 2015		31 मार्च 2014	
(क) पूर्वावधि मदों से अभिप्रेत :					
क.जमा					
उपादान		-		-	
मूल्यह्रास		-		-	
पूर्व वर्षों के लिए बिलिंग		-		14.53	
पुनरांकित किए गए एलटीसी प्रावधान		-		46.58	
अन्य मदें		2.31		158.31	
योग(क)			2.31		219.42
ख. नामे					
मूल्यह्रास		0.00		6.45	
पूर्व वर्षों के लिए बिलिंग		60.89		-	
विनिमय दर अस्थिरता (शुद्ध)		-		-	
अन्य मदें		60.72		79.24	
योग (ख)			121.61		85.69
ग. शुद्ध नामे / (जमा) (क-ख)			**119.30**		**(133.73)**

नोट सं. 26

विशिष्ट मदें

		(₹ लाख में)
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
विशिष्ट मदें		
लक्षद्वीप में हुई हानि के लिए प्रावधान	–	89.12
निवेश मूल्य में हानि के लिए प्रावधान	144.67	–
योग	144.67	89.12
	144.67	**89.12**

नोट सं. 27

आसाधारण मदें

		(₹ लाख में)
	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
आसाधारण मदें		
क. जमा		
बीमा दावे के निपटान पर अधिशेष	–	743.41
	–	743.41
ख. नामे	–	–
ग शुद्ध जमा/(नामे)(क-ख)	–	**743.41**

नोट सं. 28

वित्तीय विवरणों के संबंधित नोट

(31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखा के साथ संलग्न और उसका एक अंग)

(I) **प्रतिबद्धताएं**

पूंजी लेखा/निवेशों (चुकता अग्रिम का निवल) में निष्पादन के लिए शेष तथा प्रावधान न किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि:

	₹ / लाख
31.03.2015	**31.03.2014**
6795.43	6771.42

(II) **आनुषंगिक देयताएं**

विवरण		₹ / लाख	
		31.03.2015	**31.03.2014**
क.	बैंक को दी गई प्रति गारंटी	2313.14	2284.06
ख.	साख पत्र	460.12	568.75

(ग) कम्पनी द्वारा ऋण की अभिस्वीकृति के तौर पर मान्य न किए गए दावे:

(1)

विवरण	₹ / लाख	
	31-03-2015	31-03-2014
आयकर मांग के विरुद्ध कम्पनी द्वारा आयकर अपीलीय अभिकरण / आयकर आयुक्त (अपील) के सम्मुख प्रस्तुत किया गया विवाद	5383.91	5383.91

आयकर विभाग द्वारा उपर्युक्त राशि का समायोजन विभिन्न वर्षों में कम्पनी से संबंधित मांगों/धनवापसी से किया गया है।

अधिकांश मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए प्रारंभिक मूल्यांकन के समय की गई आय कर मांग अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है। आयकर अपीलीय अभिकरण के पास बकाया पड़ी आयकर से संबंधित अधिकांश मांगे भारत सरकार से प्राप्त ऋण पर देय ब्याज से संबंधित हैं। इस संबंध में नोट संख्या 5 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(2)

		₹ / लाख	
विवरण		**31.03.2015**	**31.03.2014**
क.	न्यायिक मामले/ विवेचनाधीन मामले	4426.00	3832.26
ख.	अन्य मामले (इन मामलों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हैंगरों तथा भूमि के पट्टा किराए के दावे शमिल हैं। नागर विमानन मंत्रालय मध्यस्था के तौर पर की गई विवेचना का प्राधिकरण द्वारा आत्याधिक उच्च मांग प्रस्तुत की गई है जिसे कम्पनी ने स्वीकार नहीं किया है तथा 22278.49 लाख (चुकता शेष/ प्रावधान) की मांग को आनुषंगिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।	22381.56	610.28

(3)

	₹ / लाख	
विवरण	**31.03.2015**	**31.03.2014**
वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए जुर्माने सहित मांग नोट	31927.35	31927.35

यह वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 के दौरान कुछ ग्राहकों के लिए हैलीकॉप्टरों के प्रयोग के अधिकार स्थानांतरित किए जाने के लिए दिल्ली के बिक्री कर विभाग द्वारा की गई मांग से संबंधित है।

कम्पनी द्वारा चूंकि इस व्यवहार के लिए सेवा कर का भुगतान किया जा रहा है अत: मूल्य

संवर्धित मांग का प्रश्न नहीं उठता है। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के लिए मांग का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(4)

		₹/लाख
विवरण	31-03-2015	31-03-2014
अप्रैल 2009 से सितंबर 2013 की अवधि के लिए सेवाकर विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस	1962.72	1655.90

विचाराधीन वर्ष के दौरान सेवा कर विभाग से प्राप्त यह कारण बताओ नोटिस वर्ष 2009-13 से सम्बद्ध है। इसके उत्तर तैयार किए जा रहे हैं, तथापि कम्पनी को यह आशा है कि इससे प्रचालन अथवा नकदी प्रवाह के परिणामों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) कम्पनी के अनिर्णित कानूनी मामलों में कम्पनी के खिलाफ किए गए दावे तथा कर/वैधानिक/सरकारी प्राधिकरणों के पास अनिर्णित पड़े मामले हैं। कम्पनी ने अपने सभी अनिर्णित कानूनी मामले तथा उनकी प्रक्रियाओं की समीक्षा की है तथा जहां कहीं आवश्यकता हुई उसके लिए प्रावधान किए हैं तथा आवश्यकतानुसार अपनी वित्तीय विवरणियों में आनुषंगिक देयताओं का प्रकटीकरण किया है। कम्पनी को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप इसकी स्थिति पर किसी प्रकार का कोई ठोस प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में उपर्युक्त निर्धारणों के संबंध में होने वाले नकदी प्रवाह का निर्धारण विभिन्न न्यायाधिकरणों/प्राधिकरणों के पास अनिर्णित पड़े मामलों के निर्धारण/निर्णय की प्राप्ति पर ही संभव हो सकेगा।

(III) **भारत सरकार द्वारा किया गया दावा**

वर्ष 1986 में भारत सरकार कम्पनी में किए जाने वाले इक्विटी निवेश में किए जाने वाले अंशदान के प्रयोग से कम्पनी द्वारा ₹25090.00 लाख की परियोजना लागत से 21 डॉफिन तथा 21 वेस्टलैंड हैलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया गया था। तथापि, कम्पनी को 11376.00 लाख की राशि की इक्विटी ही प्राप्त हुई थी जिसमें ओएनजीसी द्वारा किए गए इक्विटी अंशदान की ₹2450.00 लाख की राशि भी सम्मिलित है। कम्पनी द्वारा इस पूंजी अंशदान का प्रयोग आंतरिक स्रोतों की ₹622.97 लाख की राशि के साथ किया गया तथा ₹13091.03 लाख की राशि का शेष अलग रखकर प्रायोजित लागत के अंतर्गत अंशदान का प्रयोग हुआ। शेष ₹13091.03 लाख की राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा हैलीकॉप्टरों के आपूर्तिकताओं को किया गया तथा इसे भारत सरकार को बकाया राशि के तौर पर लिया गया। कम्पनी ने 31.03.2001 तक इन बकायों/देयताओं के ब्याज के तौर पर ₹33931.19 लाख को लेखांकित कर लिया गया है तथा चूंकि वित्त मंत्रालय द्वारा कम्पनी से 31.03.2015 तक बकाया मूल राशि 13091.33 लाख तथा ब्याज के रूप में 33931.19 लाख अर्थात् कुल राशि ₹47022.22 लाख होने की पुष्टि की गई है अत: कम्पनी द्वारा 31.03.2001 के पश्चात् से बकाया पड़े ₹32989.41 लाख की राशि के ब्याज (पिछले वर्ष ₹30633.02 लाख) के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से समय समय पर भारत सरकार के सम्मुख इस आधार पर इन देयताओं और इसके ब्याज से छूट प्राप्ति के लिए प्रतिवेदन किया गया है कि यह परियोजना उन 42 हैलीकॉप्टरों के आयात के लिए थी जिसका पूर्ण निधियन भारत सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान के माध्यम से किया गया था। छूट प्राप्ति के संबंध में जुलाई, 2014 में वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त न होते हुए भी इस संबंध में कम्पनी द्वारा अगस्त, 2015 में पुन: विवरण प्रस्तुत करते हुए यह मामला नागर विमानन मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।

यह मामला वित्त मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय के मध्य विचाराधीन है। नागर विमानन मंत्रालय ₹47022.22 लाख की राशि के संबंध में भारत सरकार से छूट प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कम्पनी तथा भारत सरकार के मध्य इस मामले पर अंतिम निर्णय होने के पश्चात्

आवश्यक समयोजन किए जाएगे। कम्पनी ने अपने तुलन पत्र में भारत सरकार द्वारा किए गए इस दावे का वर्गीकरण "अन्य दीर्घकालिक देयताओं" के रूप में किया है।

(IV) **वैस्टलैंड परिसम्पतियों का निपटान**

(क) वेस्टलैंड बेड़े को भूमिगत किए जाने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 1993 को समग्र वेस्टलैंड बेड़े को उससे संबंधित माल सूची के साथ वैश्विक निविदा के माध्यम से बेचे जाने तथा इसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग भारत सरकार तथा ब्रिटेन सरकार के मध्य आपसी परामर्श से गरीबी उन्मूलन के लिए उपलब्ध करवाए जाने के निणय से अवगत करवाया गया। तथापि, इसकी वैश्विक निविदा की प्रतिक्रिया अनुकूल न होने के परिणामस्वरूप सरकार ने दिनांक 12 मई, 1994 को कम्पनी को वेस्टलैंड परिसम्पतियों का निपटान इसकी खरीद के प्रति इच्छुक पार्टियों के साथ परक्रामण के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा वेस्टलैंड परिसम्पतियों के निपटान की देख रेख के लिए एक संचलन समिति का गठन भी किया गया था।

(ख) वेस्टलैंड हैलीकॉप्टरों (एक क्षतिग्रस्त हैलीकॉप्टर सहित) तथा उससे संबद्ध मालसूची के रूप में ये परिसम्पतियां ₹2239.00 लाख के औसत बही मूल्य पर दर्शाई गई हैं। कम्पनी द्वारा पिछले वर्षों में पूर्व विचार करते हुए वेस्टलैंड परिसम्पतियों से होने वाली संभावित हानियों का बही मूल्य के समरूप 100% प्रावधान किया गया था। वर्ष 1999-2000 में इन परिसम्पतियों के निपटान से संबंधित ₹723.00 लाख को बही मूल्य में समायोजित करने के पश्चात् ₹1516.00 लाख के बकाया प्रावधान को अग्रेनित किया गया है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान कम्पनी द्वारा सरकारी अनुमोदन से वेस्टलैंड की परिसम्पत्तियों को पाउंड स्टर्लिंग 9,00,000 की एकमुश्त राशि की एक पैकेज डील के अंतर्गत ब्रिटेन की एक फर्म मैसर्स एईएस एयरोस्पेस लिमिटेड के साथ करार किया गया था। यह सहमति हुई थी समग्र पैकेज अधिकाधिक दो प्रेरेषणों में प्रत्येक किए जाने वाले परेषण के अनुमानित मूल्य का भुगतान करने हुए किया जाएगा। पहला परेषण दिसम्बर, 1999 में भेजा गया था तथा कम्पनी बिक्री के तौर पर पांउड स्टर्लिंग 4,50,000 (₹322.00 लाख) की राशि जनवरी, 2000 में प्राप्त हुई थी जिसे प्रशासनिक मंत्रालय के निदेशानुसार तत्काल भारत सरकार के पास जमा करवा दिया गया था। क्रेता द्वारा विवाद खड़ा किए जाने के कारण दूसरा परेषण नहीं भेजा जा सका। कम्पनी द्वारा करार के अंतर्गत सहमत विभिन्न दायित्वों को पूरा न किए जाने के प्रति क्रेता के विरुद्ध विशिष्ट निष्पादन न किए जाने एवं नुकसानों की भरपाई के लिए दावा किया गया है। तथापि, क्रेता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2012 को इस मामले को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए कहा गया है।

(घ) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान बेची गई वेस्टलैंड परिसम्पतियों (लागत ₹5146.00 लाख बट्टा मूल्य ₹723.00 लाख) से संबंधित आवश्यक समायोजन पहले परेषण के अंतर्गत किए गए लेन देन को पूर्ण बिक्री मानते हुए उस वर्ष की लेखा पुस्तिकाओं में किया गया है। बेची गई तथा मुम्बई के मालगोदाम से एकत्र की गई मालसूचियों का पूर्ण प्रमात्रा विवरण उपलब्ध न होने के कारण इससे संबंधित आंकड़ों को अस्थाई आधार पर विचार में लाया गया है। वेस्टलैंड परिसम्पतियों की ब्रिकी से संबंधित करार चूंकि एकमुश्त मूल्य पर आधारित था अत: इससे संबंधित मदों के निपटान पर हुई हानि का निर्धारण पहले परेषण के अंतर्गत पांउड स्टर्लिंग 4,50,000 (₹322.00 लाख) की राशि से बेचे गए 9 हैलीकॉप्टरों, टेस्ड बैड, माल सूची की मदों से संबंधित उनका मदवार बिक्री उपलब्ध न होने के कारण औसत बही मूल्य से कम करते हुए किया गया है। इनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान कर लिया गया था।

(ङ) शेष वैस्टलैंड हेलीकॉप्टर पवन हंस लिमिटेड

पश्चिमी क्षेत्र परिसर में हैं तथा माल सूची की मदें वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान कम्पनी के दिल्ली कार्यालय से मुम्बई कार्यालय ले जाई जाने वाली मदें खरीददार के नियुक्त परिवाहक द्वारा खरीददार के निदेश पर वापस मोड़ ली गई थी तथा ये मुम्बई के मालगोदाम में रखी हुई हैं। वैस्डलैंड माल सूची तथा पूंजीगत मदों की मूल लागत ₹3250.00 लाख (बट्टा मूल्य - ₹450.00 लाख) है। मालगोदाम कम्पनी तथा मालवाहक द्वारा दायर की गई विशेष रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है। सागर वेयरहाउसिंग कम्पनी के मालगोदाम में से वैस्टलैंड की मालसूची की मदों की मालसूची तैयार करके उन्हें कम्पनी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है। तदनुसार शेष बची वैस्टलैंड परिसम्पतियों के निपटान के अनुमोदन प्राप्ति के लिए कदम उठाए गए हैं। ये हैलीकॉप्टर तथा इनकी शेष मालसूची की मदें कम्पनी के पास हैं (इन्हें बॉक्सों में रखा गया है परन्तु वर्ष के दौरान उसकी भौतिक जांच नहीं गई है) तथा पैरा - VIख के प्रावधानों के अनुसार इनके ₹647.00 लाख के बही मूल्य को अग्रेषित किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय से संचलन समिति के पुनर्गठन का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय द्वारा शेष वैस्डलैंड परिसम्पतियों के मूल्य निर्धारण की रिपोर्ट तैयार करने के निदेश दिए गए हैं तथा मूल्य निर्धारणकर्ता ने इसका मूल्य ₹25.73 लाख निर्धारित किया है। तथापि मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 7.11.2014 के पत्र के माध्यम से किसी अन्य मूल्य निर्धारणकर्ता से इनका पुन: मूल्यांकन किए जाने के लिए अन्य मूल्य निर्धारतकर्ता की नियुक्ति कर ली गई है तथा इसकी रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(V) **आवासीय फ्लैट/क्वार्टर्स**

(क) कम्पनी द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 25 वर्ष की अवधि के लिए आबंटित की गई भूमि पर ₹2270.68 लाख की लागत से 242 फ्लैटों का निर्माण एवं पूंजीयन किया गया है। कम्पनी द्वारा संयुक्त विकास करार के अंतर्गत उक्त भूमि के पट्टा किराए तथा परियोजना आर्किटैक्ट द्वारा अनुमानित इन फ्लैटों की निर्माण लागत की ₹595.00 लाख की राशि के स्थान पर 242 फ्लैटों में से 50 फ्लैट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आबंटित किए गए हैं।

(ख) कम्पनी द्वारा वर्ष 1998 में एमएचएडीए, मुम्बई से 6 आवासीय फ्लैट खरीदे गए हैं तथा यद्यपि इन फ्लैटों का कब्जा आबंटन पत्र के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी देकर पंजीकरण करवा लिया गया है तथा अंतिम भुगतान किए जाने पर यह सोसायटी के पक्ष में उचित हस्तांतरण करार तैयार किए जाने की शर्त पर है। कुछ सोसायटियों द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में एमएचएडी के खिलाफ मूल्य में भिन्नता का दावा किया गया है। अत: ऐसी स्थिति में स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

(ग) कम्पनी द्वारा वर्ष 1991-92 में कर्मचारियों के लिए लोखंडवाला कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई से 42 आवासीय फ्लैटों की खरीद की गई थी। कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा ये फ्लैट सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किराए पर दिए जाने का अनुमोदन दिया गया था तथा तदनुसार 31 मार्च, 2015 की यथास्थिति के अनुसार 29 फ्लैट किराया आधार पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को किराए पर दिए गए हैं परन्तु इसके पट्टा करार की अवधि 22.07.2013 को समाप्त हो चुकी है जिसके लिए 20% की वृद्धि के साथ नए पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इससे संबंधित लेखांकन हमारी पुस्तिकाओं में कर दिया गया है।

अचल आस्तियां

(क) 31.03.2015 की यथास्थिति के अनुसार ₹5187.95 लाख (पिछले वर्ष ₹5615.03 लाख) की शुद्ध लागत के रोटेबल्स एवं मरम्मत योग्य उपकरण विदेशी उपकरण आपूर्तिकताओं के पास मरम्मत के लिए पड़े हुए हैं। इनमें से ₹2969.76 लाख (पिछले वर्ष ₹3645.10 लाख) एवं ₹1783.49 लाख (पिछले वर्ष ₹2249.48 लाख) की बट्टा लागत के रोटेबल्स 31 मार्च, 2015 के पश्चात प्राप्त हो गए हैं। शेष रोटेब्लस संबंधित पार्टी के पास होने के संबंध में पुष्टि प्राप्त की जा रही है।

ये मदें मरम्मत/ओवरहॉल के पश्चात हमें वापस भिजवाने के लिए मूल उपकरण निर्माताओं से सम्पर्क के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) दिनांक 15.4.2010 से प्रयोग में लाए जा रहे नोएडा कार्यालय का वर्ष 2010-11 में ₹675.00 लाख की राशि से अस्थाई पूंजीयन किया गया है, संविदाकर्ता तथा कम्पनी के बीच विवाचन प्रक्रिया के पश्चात् शेष बकाया की प्राप्ति होगी। भवन के फर्नीचर एवं जुड़नार का भी ₹310.55 लाख से अस्थाई पूंजीयन किया गया है तथा इसके बकाया के लिए आपूर्तिकर्ता से अंतिम निपटान किया जाना है।

(ग) अचल परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है तथा अचल परिसम्पतियों के रजिस्टर से इनका मिलान किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। बहियों तथा भौतिक शेष के यदि कोई समायोजन अपेक्षित हुआ तो उसके संबंध में समाधान करते हुए उसे पूरा किया जाएगा।

(घ) वर्ष के दौरान उधार पूंजी की राशि ₹शून्य लाख थी (पिछले वर्ष ₹ शून्य लाख)।

(VII) कम्पनी की यह धारणा है कि कम्पनी के स्वामित्व वाले हैलीकॉप्टर नागर विमानन महानिदेशालय से आवधिक/वार्षिक आधार पर उड़नयोग्यता के लिए प्रमाणित किए गए हैं तथा इनसे वर्ष के दौरान राजस्व का अर्जन किया गया है अत: हैलीकॉप्टरों के मूल्य के प्रति हानि के संबंध में किसी प्रकार की अलग से कोई प्रक्रिया किए जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

(VIII) मालसूचियां

(1) वर्ष के दौरान पश्चिम क्षेत्र में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किए जाने पर नीचे उल्लिखित कमियां/बढ़ोतियां प्रकाश में आई हैं:

(₹/लाख में)

चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
कमियां	**बढ़ोतियां**	**कमियां**	**बढ़ोतियां**
17.06	6.77	26.28	43.29

भौतिक शेष तथा रिकॉर्ड के संबंध में समाधान किए जा रहे हैं। समाधान पूरा किए जाने के पश्चात् उचित समायोजन कर लिए जाएगे।

(2) अनुमोदित लेखांकन नीति का अनुसरण करते हुए विचाराधीन वर्ष के दौरान गतिमान न हो सकने वाले भंडार, कलपूर्जों एवं उपभोज्य वस्तुओं की समीक्षा करने पर वर्ष के दौरान ₹541.89 लाख (पिछले वर्ष ₹575.99 लाख) के प्रावधान किए गए हैं।

(IX) (1) उत्तरी क्षेत्र के प्राप्यों के संबंध में वसूली योग्य ऋण एवं बकायों का बिल वार विश्लेषण किया गया है तथा इससे यह ज्ञात हुआ है कि ₹1727.25 लाख की राशि (पिछले वर्ष ₹2316.62 लाख) के बिल केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से विलग पार्टियों से प्राप्ति के लिए बकाया पड़े हैं जिसमें से ₹137.49 लाख (पिछले वर्ष ₹4.42 लाख) के बिल तीन वर्ष से अधिक अवधि से बकाया हैं। केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से ₹17916.84 लाख (पिछले वर्ष ₹16388.95 लाख) बकाया पड़े हैं जिसमें से ₹185.26 लाख (पिछले वर्ष ₹67.57 लाख) सात वर्ष से अधिक अवधि से बकाया हैं। संभावित संदेहास्पद वसूलियों के संबंध में लेखा पुस्तिकाओं में कुल ₹322.75 लाख (पिछले वर्ष ₹71.99 लाख) के प्रावधान किए गए हैं। बकाया बिलों तथा आंशिक रूप से चुकता किए गए बिलों की वसूली के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है तथा प्रबंधन का यह विचार है कि केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ शमिल प्रदेशों प्रदेशों से अधिकांश पुराने बकाया की वसूली निकट भविष्य में कर ली जाएगी।

(2) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के पास पश्चिमी क्षेत्र का ₹130.00 लाख का कारनेट जमा था जिसमें से ₹107.53 लाख (पिछले वर्ष ₹107.53 लाख) की राशि के बिल प्राप्त कर लिए गए हैं तथा 31.03.2008 तक की लेखा पुस्ताकाओं में उनका लेखांकन कर लिया गया है। शेष ₹22.46 लाख (पिछले वर्ष ₹22.46 लाख) की राशि का इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के साथ समाधान किया जा रहा है तथा इसे पिछले वर्ष में ₹22.46 लाख की राशि के लिए गए प्रावधान के अंतर्गत अग्रिम बकाया दर्शाया गया है।

(3) कम्पनी द्वारा ''हाई सी-सेल्स'' के आधार पर पवन हंस के लिए आयात करने वाली पार्टियों से अतिरिक्त पूर्जी की खरीद की गई है। निवेदित दरें विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुई हैं तथापि भुगतान भारतीय मुद्रा में जारी किया गया है। हाई सी-सेल्स के मामले में बिल की दर हाई सी-सेल्स के साथ बिक्री करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि को विजया बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई गई भारतीय ₹ में विदेशी मुद्रा के बिक्री मूल्य पर की जाती है तथा इस दर को आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए विचार में लाया जाता है।

(X) सुरक्षित ऋण

क्र. सं.	ऋण दाता	स्वीकृत सीमा / तिथि (₹ /लाख में)	31.3.2015 तक आहरण (₹/ लाख)	31.3.2015 तक पुनर्भुगतान (₹/ लाख)	ब्याज दर (मासिक शेष)	भुगतान अनुसूची	प्रतिभूति
1.	ओएनजीसी	27500.00 12/08/2010	16516.00 (9585.00 का सकल इक्विटी में परिवर्तित)	12837.60	भा.स्टे.बैं. बेसिक दर जमा 1.5%	60 समान मासिक किश्तें	7नए डॉफिन एन 3 हैलीकॉप्टर के रेहन द्वारा
नोट:- यूरोकॉप्टर, फ्रांस से प्राप्त 7 नए डॉफिन हैलीकॉप्टरों के लिए 80%वित्तीय के संबंध में परक्रामण अगस्त, 2010 में किया गया ।							
2.	विजया बैंक तथा एक्जिम बैंक द्वारा संघीय ऋण सहायता						2 एमआई172 हैलीकॉप्टरों के रेहन द्वारा
(क)	विजया बैंक/ सावधि ऋण ₹	9518.00 10/01/2012	9518.00	9518.00	भा.स्टे.बैं. बेसिक दर जमा 1.25% प्र.वर्ष. + 0.25% प्र.वर्ष. (टीपी)	36 तिमाही किश्तें	
(ख)	एक्जिम बैंक सावधि ऋण ₹	9082.00 10/01/2012	8466.94	8466.94	भा.स्टे.बैं. बेसिक दर जमा 1.5%	36 तिमाही किश्तें	2 एमआई 172 डॉफिन हैलीकॉप्टरों के रेहन द्वारा
नोट:- इन ऋणों का बैंकों द्वारा हैलीकॉप्टरों की लागत के 80% की सीमा तक बाह्य ऋण् के तौर पर वित्तीयन किया गया है । तथापि, कम्पनी की देयताएं ₹ भुगतान के लिए हैं तथा तदनुसार ये विनिमय दर के उतार चढ़ाव के प्रति स्थिर हैं । समग्र ऋण का पुनर्भुगतान वित्तीय वर्ष 2014-15 में कर दिया गया है ।							
3.	एनटीपीसी लि.	5430.00 29/04/2010	5283.63	1268.23	6% प्रति वर्ष	120 समान मासिक किश्ते	डॉफिन एन 3 हैलीकॉप्टर के रेहन द्वारा
नोट :- वित्तीय व्यवस्था डॉफिन एन3 हैलीकॉप्टर की वैट लीज से एक वर्ष की अवधि के लिए की गई है तथा तत्पश्चात डॉफिन एन 3 की वैट लीज 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी ।							

(XI) विविध देनदारों से 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बकाए की पुष्टि तथा अग्रिम/जमा का प्रसारण किया गया है परन्तु इससे सीमित परिणाम ही प्राप्त हुए हैं। तथापि, अधिकांश मामलों से संबंधित ऋणों की वसूली कर ली गई है।

(XII) **कर्मचारी पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ**

(क) गैर-अधिकारी गैर तकनीकी कर्मचारियों से 16.08.2011 को गैर-अधिशासी तकनीकी कर्मचारियों से 16.07.2012 को तथा अधिकारियों के साथ 11.12.2012 को वेतन संशोधन समझौता किए जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा 31.03.2015 तक के लिए ₹2746.34 लाख (पिछले वर्ष ₹2746.34 लाख) के प्रावधान किए गए है। पिछले वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए ₹37.56 लाख (पिछले वर्ष ₹38.36 लाख) का शेष अलग रखते हुए भुगतान किया जा चुका है तथा इसके समायोजन के लिए इसे अगले वर्ष में अग्रेनित किया गया है।

पिछले वर्षों में ₹2225.74 लाख (पिछले वर्ष ₹1818.71 लाख) की राशि के सेवानिवृत्ति प्रावधान किए हैं। जिसमें से चालू वर्ष में ₹399.25 लाख (पिछले वर्ष ₹407.03 लाख) के प्रावधान किए गए हैं। सेवानिवृत्ति योजना एक परिभाषित अंशदायी योजना है जिसमें कम्पनी की देयताएं प्रतिवर्ष उस वेतन पर 10% का अंशदान किए जाने तक सीमित हैं जिस वेतन पर भविष्य निधि अंशदान दिया जाता है। कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ सेवानिवृत्ति योजना को अंतिम रूप किया गया है। कुल ₹2624.99 लाख के लिए किए गए प्रावधान में से कम्पनी द्वारा पीएचएल डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूटरी सुपरएनुएशन ट्रस्ट को वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ₹2493.88 लाख का भुगतान किया गया तथा शेष ₹126.47 लाख की राशि ''अतिरेक प्रावधान से बकाया'' में लेखांकित करते हुए नोट संख्या 22 में दर्शाई गई है।

(ख) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा पॉयलटों तथा इंजीनियरों के लाइसेंस सम्बद्ध भत्तों के लिए अनुमानित आधार पर ₹1104.78 लाख (पिछले वर्ष ₹1104.78) की राशि उपलब्ध करवाई गई है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार अग्रेनित की गई राशि ₹3234.16 लाख है।

(ग) **सेवानिवृत्ति हित लाभ योजनाएं**

(1) **भविष्य निधि में अंशदान**

कम्पनी द्वारा परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति हित लाभ योजना में पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अंशदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, कम्पनी से इस हित लाभ के निधियन के लिए मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत का अंशदान किया जाना अपेक्षित किया गया है। प्रावधानों के अंतर्गत किए जाने वाले अंशदान का विधिवत भुगतान कम्पनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को किया जाता है। कम्पनी इसमें मासिक अंशदान तथा भारत सरकार द्वारा विर्निदिष्ट न्यूनतम दरों के आधार पर निधि की परिसम्पतियों में न्यूनता को पूरा किए जाने के प्रति उत्तरदायी है। यह अंशदान तथा न्यूनता, यदि कोई हो, को भुगतान किए जाने के वर्ष में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

(2) **उपदान**

कम्पनी में एक परिभाषित उपदान हित लाभ योजना है। पांच अथवा वर्ष की निरंतर सेवा वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, असमर्थता अथवा मृत्यु होने पर अधिकतम ₹10.00 लाख की राशि का उपदान प्राप्त करने का पात्र है। उपदान योजना का निधियन कम्पनी द्वारा किया जा रहा है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसके प्रति उत्तरदेयता का निश्चय वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(3) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हित लाभ योजना (पीआरएमबीएस)**

कम्पनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हित योजना उपलब्ध है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति

कर्मचारी तथा उसके जीवन साथी को कम्पनी द्वारा निर्धारित परिसीमा तक पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके प्रति देयताओं का निश्चय वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(3) **छुट्टियां (अर्जित छुटियां/अर्द्ध वेतन छुट्टियां)**

कम्पनी द्वारा कम्पनी में कार्यरत अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी हित लाभ (क्षतिपूरित अनुपस्थिति सहित) तथा अर्द्ध वेतन अवकाश प्रदान किए जाते हैं तथा ये वर्ष में क्रमशः 30 एवं 20 होते हैं। अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण केवल नौकरी समाप्त होते समय अधिकतम 240 दिनों के लिए किया जा सकता है तथा अर्द्ध वेतन अवकाश को भुनाया को भुनाया नहीं जा सकता है। लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जित छुट्टी तथा अर्द्ध वेतन अवकाश का सेवानिवृत्ति के समय एक साथ अधिकतम 300 दिनों के लिए नकदीकरण किया जा सकता है। इसके प्रति देयताओं का निश्चय वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(5) **सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता**

सामान भत्ते से सेवानिवृत्ति के पश्चात दिया जाने वाला वह भत्ता अभिप्रेत है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी की इच्छा के अनुसार देश में कहीं भी अपना निवास स्थापित करने के लिए कर्मचारी/परिवार की यात्रा के लिए प्रदान किया जाता है। इसके प्रति देयताओं का निश्चय वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(6) नीचे प्रस्तुत की गई तालिका में वित्तीय विवरणियों के अनुसार सेवानिवृत्ति पश्च हित लाभ योजनाओं की स्थिति दर्शाई गई है:-

	2014-15			2013-14		
विवरण	**अथ देयताएं (₹/लाख)**	**वर्ष के दौरान जमा/ समायोजित/ (₹/लाख)**	**इति शेष देयताएं (₹/लाख)**	**अथ देयताएं (₹/लाख)**	**वर्ष के दौरान जमा/ समायोजित/ (₹/लाख)**	**इति शेष देयताएं (₹/लाख)**
अर्जित छुट्टी	1480.19	55.71	1535.90	1353.29	126.90	1480.19
अर्द्ध वेतन छुट्टी	593.00	104.27	697.27	556.51	36.49	593.00
सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा सुविधा लाभ	529.60	123.42	653.02	409.63	119.97	529.60
सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	14.22	1.39	15.61	13.57	0.65	14.22
योग	**2617.01**	**284.79**	**2901.80**	**2333.00**	**284.01**	**2617.01**

(7) 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणी में स्थान प्राप्त परिभाषित योजनागत लाभों की वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार स्थिति निम्नानुसार है:

		2014-2015			2013-2014		आंकड़े ₹/लाख
	विवरण	अवकाश नकदीकरण (अछु व अवेछु अनिधिबद्ध)	बैगेज भत्ता/ पीआरएमबी एस (अनिधिबद्ध)	उपदान (निधिबद्ध)	अवकाश नकदीकरण (अछु व अवेछु अनिधिबद्ध)	बैगेज भत्ता/ पीआरएमबी एस (अनिधिबद्ध)	उपदान (निधिबद्ध)
(क)	**वर्तमान अनुग्रह मूल्य में परिवर्तन**						
i.	अवधि के प्रारंभ स्परूप वर्तमान अनुग्रह मूल्य	2073.19	543.82	3129.97	1909.80	423.20	2964.06
ii.	ब्याज	165.86	43.51	250.40	152.78	33.86	237.13
iii.	पूर्व सेवा लागत	–	–	–	–	–	–
iv.	चालू सेवा लागत	133.49	18.79	168.66	133.94	16.40	171.55
v.	संक्षेपण/निपटान लागत	–	–	–	–	–	–
vi.	प्रदत्त लाभ	(275.01)	(14.78)	(128.65)	(181.94)	(12.02)	(159.88)
vii.	अनुग्रह पर वास्तविक (लाभ)/हानि (शेष आंकड़ा)	135.65	77.29	(158.11)	58.60	82.39	(82.90)
viii.	अवधि समाप्ति स्वरूप वर्तमान अनुग्रह मूल्य	2233.17	668.63	3362.26	2073.19	543.82	3129.97
(ख)	**योजनाएं परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**						
i.	अवधि के प्रारंभ स्वरूप वर्तमान अनुग्रह मूल्य	–	–	3248.56	–	–	3145.57
ii.	योजनागत परिसम्पतियों पर प्रत्याशित लाभ	–	–	270.93	–	–	262.65
iii.	अंशदान	–	–	–	–	–	–
iv.	प्रदत्त लाभ	–	–	(128.65)	–	–	(159.88)
v.	अनुग्रह पर वास्तविक (लाभ/हानि)	–	–	(0.14)	–	–	0.28
vi.	अवधि समाप्ति स्वरूप योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	3390.70	–	–	3248.63
(ग)	**तुलन-पत्र में स्थापना योग्य राशियां**						
i.	अवधि के प्रारंभ स्वरूप वर्तमान अनुग्रह मूल्य	2233.17	668.63	3262.26	2073.19	543.82	3129.97
ii.	अवधि समाप्ति स्वरूप योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	3390.70	–	–	3248.63
iii.	तुलन-पत्र में स्थापित सकल परिसंपत्तियां/(देयताएं)	(2233.17)	(668.63)	128.45	(2073.19)	(543.82)	118.66
(घ)	**लाभ हानि लेखा में स्थापित व्यय**						
i.	चालू सेवा लागत	133.49	18.79	168.66	133.94	16.40	171.55
ii.	पूर्व सेवा लागत	–	–	–	–	–	–
iii.	ब्याज लागत	165.86	43.51	250.40	152.78	33.86	237.13
iv.	योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	–	–	(270.93)	–	–	(262.65)
v.	संक्षेपण/निपटान लागत	–	–	–	–	–	–
vi.	अवधि में दौरान स्थापित सकल लाभ/ (हानि)	135.65	77.29	(157.98)	58.60	82.39	(83.17)
vii.	लाभ हानि लेखा में स्थापित व्यय	434.99	139.59	(9.85)	345.33	132.65	62.85

नीचे दिया गया सिद्धांत कर्मचारी हित लाभ निर्धारण के लिए प्रयोग में लाया गया है:-

विवरण	सभी कर्मचारियों लिए अ. छुट्टी एवं अर्द्ध वेतन छुट्टी (अनिधिबद्ध)	सभी कर्मचारियों के लिए समान भत्ता/ से.प.चि.सु हित लाभ (अनिधिबद्ध)	उपदान (निधियन)
छूट की दर	8.00%	8.00%	8.00%
योजनागत परिसम्पतियों पर प्रत्याशित लाभ	-	-	8.34%
भविष्य लागत वृद्धि / वेतन वर्धन दर	6.00%	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
संघर्षण दर:			
आयु (वर्ष)			
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%
44 वर्ष तक	2.00%	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%	1.00%

उपर्युक्त सूचना की वास्तविकता प्रमाणित है तथा इसे ऑडिटरों द्वारा स्वीकार किया गया है।

(8) उपदान ट्रस्ट के संबंध योजनागत कुल परिसम्पतियों का निवेश निम्नानुसार किया गया है:

क्र.स.	योजना आस्तियों की मुख्य श्रेणियां	31 मार्च, 2015 तक	31 मार्च, 2014 तक
		कुल योजना आस्तियों का %	
1.	सरकारी प्रतिभूतियां/आरबीआई के साथ विशेष जमा	64.27	58.97
2.	उच्च गुणवत्ता वाले निगमित बॉड	26.84	26.69
3.	बीमा कंपनियाँ	शून्य	शून्य
4.	म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य
5.	नकद एवं नकद स्वरूप बैंक शेष राशि	0.89	7.37
6.	सावधि जमा	7.55	6.63
7.	इक्विटी	0.45	0.34

(9) **पेंशन**

पेंशन अंशदान से संबंधित जानकारी के लिए कृपया नोट संख्या XII(ख) देखें।

(10) उपदान व्यय ''भविष्य एवं उपदान निधि में अंशदान'' के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं तथा पेंशन एवं छुटियों के नकदीकरण को ''वेतन एवं मजदूरी'' के अंतर्गत नोट 24 में स्थापित गया है।

(XII) **बीमा दावे**

(क) दिनांक 28 जून, 2013 को उत्तराखंड में मतेली से हर्षिल के राहत अभियान पर कार्यरत एन3 हैलीकॉप्टर पंजीकरण संख्या वीटी-पीएचजैड दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हैलीकॉप्टर की मरम्मत पूरी किए जाने के पश्चात ₹1086.76 लाख का वित्त दावा मैसर्स न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड को निर्धारण एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) अरूणाचल प्रदेश में दिनांक 04/08/2015 को (31.03.2015 की वार्षिकी की समाप्ति के पश्चात) खोंसा से लॉगडिंग की संक्षिप्त उड़ान पर जा रहा डॉफिन एन3 हैलीकॉप्टर पंजीकरण संख्या वीटी - पीएचके क्रैश हो गया तथा इसमें 1 यात्री एवं 2 कर्मी सदस्यों की मृत्यु हो गई। हैलीकॉटर की बीमाकृत राशि ₹70.00 लाख की कटौती के साथ ₹3650.00 लाख थी तथा इसका प्रत्येक यात्री ₹20 लाख के लिए बीमाकृत था। क्रैश की सूचना मैसर्स नेशनल इंश्यूरेस कम्पनी लिमिटेड को दी जा चुकी है तथा बीमा कम्पनी के सम्मुख वित्तीय दावा शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

(XII) **कराधान**

(क) 31.03.2007 से 31.03.2013 के वर्षों में कराधान हानियों के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 115जेबी के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) दिया जाना है। कम्पनी द्वारा इन वर्षों के लिए ₹7268.21 लाख (पिछले वर्ष ₹5422.05 लाख) की राशि का न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) (चालू वर्ष के लिए ₹1692.42 लाख सहित जिसमें से स्व-निर्धारण के तहत ₹211.73 लाख देय हैं) चुकता कर दिया गया है। कम्पनी द्वारा चुकता किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) अगले दस वर्षों में सामान्य आयकर देयताओं में समायोजित किया जा सकेगा।

(ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाए गए ₹6902.09 लाख के प्रावधानों का संक्षेप सार निम्नानुसार है:

	₹ लाख में
स्रोत पर कर कटौति सहित अग्रिम कर	33005.03
आयकर के लिए प्रावधान	26102.94
शुद्ध राशि	**6902.09**

(ग) अग्रिम कर की राशि में 31.03.2012 को समाप्त वर्ष तकपूर्ण किए निर्धारणों के लिए ₹6978.93 लाख की वह राशि भी शामिल है जो निर्धारण अभी किए जाने हैं। स्व-निर्धारण के अंतर्गत वित्तीय वर्षों में देय ₹211.73 लाख (अनंतिम) की राशि देय है। पूरे किए गए निर्धारणों से संबद्ध ₹6978.93 लाख (पिछले वर्ष ₹6567.60 लाख) की राशि की धनवापसी अथवा अतिरिक्त कर दायित्व, यदि कोई हुए, की प्रमात्रा का निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अत: आयकर विभाग से धनवापसी के तौर पर प्राप्त होने वाला/समायोजन की जाने वाली राशि को ''दीर्घकालिक ऋण तथा अग्रिम'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

कम्पनी ने निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई अस्वीकृति के प्रति आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपीलें दायर की है तथा इनकी पुष्टि आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा कर दी गई है। ये अपीलें मुख्यत: कम्पनी द्वारा केन्द्र सरकार को देय ब्याज/1996-97 से 2001-02 की वित्तीय वर्षों के दौरान कर मुक्त बांडों पर अर्जित ब्याज से संबंद्ध हैं। भारत सरकार से प्राप्त राशि के ब्याज पर छूट प्रदान किए जाने से संबंधित कम्पनी के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा निर्णय अभी लिया जाना है (संदर्भ नोट संख्या 28(iii)) तथा ये अपीलें वर्तमान में आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल के सम्मुख कार्रवाई के लिए लम्बित हैं। अतिरिक्त कर देयताओं अथवा धनवापसी, यदि कोई हुई, की प्रमात्राा का निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है।

(घ) लेखांकन मानक (एएस22) के प्रावधानों ''आय पर करों का लेखांकन'' के अनुकरण में कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2012-13 की संचित कर हानियों का पुनर्निर्धारण किया गया है। पूर्व लाभदेयता के आधार पर भविष्य के लिए लाभ प्रक्षेपण एवं अनुवर्ती वर्षों की आस्थगित कर देयताओं के व्युत्क्रमण एवं समग्र संचित अनावशोषित मूल्यह्रास के तोर पर ₹9663.58 लाख (पिछले वर्ष ₹14346.11 लाख) की राशि का अनुमान चालू वर्ष के लिए अस्थगित कर परिसम्पतियों का लाभ प्राप्त किए जाने के लिए किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 154/143(3) के अंतर्गत आस्थगित मूल्यह्रास सहित कर योग्य हानि का निर्धारण कर विभाग निर्धारण वर्ष 2012-13 तक के लिए किया गया है।

(XV) इक्विटी शेयर (गैर सूचीबद्ध) में लागत पर निवेश

कम्पनी द्वारा शेयर नेशनल फ्लाईंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (NFTI), गोंडिया, महाराष्ट्र में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान इक्विटी अंशदान (गैर सूचीबद्ध) के रूप में ₹289.34 लाख का निवेश किया गया है। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (ऑडिट न किए गए खाते) ₹8368.40 लाख की चुकता पूंजी में निवेशित कम्पनी की संचित हानि ₹4307.06 लाख है। नेशनल फ्लाईंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (NFTI) की चुकता पूंजी के प्रति 50% से भी अधिक इस वृहद हानि पर विचार करके कम्पनी द्वारा निवेश के मूल्य में ₹144.67 लाख के ह्रास के प्रावधान किए गए हैं।

(XVI) हैलीपोर्ट परियोजना

नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) की ओर से कम्पनी द्वारा रोहिणी, नई दिल्ली में निम्नानुसार निधियन की जाने वाली ₹6400.00 लाख की लागत से हैलीपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है:-

(I) सरकार से भूमि लागत के रूप ₹1900.00 लाख की अनुदान सहायता

(II) ₹3600.00 लाख के अनुमानित मूल्य अवसंरचना विकास के सरकारी इक्विटी

(III) परियोजना लागत के 20% के तौर पर कम्पनी द्वारा ₹900.00 लाख का अंशदान कम्पनी को भारत सरकार से मार्च, 2015 तक हैलीपोर्ट परियोजना लागत में अंशदान के तौर ₹3600.00 लाख प्राप्त हो चुके हैं।

दिनांक 31.03.2015 तक इस परियोजना पर किए गए व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

	31.3.2015	31.3.2014
भूमि लागत- भारत सरकार द्वारा निधियन	1900.00	1900.00
भारत सरकार निधियन न की गई भूमि की लागत	7.01	7.01
डिजायनिंग एवं परियोजना योजना के लिए परामर्शदाता को किया गया भुगतान	79.35	44.18
सीडब्ल्यूआईपी खर्चे जिनमें चारदीवारी तथा ठेकेदारों इत्यादि को आर/ए बिलों का भुगतान शामिल है	1620.41	253.87
योग	3606.77	2205.06
भारत सरकार से प्राप्त राशि	5500.00	5500.00
परियोजना के लिए नामजद निधियों का बैंको में सावधि जमा निवेश	1893.23	3294.94

(XVII) हडप्सर, पुणे में हैलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी एवं हैलीपोर्ट

कम्पनी को हडप्सर, पुणे में स्थित नागर विमानन महानिदेशालय के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले ग्लाईडिंग करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इस उद्देश्य से अप्रैल, 2010 में ₹1000.00 लाख की राशि दी गई है। इस प्राप्त अग्रिम में से 31.03.2015 तक किए गए व्ययों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	विवरण	31/3/2015 तक	31/3/2014 तक
			₹/ लाख
क	अप्रैल, 2010 में नागर विमानन महानिदेशालय से प्राप्त अग्रिम	1000.00	1000.00
	उपार्जित एवं अर्जित ब्याज	201.12	190.48
	सकल निधियन	**1201.12**	**1190.48**
ख	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड को दी गई राशि	1134.09	1040.00
	कम्पनी द्वारा परियोजना लागत पर व्यय की गई राशि	26.68	26.68
	कुल संवितरण / व्यय	**1160.77**	**1066.68**
ग	**बैंक में उपलब्ध शेष**		
	चालू खाते में	5.11	4.39
	सावधि जमा	35.00	100.00
	उपार्जित ब्याज	0.24	19.40
	योग	**40.35**	**123.78**

(XVIII) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास निधियन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 1 अप्रैल, 2014 से कम्पनी से पूर्व तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ के औसत का प्रत्येक वर्ष कम से कम 2% सीएसआर नीति के अंतर्गत व्यय किया जाना अपेक्षित किया गया है। इसके आधार पर सीएसआर में पूर्व वर्षों के लिए ₹224.43 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹69.53 लाख की राशि के प्रावधान किए गए हैं। कम्पनी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत ₹44.72 लाख व्यय किए गए हैं:

विवरण	(₹) लाख
स्वास्थ्य सेवा	8.72
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	13.70
प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास	22.30
योग	44.72

व्यय न की गई ₹225.74 लाख की शेष राशि का विधिवत उपयोग किया जाएगा। लोक उपक्रम विभाग के दिनांक 23.09.2011 के दिशानिर्देशों तथा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी के पास सीएसआर एवं संधारणीय विकास के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान निर्मित प्रावधान भी उपलब्ध हैं।

(XIX) प्रचालन पट्टों के प्रति दायित्व

निरस्त किए गए प्रचालन पट्टों के प्रति ₹811.58 लाख (पिछले वर्ष ₹478.54 लाख) का किराया व्यय लाभ एवं हानि विवरणी में प्रभारित किया गया है। कम्पनी द्वारा गैर-निरस्त प्रचालन पट्टे नहीं किए गए हैं।

(XX) मूल्यह्रास

कम्पनी द्वारा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची II से समामेलन करते हुए 1 अप्रैल, 2014 से लागू परिसम्पतियों के मूल्यह्रास की लेखांकन नीति में संशोधन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए पश्चिम क्षेत्र में ₹574.30 लाख का कम मूल्यह्रास किए जाने एवं उत्तरी क्षेत्र के लिए ₹219.80 लाख का अधिक मूल्यह्रास किए जाने से लाभ में ₹225.77 लाख की राशि स्थापित की गई है जबकि ऐसी मूर्त परिसम्पतियों का शेष प्रयोज्य जीवन कम्पनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार शून्य है।

(XXI) लक्षद्वीप डिटेचमेंट में पिछले वर्ष एक वित्तीय अनियमितता रिपोर्ट की गई है। सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत की गई है। सतर्कता विभाग द्वारा सूचित ₹129.21 लाख की अनुमानित वित्तीय हानि ₹129.21 लाख है जिसमें से ₹89.12 लाख के लिए पिछले वर्ष प्रावधान किए गए हैं। ₹89.12 लाख की राशि का आंकडा कुल ₹129.21 लाख की राशि की हानि के अनुमान में से निकाला गया है जिसमें से ₹40.09 लाख की राशि के यात्राबिल / क्रेडिट कर्मचारियों / सहयोगियों / बीजकों इत्यादि के अंतर्गत देय बीजक प्रबंधन द्वारा खोज किए गए थे तथा शेष ₹89.12 लाख के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसकी जांच की जा रही है।

(XXII) प्रावधान

03.03.2015 की स्थिति के अनुसार लेखा पुस्तिकाओं में किए गए विभिन्न प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े ₹/लाख)

विवरण	01.04.2014 को अथ शेष	वर्ष के दौरान निर्मित	वर्ष में प्रयुक्त/ अन्य समायोजन/ अंतरण / परावर्तन	31.03.2015 को अंत शेष
परिसम्पतियों पर हानि	1618.42	-	-	1618.42
पेंशन एवं अन्य सहित वेतन एवं भत्तों में 01.01.2007 से संशोधन के लिए प्रावधान	2276.50	425.90	127.27	2575.13
पॉयलटों एवं इंजीनियरों के लिए लाइसेंस संबद्ध भत्ते के लिए प्रावधान	2129.38	1104.78	-	3234.16
संदेहास्पद ऋण / अग्रिम	1279.57	309.46	1.67	1587.36
नॉन मूविंग मालसूची / कालातीत मदें इत्यादि	2246.67	558.95	-	2805.62
लक्षद्वीप डिटेचमेंट के लिए हानि के प्रावधान	89.12	-	-	89.12
निवेश में हुई हानि के लिए प्रावधान	-	144.67	-	144.67
लाभांश	771.33*	776.18	-	1547.53
लाभांश पर निगमित कर	154.22	158.01	154.22	158.01

*लाभांश का भुगतान 10.04.2015 को किया गया ।

(XIII) संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

(/लाख)

आईसीएआई द्वारा लेखांकन मानक-18 के अंतर्गत संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(क) प्रमुख प्रबंधीय कार्मिक

(1) डा. बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड - दिनांक 09.03.2015 से

(2) श्री बी. एस. भुल्लर, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड - 01.01.2015 से 09.03.2015 तक

(3) श्री अनिल श्रीवास्तव, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड - 23.03.2012 से 31.12.2014 तक

(4) श्री धीरेन्द्र सहाय, मुख्य वित्तीय अधिकारी

(5) श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव

(ख) संव्यवहार विवरण:

(प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

विवरण	2014-15	2013-14
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक	49.12	60.31
प्राप्य राशि	6.51	6.26
देय राशि	-	-

(ग) ओएनजीसी लिमिटेड - इक्विटी अंशधारक - ₹12035.00 लाख की राशि का 49%

व्यवहार	वित्त वर्ष 2014-15 ₹/लाख	वित्त वर्ष 2013-14 ₹/लाख
हैलीकॉप्टर किराया प्रभार	18782.32	19494.36
31 मार्च को प्राप्य व्यवसाय (नामे)	2105.89	9060.14
ऋण वापसी (मूलधल, राशि)	3504.53	3134.00
चुकता ब्याज	645.14	1007.94
बकाया ऋण (मूलधन राशि)	3678.40	7182.93

(XXIV) प्रति शेयर उपार्जन का परिकलन निम्नानुसार किया गया है: (₹/लाख)

	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
कर पश्च शुद्ध लाभ / (हानि)	3880.91	3856.65
बकाया इक्विटी शेयरों का भारित औसत	245616	245616
प्रति शेयर उपार्जन (मूल एवं डाइल्यूटिड)	₹1580	₹1570
शेयर का अंकित मूल्य ₹10,000 है।		

(XXV) अतिरिक्त सूचना

(क) प्रारम्भिक एवं अंतिम भंडार (बट्टा उपरांत)

(₹/लाख)

	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
(I) भंडार, पूर्जे एवं उपभोज्य (शुद्ध)	5202.50	5240.24
(II) परीक्षण औजार / स्थल सहायता उपकरण	68.21	44.54
(III) मार्गस्थ भंडार / निरीक्षणाधीन भंडार	352.78	203.50
(IV) एयर टर्बाइन फ्यूल	24.88	25.52
योग	5648.37	5513.80

(ख) सीआईएफ आधार पर आकलन किया गया आयात मूल्य:

	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
(I) हैलीकॉप्टर एवं उपकरण	–	–
(II) भंडार, पूर्जे एवं उपभोज्य	1095.65	619.16
(III) एयरफ्रेम एवं एयरो इंजन उपकरण रोटेबल	775.87	667.10
(IV) परीक्षण औजार/स्थल सहायता उपकरण/अन्य पूर्जे	13.26	20.91
(V) मार्गस्थ भंडार/निरीक्षण के अधीन भंडार	7.57	51.88
(VI) पूंजी सामान/अन्य मदें	226.43	16.53
योग	2118.78	1375.57

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय:

	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
(I) हैलीकॉप्टर एवं उपकरण	–	–
(II) भंडार, पूर्जे एवं उपभोज्य	1081.39	597.01
(III) एयरफ्रेम एवं एयरो इंजन उपकरण रोटेबल	772.31	660.79
(IV) परीक्षण औजार/स्थल सहायता उपकरण / अन्य पूर्जे	13.26	20.74
(V) विदेशी यात्रा/विदेश प्रशिक्षण	57.13	4.21
(VI) मार्गस्थ भंडार/निरीक्षण के अधीन भंडार	6.93	51.67
(VII) मरम्मत प्रभार	8514.40	8350.04
(VIII) पूंजी सामान/अन्य मदें	180.41	18.07
योग	10625.82	9702.53

(घ) आयात किए गए एवं देश में निर्मित उपभोज्य उपकरण एवं अतिरिक्त पूर्जे। (पूंजीकरण मदों के अलावा बट्टा किए गए अन्य पूर्जे):

	मूल्य (₹/लाख)		**प्रतिशत**	
	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
आयातित	3048.28	1912.97	97.42%	95.14%
देश में निर्मित	80.58	97.68	2.58%	4.86%
योग	3128.86	2010.65	100.00%	100.00%

(ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उपार्जन: **(₹/लाख)**

	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
हैलीकॉप्टर किराया प्रभार	10,627.78	11,287.51
	11,287.51	9,688.87

(क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक:

	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
वेतन, भत्ते, अनुलाभ, भविष्य निधि / उपदान	1,88,303	शून्य

(XXVI) तुलन पत्र तैयार किए जाने की तिथि के अनुसार कम्पनी द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति 30 दिन से अधिक अवधि का कोई भी बकाया देय नहीं है।

(XXVII) सामान्य प्रचालन क्रम को चूंकि परिभाषित किया जाना संभव नहीं है अत: इसे 12 माह की संकल्पित अवधि के अनुसार किया गया है तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के उद्देश्य से परिसम्पतियों देयताओं का वर्गीकरण दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक आधार पर किया गया है।

(XXVIII) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कम्पनी के पास हैलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान किए जाने ही केवल एक ही सेगमेंट है। लेखांकन मानक 17 के अनुसार सेगमेंट रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं है।

(XXIX) कम्पनी का नाम दिनांक 14.01.2013 से पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड से परिवर्तित करके पवन हंस लिमिटेड किया गया है।

(XXX) आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

(डा. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(श्रीमती गार्गी कौल)
निदेशक

(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

(धीरेन्द्र सहाय)
मुख्य वित्तीय आधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 07 अक्तूबर, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी

(मूल्य ₹/लाख)

	31 मार्च, 2015		31 मार्च, 2014	
(क) प्रचालन क्रियाकलाापों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व शुद्ध लाभ:		7,173.46		6,123.39
समायोजन के लिए:				
प्रभारों का मूल्य ह्रास	7,652.34		7,963.21	
ब्याज आय	(1,123.48)		(1,161.79)	
परिसम्पतियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि-शुद्ध	0		(7.48)	
अति साधारण मदें	0		(743.41)	
ब्याज लागत	1,749.35		3,180.68	
बट्टा की गई अचल परिसम्पतियां	107.36		43.44	
बट्टा किए गए रोटेब्ल्स, भंडार एवं पूर्जे	0.00		41.99	
संदेहास्पद नामे एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	309.45		32.86	
नॉन मूविंग मालसूची/कालातीत जीवन की मदों के लिए प्रावधान	541.89		575.99	
लक्षद्वीप में हुई हानि के प्रावधान	–		89.12	
परिसम्पतियों की क्षति से हानि	–		11.80	
निवेश मूल्य की घटत के लिए प्रावधान	144.67		–	
		9,381.59		10,026.41
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		16,555.06		16,149.80
समायोजन के लिए:				
प्राप्ति योग्य व्यवसाय	(1,902.97)		(6,463.85)	
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य परिसम्पतियां	2,136.49		(458.96)	
माल सूची	(669.81)		637.75	
देय व्यवसाय, अन्य देयताएं एवं प्रावधान	2,161.84		2,677.23	
प्रचालनों से जनित्र नकदी		1,725.55		(3,607.83)
चुकता आयकर		1,940.32		975.51
प्रचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी		**16,340.29**		**11,566.46**
(ख) निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(1,284.86)		(1,327.80)	
अचल परिसम्पतियों की खरीद	–		835.28	
अचल परिसम्पतियों की बिक्री / बीमा दावे	(1,405.54)		(10.85)	
कार्यशील पूंजी	1,123.48		1,161.79	
प्राप्त ब्याज				
प्रतिलोमय क्रियाकलापों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी		(1,546.92)		658.42
(ग) वित्तियन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
ब्याज लागत	(1,749.35)		(3,180.68)	
लाभांश	–		(233.96)	
लाभांश पर निगमित कर	(154.22)		(39.76)	
दीर्घकालिक ऋणों से उत्पति	–		–	
दीर्घकालिक ऋणों की धनवापसी	(19,469.03)		(5,833.43)	
वित्तियन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		(21,372.60)		(9,287.83)
नकदी एवं नकदी समतुल्य की शुद्ध वृद्धि		-6,579.23		2,937.05
अथ नकदी एवं नकदी समतुल्य (स्वत्याधिकार के अधीन ₹1571.71 लाख सहित)		15,504.53		12,567.48

अंत नकदी एवं नकदी समतुल्य (स्वत्याधिकार के अधीन ₹1520.91 लाख सहित)		8,925.30		15,504.53

नोट:

(1) कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़ों में नकदी दर्शाया गया है।

(2) उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी की निर्माण लेखांकन प्रक्रिया (एएस)-3 नकदी प्रवाह विवरणी में दी गई अप्रत्यक्ष प्रणाली के अनुसार तैयार की गई है

कृते एवं निदेशक मंडल की और से

कृते खन्ना एवं आनन्धनम

सनदी लेखाकार फर्म रजि. नं. 1297-एन	(डा. बी. पी. शर्मा) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(श्रीमती गार्गी कौल) निदेशक
(बी. जे. सिंह) साझीदार (एम.सं. 7884)	(संजीव अग्रवाल) कम्पनी सचिव	(धीरेन्द्र सहाय) मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07-10-2015

ऑडिटर द्वारा प्रेक्षण

स्वतंत्र ऑडिटरों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध क

प्रबंधन का उत्तर

सेवा में,

सदस्य गण,

पवन हंस लिमिटेड

(पवन हंस लिमिटेड के नाम से पूर्व ज्ञात)

वित्तीय विवरणियों की रिपोर्ट

हमने पवन हंस लिमिटेड (कम्पनी) की विचाराधीन वित्तीय रिपोर्टों का ऑडिट किया है जिसमें 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र, समाप्त वर्ष की लाभ एवं हानि की विवरणी तथा संबंधित नकदी प्रवाह विवरणियां एवं विशिष्ट एवं प्रमुख लेखांकन नीतियों के संक्षेप तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा ऑडिटरों द्वारा पश्चिम क्षेत्र के लेखों के संबंध में किए गए ऑडिट के स्पष्टीकरण से संबंधित अन्य सूचना सम्मिलित हैं।

वित्तीय विवरणियों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के खंड 134(5) में इन वित्तीय विवरणियों को तैयार किए जाने के संबंध में किए गए उल्लेखनुसार तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा मानकों तथा कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधि नियम के खंड 133 के अनुसरण में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा कैश फ्लो की ऐसी सत्य एवं स्पष्ट छवि की वित्तीय विवरणियो प्रस्तुत किए जाने के प्रति कम्पनी प्रबंधन उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कम्पनी की परिसम्पतियों के हितों की संरक्षा के लिए तथा किसी जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव तथा उसकी पड़ताल उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग; औचित्यपरक एवं मितव्ययी धारणाएं एवं अनुमान लगाए जाने; तथा प्रभावी रूप से कार्यशील लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के लिए सुनिश्चित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए किसी वस्तुपरक मिथ्या कथन, जालसाजी अथवा चूक स्वरूप, से मुक्त

वित्तीय रिपोर्टों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए संबंधित आंतरिक नियंत्रण की योजना, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण का उत्तरदायित्व शामिल है।

ऑडिटर के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।

हमारे द्वारा अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट में समावेश किए जाने के लिए अपेक्षित लेखांकन एवं ऑडिट मानकों की ओर ध्यान दिया गया है।

हमारे द्वारा किया गया ऑडिट कार्य अधिनियम के खंड 143(10) में विर्निदिष्ट ऑडिटिंग मानकों का अनुसरण करते हुए किया गया है। इन मानकों के अंतर्गत नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करते हुए ऑडिट की योजना एवं निष्पादन का कार्य करते हुए हमें यह औचित्यपरक सुनिश्चय करना होता है कि क्या वित्तीय विवरणियां वस्तुपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं अथवा नहीं।

ऑडिट कार्य के लिए प्रक्रियाबद्ध निष्पादन के माध्यम से राशियों एवं वित्तीय विवरणियों में किए गए खुलासे के संबंध में ऑडिट प्रमाण एकत्र करना अपेक्षित होता है। वित्तीय विवरणियों के वस्तुपरक मिथ्याकथन, जालसाजी अथवा चूक के कारण, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन ऑडिटर के विवेकानुसार किया जाता है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते हुए ऑडिटर द्वारा स्थितियों के अनुरूप ऑडिट उचित प्रक्रिया तैयार करने के उद्देश्य से वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं सत्य प्रस्तुति के लिए कम्पनी के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया जाता है। ऑडिट कार्य में प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की औचित्यता के मूल्यांकन सहित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतियों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

हमारी धारणा है कि हमारे मान्य सुझावों की प्रस्तुति के आधार के लिए हमें प्राप्त ऑडिट प्रमाण उचित एवं पर्याप्त हैं।

मान्य सुझावों का आधार

(1) 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा उत्तरी क्षेत्र में पिछले तीन वर्ष से अधिक अवधि से बकाया ₹3009.13 लाख मूल्य के देनदारों की शिनाख्त की गई है। इन देनदारों से चालू वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा ₹180.63 लाख की वसूली कर ली गई है। जिन देनदारों से ये राशियां बकाया हैं उनमें से कुछ मामलों में कम्पनी द्वारा सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। इन देनदारों के प्रति केवल ₹322.74 लाख के प्रावधान ही किए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि अंतत: इन देनदारों से कितनी वसूली की जा सकेगी। (संदर्भ नोट सं. 28(IX-1)

उत्तरी क्षेत्र के बकाया के संबंध में वर्ष 2013-14 की पिछली ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 3 वर्ष से अधिक बकायों की राशि ₹3009.13 लाख है। इसमें से ₹180.63 लाख की वसूली वर्ष 2014-15 में तथा ₹388.85 लाख की वसूली वर्ष 2015-16 में दिनांक 30.09.2015 तक कर ली गई थी। इसके अलावा इन बकायों की वसूली संभावित है क्योंकि अधिंकाश बकाया राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेश / सरकारी संगठनों तथा हमारे विद्यमान ग्राहकों से हैं तथा नागर विमानन मंत्रालय (MOCA) द्वारा भी इनकी वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण वसूली की गति धीमी है।

बी3 हैलीकॉप्टर (वर्ष 2011 में घटित दृर्घटना में हैलीकॉप्टर की पूर्ण हानि) के संबंध में अरुणाचल प्रदेश से ₹157.67 लाख के बकाया अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ करार पर हस्ताक्षर न किए जाने के कारण हैं। यह मामला उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है तथा यह आशा है कि करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात वसूली हो जाएगी।

इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश सरकार (तवांग) से एमआई 172 हैलीकॉप्टर की 2011 में घटित दुर्घटना के लिए 30.03.2014 की स्थिति के अनुसार ₹1536.75 लाख के बकाया में से 31.09.2015 तक ₹323.54 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा शेष राशि की वसूली को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है। भुगतान विधिवत रूप से प्राप्त कर हो जाएगा।

इसी प्रकार बिहार बिहार सरकार से ₹790.81 लाख के कुल बकाया के मामले में भी नागर विमानन मंत्रालय द्वारा बकाया देयताओं के लिए यह मामला मुख्य सचिव, बिहार सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।

अन्य मामलों से संबंधित ₹75.26 लाख के उन देनदारों से बकाया, जिन्हें कम्पनी द्वारा आजकल सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं तथा जिनके बारे में यह माना गया है कि ये वसूलियां संदेहास्पद हैं, के लिए लेखा पुस्तिकाओं में आने वाले वर्षों में आवश्यक प्रावधान कर लिए जाएंगें।

उत्तरी क्षेत्र में दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार देनादारों से ₹19,644.09 लाख के बकाया को नियंत्रक एवं महालेखाकार को दिए आश्वासन के अनुसार पुन:

समूहन कर लिया जाएगा। तदनुसार, केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेशों से अलग विविध देनदारों का बाहय पर्टियों के रूप में समूहन किया गया है तथा अनुमोदित लेखांकन नीति का अनुपालन करते हुए ₹250.76 लाख जिसमें ₹133.06 लाख गैर सरकारी ग्राहकों (3 वर्ष से अधिक अवधि) तथा ₹117.70 लाख बिहार सरकार (7 वर्ष से अधिक अवधि) वर्ष 2014-15 की लेखा पुस्तिकाओं में संभावित संदेहास्पद वसूलियों के रूप में अग्रेनित किए गए हैं।

(2) 31.03.2014 को समाप्त वर्ष की आस्थगित कर आस्तियों की गणना के लिए कम्पनी द्वारा ₹14346.11 लाख के अनावशोषित मूल्यह्रास को वास्तविक ₹18990.55 लाख के अनावशोषित मूल्यह्रास के स्थान पर लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप ₹1578.64 लाख की आस्थगित कर परिसम्पतियाँ कम दर्शाई गई हैं। तथापि वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2015 तक आस्थगित कर परिसम्पतियों के लिए पिछले वर्ष से संबंधित ₹1578.64 लाख की राशि सहित ₹7612.72 लाख की पूर्ण राशि का अनावशोषित मूल्य ह्रास सृजित किया गया है। (संदर्भ नोट संख्या 28 XIV (डी))

आस्थगित कर देयताओं के प्रावधान लेखा नोट संख्या 28 (XIV) में किए गए उल्लेखानुसार एएस-22 का अनुसरण करते हुए किए गए हैं। पिछले वर्ष के तुलन पत्र में ऑडिटरों द्वारा किए गए प्रेक्षण के अनुसार अनावशोषित मूल्य ह्रास की पूर्ण राशि को आस्थागित कर परिसम्पतियों के निर्धारण के लिए विचार में लिया गया है।

(3) 31.03.2015 की यथास्थिति के अनुसार माता वैष्णो देवी श्राईन बोर्ड से बकाया राशि ₹123.94 (पिछले वर्ष ₹123.94 लाख) है। श्राईन बोर्ड के साथ किया गया करार 1 अप्रैल, 2014 को समाप्त हो गया है तथा राशि की वसूली नहीं की जा सकी है। इसके परिणामस्वरूप ₹123.94 लाख के कर पश्च लाभ तथा इसी राशि के प्राप्य व्यवसाय को अधिक दर्शाया गया है।

माता श्री वैष्णों देवी श्राईन बोर्ड द्वारा ₹123.94 का भुगतान जारी करने के लिए विभिन्न एजेंसियों यथा सुरक्षा, जल, बिजली एवं अन्य अनिवार्य सेवा एजेंसियों से अनापत्ति पत्र मांगा गया है। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार लेखा में जम्मू की सुरक्षा एजेंसियों, जिनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित है, को देय ₹121.04 लाख के प्रावधान पहले ही किए गए हैं। अन्य किसी प्रचालक द्वारा चूंकि उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया था अत: उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के प्रयास किए गए थे। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के लिए इस मामले पर एजेंसियों से सम्पर्क किया जा रहा है ताकि श्राईन बोर्ड से ₹123.94 के बकाया की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा श्री माता वैष्णों देवी श्राईन बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का प्रति दावा नहीं किया गया है।

(4) अग्रिम आय कर में ₹6978.93 लाख की उन वर्षों से सम्बद्ध राशि का समावेश किया गया है जिनके संबंध में आय कर मूल्यांकन पूरे किए जा चुके हैं। अग्रिम कर, स्रोत कर, आय कर के लिए प्रावधान, आय कर मांग, प्राप्त धनवापसी इत्यादि से संबंधित सूचना उपलब्ध न होने के कारण हम ''दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम'' के अंतर्गत दर्शाई गई उपर्युक्त राशि की प्राप्यता के संबंध में अपना कोई अभिमत प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। यह मामला 31 मार्च, 2013 की हमारी ऑडिट रिपोर्ट में चर्चा का मुद्दा था। संदर्भ नोट 28(XIV)(बी)।

आय कर निर्धारण के संबंध में वित्तीय वर्ष 2012-13 तक विस्तृत विश्लेषण / समाधान पूरा कर लिया गया है। आय कर अपीलिय ट्रिब्यून फॉरेम के समक्ष चूंकि पवन हंस द्वारा अपील की गई है अत: कम्पनी का यह मानना है कि एओ/सीआई (अपील) द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारण आदेश आय कर अपीलीय ट्रिब्यून द्वारा किए जाने वाले अंतिम प्रेक्षण/निर्णय की शर्त के साथ होगें। निर्धारण वर्ष 1997-98 से निर्धारण वर्ष 2002-03 के संबंध में कम्पनी द्वारा भारत सरकार की ₹5996.31 लाख की दावा की गई देयताओं के ब्याज के मामले पर निर्धारण अधिकारी सीआईटी (ए) द्वारा दी गई अस्वीकृति के विरुद्ध कम्पनी द्वारा आय कर अपीलीय स्तर पर अपनी अपील दायर की गई है। इन निर्धारण वर्षों के लिए कम्पनी द्वारा विरोध प्रस्तुत करते हुए कर एवं उसके ब्याज का भुगतान आय कर विभाग को किया गया था। इसके पश्चात निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई अस्वीकृति के संबंध में आय का विभाग द्वारा धनवापसी का समायोजन किया गया था। आय कर अपीलीय ट्रिब्यून के निदेशों के अनुसार वेस्टलैंड हैलिकॉप्टर्स के संबंध में वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा ब्याज के संबंध में किए गए दावे के मामले पर पहले नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) तथा वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के मध्य निपटान होना आवश्यक है। इसके पश्चात आय कर अपीलीए ट्रिब्यूनल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए दावे छूट प्रदान किए जाने का मुद्दा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उठाया गया है। आय कर विभाग से प्राप्त की जाने वाली ₹982.62 लाख की राशि में से जुलाई, 2015 के दौरान निर्धारण वर्ष 2012-13 के संबंध में ₹441.55 लाख की धनवापसी प्राप्त की जा चुकी है तथा शेष ₹541.07 लाख की राशि गलत मिलान / अमान्य भौतिक स्रोत पर कर कटौती के प्रमाण पत्रों के लिए 2012-13 तक पूर्ण किए जा चुके निर्धारण वर्षों से संबंधित है जिसकी वसूली आय कर विभाग से की जानी है तथा पार्टियों से ई-टीडीएस विवरणी फाईल किए जाने के लिए कहा गया है तथा साथ ही आय कर विभाग से यह मामला संबद्ध विभाग के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध भी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, ऊपर उल्लिखित ₹541.07 लाख की शेष राशि, जो पूर्व वर्षों

के 26एएस में दिखाई नहीं गई थी, में से ₹253.79 लाख अब 26एएस में 12.09.2015 की यथास्थिति को प्रस्तुत है तथा ₹287.28 लाख की शेष राशि, जो मुख्यत: लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से संबंधित है, के संबंध में उनके द्वारा बकाया ई-टीडीएस फाईल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा यह आशा है कि मामले का निपटान वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान हो जाएगा।

(5) कम्पनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (मु स अ) द्वारा पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत लक्षद्वीप डिटेचमेंट के संबंध में ₹129.20 लाख की अनियमितताओं से संबंधित एक जांच आयोजित की गई थी जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत की गई थी। मुख्य सतर्कता आधिकारी द्वारा सूचित ₹129. 20 लाख की अनुमानित वित्तीय अनियमितताओं में से प्रबंधन द्वारा ₹40.09 लाख की राशि के संबंध में कर्मचारियों को देय समर्थित/बीजक/ बिल/क्रेडिट के संबंध में अभिज्ञान कर लिया गया है तथा शेष ₹89.12 लाख की राशि के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, पश्चिम क्षेत्र की शाखा के ऑडिटरों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें प्रबंधन द्वारा करवाई गई इस जांच तथा उसके परिणामों तथा इसके फलस्वरूप वित्तीय विवरणियों पर हुए प्रभाव के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। संदर्भ नोट 28 (XXI)

वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखा पुस्तिकाओं में आवश्यक प्रावधान पहले ही किए जा चुके हैं। ऊपर नोट संख्या 28(XX) में दी गई सूचना के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।

(6) पश्चिम क्षेत्र के ऑडिटरों द्वारा यह सूचित किया गया है कि निगमित कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 31.03.2009 की आधार दर के अनुसार 7.5% प्रतिवर्ष की दर पर 01.04.2009 से प्रभावी ₹681.77 लाख (निवल सेवा कर) की राशि के पट्टा किराए का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कर दिया गया है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष की लेखा पुस्तिकाओं में आवश्यक प्रावधान कर दिए गए हैं। उपर्युक्तानुसार की गई व्यवस्था के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक के लिए कम्पनी द्वारा न तो दिए जा सकने वाले अतिरिक्त किराए

हैंगर तथा उत्तरी क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र में स्थित भूमि के पट्टा किराया में संशोधन किए जाने के मामले पर, यह ध्यान में रखते हुए कि यह अवार्ड 31.03.2013 तक के लिए दिया गया था, जुलाई, 2013 में अपर सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 2 अप्रैल, 2005 से 31.03.2013 तक के लिए हैंगर तथा भूमि के आबंटन के पट्टे किराए को बढ़ाकर @7.50% की प्रतिवर्ष यौगिक दर से किए जाने तथा उसके पश्चात से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हैंगर तथा भूमि के संबंध में वाणिज्यिक दर पर किए जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि पट्टा किराए का भुगतान आबंटित भूमि /

के लिए प्रावधान किए गए हैं तथा यदि किए भी हैं तो वित्तीय विवरणियों में प्रकट न किए जा सकने वाले संभावित दायित्वों पर ब्याज के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए हैं तथा उनके द्वारा इस मामले के संबंध में किसी प्रकार के समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। समर्थित दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण पश्चिम क्षेत्र के ऑडिटरों द्वारा कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर इससे होने वाले प्रभावों के संबंध में टिप्पणी नहीं की जा सकी।

उत्तरी क्षेत्र के मामले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मांग किए किराए के बकाया ₹290.03 लाख हैं जिनके संबंध में लेखा में ₹23.75 लाख के प्रावधान किए गए है।

स्थान के अनुसार न होकर वास्तविक निर्मित क्षेत्र के आधार पर होगा।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किए गए मध्यस्थक निर्णय को पवन हंस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत स्थल निर्धारण से संबंधित विवाद के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अभी पूर्ण क्रियान्वित नहीं किया गया है। पवन हंस लिमिटेड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय में चर्चा किए जाने के पश्चात पूर्व प्रचलित प्रक्रिया को जारी रखने तथा तदनुसार ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय राशि का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया है। अत: निगमित स्तर पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मांग किए गए पट्टा किराए तथा ब्याज को लेखा के नोट संख्या 28 (II)(2) में ₹222.78 करोड़ की संभाव्य देयताओं के तौर पर दर्शाया गया है। संभावित देयताओं की व्यवहार्यता ऑडिट दल द्वारा पहले ही प्रस्तुत की गई है। इस मामले पर ऑडिट समिति की बैठक में भी चर्चा की जा चुकी है तथा यह निदेश दिए गए हैं कि इस मामले पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उच्च प्राधिकारियों से चर्चा की जाए तथा तत्पश्चात यदि इस मामले का निपटान नहीं होता है तो पवन हंस लिमिटेड को नागर विमानन मंत्रालय से सम्पर्क करना चाहिए।

नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा अर्द्ध हाशिए में की गई टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए उत्तर से सहमति प्रकट करते हुए यह खेद व्यक्त किया गया कि यह टाइपिंग की चूक थी तथा यह पुष्टि की कि ₹290.03 लाख की मांग के प्रति ₹23.75 लाख के लिए किए गए प्रावधान गलत नहीं हैं।

(7) पश्चिम क्षेत्र शाखा के आडिटरों द्वारा शेष की पुष्टि के संबंध में निम्नानुसार टिप्पणी की गई है:

प्राप्य व्यवसाय, दीर्घ कालिक एवं अल्प कालिक ऋण तथा दिए गए अग्रिमों, अन्य गैर तात्कालिक परिसम्पतियों, अन्य तात्कालिक परिसम्पतियों, अन्य दीर्घ कालिक देयताओं, व्यवसाय एवं अन्य तात्कालिक देयताओं तथा ऐसे लेखों के समाधान से संबंधित शेष पुष्टि उपलब्ध न होने के कारण वे इनके संबंध में किए जाने वाले समायोजन

हमने वर्ष के अंत में प्राप्य/देय व्यवसाय, कर्मचारियों को उनके लघु कालिक/दीर्घकालिक ऋणों के संबंध में शेष पुष्टि के पत्र भिजवाए हैं। इसके अलावा प्राप्य/देए व्यवसाय के मामले में प्रत्युत्तर काफी कम रहा है। प्राप्य व्यवसाय के अधिकांश मामलों में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राशियों की प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार देय व्यवसाय भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कर दिए गए हैं। कर्मचारियों से की जाने वाली वसूलियां उन्हें देए वेतन में से प्रतिमाह की जा रही हैं।

/ प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा इससे वित्तीय विवरणियों में किए उल्लेखानुसार वर्ष में लाभ, अधिशेष एवं परिसम्पतियों एवं ऋणें पर होने वाले परिणामी प्रभावों पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

तथापि, अधिकांश मामलों में किए गए प्रावध ानों से अलग ऋण / अग्रिम इत्यादि को साथ / समायोजित कर लिया गया है।

(8) सम्पतियों की हानि से सम्बद्ध लेखांकन नीति संख्या 1(ञ) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेखांकन मानक (एएस)-28 ''सम्पतियों की हानि'' में की गई अपेक्षा के अनुसार हैलीकॉप्टरों की हानि के संज्ञान के लिए कार्रवाई नहीं की गई है। नोट संख्या VII में कम्पनी द्वारा यह बताया गया है कि चूंकि उसके हैलीकॉप्टर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उड़न योग्यता के लिए प्रमाणित थे तथा उनसे राजस्व उत्पन्न हुआ था अत: हैलीकॉप्टरों के मूल्य की हानि के मूल्यांकन के लिए एएस-28 के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई।

हमारे विचारानुसार, नागर विमानन प्राधिकरण का प्राधिकरण एवं राजस्व अर्जन से एएस-28 के अंतर्गत हैलीकॉप्टरों के मूल्य की हानि के निर्धारण के लिए प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता की पूर्ति मुख्यत: इस कारण से नहीं होती है कि अधिकांश विमान पूर्जे उपलब्ध न होने तथा अन्य कारणों तथा ओएनजीसी द्वारा अधिकतम 7 वर्ष की विशिष्टता अवधि वाले हैलीकॉप्टर नियोजित करने की मांग के कारणों से नहीं होती है।

नागर विमानन महानिदेशालय से वार्षिक आधार पर प्रत्येक हैलीकॉप्टर के लिए उड़नयोग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। तदनुसार जब तक किसी हैलीकॉप्टर के संबंध में उड़नयोग्यता का प्रमाण पत्र होता है तो उसका अर्थ यह है कि वह हैलीकॉप्टर कम्पनी के लिए राजस्व उत्पति के योग्य है। यह हैलीकॉप्टर (परिसम्पति) प्रचालन की एक विशिष्ट प्रकृति है अत: मूल्यों की हानि के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता है तथा तदनुसार एएस-28 का उल्लंघन किए जाने की कोई स्थिति नहीं है।

(9) दिसम्बर, 2010 के पश्चात् आईटी नियंत्रण ऑडिट नहीं किया गया है। कम्पनी के अधि कांश प्रचालनात्मक कार्य चूंकि आटोमेटिड हैं अत: किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आईटी नियंत्रण ऑडिट आवधिक तौर पर किया जाना अपेक्षित है।

विद्यमान ईआरपी प्लेटफार्म 10 वर्ष पुराना है तथा इसका उन्नयन किया जाना है। निदेशक मंडल को मैसर्स टीसीएस द्वारा विकसित विशिष्ट निर्मित ईआरपी का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता से अवगत करवा दिया गया है। निदेशक मंडल द्वारा पवन हंस लिमिटेड के लिए प्रक्रिया लेखांकन प्रक्रिया ईआरपी समाधान के निर्धारण के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। प्रक्रिया लेखांकन प्रक्रिया

	ईआरपी समाधान का उन्नयन/क्रियान्वयन किए जाने के पश्चात आईटी नियंत्रण के संबंध में ऑडिट प्रक्रिया की जाएगी।
(10) इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ लेखा के मामले में, जिसमें ₹303.77 लाख के शेष के स्थान पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा ₹222.37 लाख की राशि दर्शाई गई है, शेष ₹81.40 लाख के अंतर की राशि का समाधान नहीं किया गया है।	वर्ष 2014-15 के संबंध मे इडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ समाधान कर लिया गया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ समेकित समाधान किया जा रहा है।
(11) पवन हंस लिमिटेड तथा श्री अमरनाथजी श्राईन बोई (एस ए एस बी) के मध्य किए गए करार के अंतर्गत धनवापसी नहीं किए जाने तथा उड़ान के समय यात्री उपस्थित न होने (नो शो) की स्थिति में सेवा शुल्कों की कटौती के पश्चात् हैली टिकट की आंशिक धनवापसी में से शेष बची राशि श्री अमरनाथजी श्राईन बोर्ड (एस ए एस बी) को देय है। श्री अमरनाथजी श्राईन बोर्ड (एस ए एस बी) को देए राशि के प्रावधान कम्पनी द्वारा नहीं किए गए हैं।	यात्रा 2014 के दौरान नो-शो (यात्री उपस्थित न होने) नहीं हुए थे। श्री अमरनाथजी श्राईन बोर्ड (एस ए एस बी) से कोई बकाया नहीं के प्रमाण पत्र की मांग की गई है तथा यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
<u>मान्य सुझाव:</u>	
ऊपर मान्य सुझाव के पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों के प्रभाव के अलावा हमारे पास उपलब्ध सूचना तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारी यह अवमानना है कि अपर्युक्त वित्तीय विवरणियों में अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत की गई सूचना भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत होती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(क) कम्पनी की स्थिति के संबंध में 31 मार्च, 2015 के तुलन पत्र के मामले में:	
(ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ के संबंध में लाभ एवं हानि विवरणी के मामले में	
(ग) उस स्थिति को समाप्त वर्ष के लाभ प्रवाह के संबंध में लाभ प्रवाह विवरणी के मामले में।	
महत्वपूर्ण मामले:	
निम्नलिखित संदर्भों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:	

(i)	भारत सरकार द्वारा ₹47022.22 लाख की राशि के दावे के संबंध में नोट संख्या 28(III) जिसके लिए कम्पनी द्वारा सरकार से अधित्याग हेतु अनुरोध किया गया है तथा सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यह मामला वित्त मंत्रालय के सम्मुख इस मामले पर शीघ्र निर्णय लिए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। नोट संख्या 28(III) में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके अलावा, भारत सरकार से बकाया देयताओं के संबंध में दिनांक 23.9.2015 को आयोजित ऑडिट समिति की बैठक में ऑडिट को दिनांक 22.9.2015 को व्यय सचिव, वित्त मंत्रालय तथा संयुक्त एवं वित्तीय परामर्शदाता, नागर विमानन मंत्रालय के मध्य इस मामले का निपटान कृपापूर्वक किए जाने के संबंध में आयोजित बैठक की जानकारी दी गई है।
(ii)	भत्तों तथा लाभों के प्रावधान के संबंध में नोट संख्या 28 XII (ख) के अनुसार इस मामले पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक के लिए बकाया ₹3234.16 लाख के लिए किए जाने वाले प्रावधान तथा;	निदेशक मंडल द्वारा एक उप समिति का गठन किया गया है जो सक्रिय रूप से इस पूरे मामले पर विचार कर रही है तथा यह अपनी अंतिम रिपोर्ट निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। उप समिति की अगली बैठक नवम्बर/दिसम्बर, 2015 में आयोजित की जाएगी।
(iii)	लेखांकन नीति संख्या 1(ग) तथा (घ) तथा मूल्यह्रास के प्रावधान से संबंधित नोट संख्या XX;	हेलीकॉप्टरों के उपयोगी जीवन और संबंधित आस्तियों की तकनीकी समीक्षा वर्ष 2015-16 में की जाएगी और मूल्यह्रास नीति तदनुसार संशोधित की जाएगी।
हमारा सुझाव उपर्युक्त मामलों के संबंध में मान्य नहीं है।		
अन्य मामले		
हमारे द्वारा कम्पनी की वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित पश्चिम क्षेत्र की वित्तीय विवरणियों का ऑडिट नहीं किया गया है जिसमें 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल परिसम्पतियां ₹849.26 करोड़ की दर्शाई गई है तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व वित्तीय विवरणियों में किए गए उल्लेखनुसार ₹292.46 करोड़ दर्शाया गया है। पश्चिम क्षेत्र की वित्तीय विवदणियों का ऑडिट शाखा ऑडिटरों द्वारा किया गया है तथा उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा उसके अनुसार हमारा सुझाव तदनुसार पश्चिम क्षेत्र के संबंध में उन राशियों तथा प्रकटीकरण के लिए पूर्णत: शाखा ऑडिटरों के द्वारा रिपोर्ट में किए उल्लेखों पर आधारित है।	कोई टिप्पणी नहीं

हमारा सुझाव उपर्युक्त मामलों के संबंध में मान्य नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के खंड 143 के उप खंड 11 के अंतर्गत जारी (आदेश) कम्पनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2015 के अनुसरण में आदेश के पैरा 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट किए गए मामलों का विवरण अनुबंध-क में प्रस्तुत किया गया है।

2. अधिनियम, 1956 की धारा 143(3) के अनुसरण में हम यह सूचित करते हैं कि :

(क) हमारे ऑडिट किए जाने के उद्देश्य से हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक प्रत्येक सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगे गए हैं तथा उन्हें प्राप्त कर लिया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ख) मान्य सुझाव के आधार के पैराग्राफ में दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त ऑडिट उद्देश्य से हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार ऑडिट कार्य के लिए अपेक्षित सारी सूचना तथा स्पष्टीकरण हमारे द्वारा प्राप्त किए गए हैं :	ऊपर उल्लेख की गई संबंधित अपेक्षाओं के अंतर्गत ऑडिट प्वाईंटों का पर्याप्त प्रस्तुति की गई है।
(ग) अधिनियम के खंड 143(8) के अंतर्गत शाखा ऑडिटरों द्वारा ऑडिट की गई पश्चिम क्षेत्र की लेखा रिपोर्ट हमें भिजवाई गई है तथा इसका उपयोग इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए उचित रूप से किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(घ) इस रिपोर्ट में समाहित किया गया तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरणी एवं नकदी प्रवाह विवरणी लेखांकन पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(ङ) मान्य सुझाव के आधार के पैराग्राफ के अतिरिक्त हमारे विचारानुसार तुलन पत्र, लाभ एवं हानि तथा नकदी प्रवाह की विवरणियां अनावशोषित परिसम्पत्तियों से संबद्ध लेखांकन मान एएस-28 का अनुपालन किए जाने की शर्त के साथ कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसरण में हैं।	ऊपर बिन्दु संख्या 8 पर पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया गया है।

(च)	महत्वपूर्ण मामले के अंतर्गत दर्शाया गया मामला भारत सरकार द्वारा ₹47022.22 लाख के लिए किए गए दावे से संबंधित है जिसके संबंध में यदि छूट प्रदान नहीं की गई (संदर्भ उप पैरा (i), तो कम्पनी के क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मान्य सुझाव के आधार पर विनिर्दिष्ट किए गए मामले से हमारे विचारानुसार कम्पनी के क्रियाकलापों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।	महत्वपूर्ण मामले के अंतर्गत बिन्दु संख्या (i) में पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया गया है।
(छ)	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिनिधित्व के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए अनुसार कम्पनी का कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2015 की यथास्थिति को कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 164(2) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ज)	कम्पनी (ऑडिट एवं ऑडिटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में ऑडिटरों की रिपोर्ट में शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में हमारे विचारानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार :	कोई टिप्पणी नहीं
I.	कम्पनी द्वारा अपनी वित्तीय विवरणियों में अपनी वित्तीय स्थिति पर विधिक मामलों से हो सकने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण किया गया है। वित्तीय विवरणी का संदर्भ नोट संख्या 28;	कोई टिप्पणी नहीं
II.	कम्पनी के पास गौण संविदाओं सहित किसी प्रकार की ऐसी दीर्घ कालिक संविदाएं नहीं हैं जिनमें किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि संभावित है :	कोई टिप्पणी नहीं
III.	इन्वेस्टर एज्यूकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (निवेशक शिक्षण एवं संरक्षा निधि) में कम्पनी द्वारा स्थानांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित कोई राशि नहीं पाई गई।	कोई टिप्पणी नहीं
IV.	अधिनियम के खंड 143(5) के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार हम, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा कम्पनी के लिए विनिर्दिष्ट किए गए मामलों का विवरण, अनुबंध-ख में प्रस्तुत कर रहे हैं।	

कृते खन्ना एवं आनंधनम
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 001297एन)

(बी. जे. सिंह)
साझीदार
सदस्यता संख्या 7884
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 7 अक्तूबर, 2015

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

हमारी समान तिथि में 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट' के पैरा 1 के संदर्भ में।

कम्पनी की वित्तीय विवरणियों की सत्य एवं निष्पक्ष छवि की रिपोर्टिंग किए जाने के उद्देश्य से की ऑडिट प्रक्रिया तथा हमें प्रस्तुत की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा ऑडिट की प्रक्रिया एवं ऑडिट के दौरान हमारे द्वारा अन्य रिकार्ड के संबंध में की गई सामान्य संवीक्षा के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि:-

(1)(क)कम्पनी द्वारा अचल सम्पतियों के मात्रात्मक एवं स्थिति के विवरण पूर्ण विवरण दर्शाने वाले रिकार्ड का उचित अनुरक्षण किया गया है तथा इस रिकार्ड में केवल पश्चिम क्षेत्र के मामले में ऐसे रिकार्ड का अनुरक्षण नहीं किया गया है। पिछले वर्षों की ऑडिट रिपोर्टों में अनुरक्षण न किए जाने से संबंधित टिप्पणियां भी की गई हैं परन्तु प्रबंधन द्वारा रिकार्ड समेकित किए जाने की सूचना ही दी जाती रही है।

वित्तीय पुस्तिकाओं के अनुसार अचल परिसम्पतियों के रजिसटर को अद्यतन कर लिया गया है। इसके अलावा, सम्पतियों की सम्पतियों का भौतिक परीक्षण किया जा रहा है तथा भौतिक जांच का मिलान बही रिकार्ड से मिलसप भौतिक परीक्षण पूरा होने के पश्चात् कर लिया जाएगा।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर निगमित कार्यालय तथा उत्तरी क्षेत्र की अचल सम्पतियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया है। **तथापि भौतिक रूप से सत्यापित की गई अचल सम्पतियों का कुल मूल्य हमें उपलब्ध नहीं करवाया गया है। भौतिक रूप से सत्यापित अचल सम्पतियों की पुस्तिका शेष से समाधान की प्रक्रिया की जा रही है। पश्चिम क्षेत्र के मामले में अचल सम्पतियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रगति पर है और अभी पूरी नहीं हुई है। तदनुसार, पश्चिम क्षेत्र में अनुरक्षित किए जा रहे रिकार्ड के संबंध में पाई गई अनियमितताओं, यदि कोई हों, के संबंध में विवरण दिया जाना संभव नहीं है। इसके अलावा, भारत से बाहर स्थित विक्रेताओं के पास रखे तथा मरम्मत के लिए भेजे गए ₹2136.18 लाख मूल्य के रोटेब्ल्स के संबंध में न तो कम्पनी के पास कोई भौतिक जांच**

निगमित कार्यालय में अचल परिसम्पतियों का 100% भौतिक सत्यापन किया गया था, बहियों तथा भौतिक सत्यापन का मिलान कार्य शीघ्र ही पूरा होने की आशा है।

वित्तीय पुस्तिकाओं के अनुसार अचल परिसम्पतियों का रजिस्टर पूरी तरह से अद्यतन है। इसके अलावा, परिसम्पतियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही है तथा सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् भौतिक सत्यापन एवं बही रिकॉर्ड समाधान कार्य किए जाएंगें।

मरम्मत के लिए सभी मदें उन विक्रेताओं को भेजी गई थी जो इन मदों के वास्तविक मूल निर्माता (ओईएम) भी हैं। ये मदें विशेष प्रकार की हैं तथा मरम्मत/ ओवरहॉल के लिए इनका प्रयोग काल (टर्न एरांउड

रिपोर्ट उपलब्ध है कि कम्पनी का भंडार उनके पास रखा हुआ है।

टाईम-टीएटी) काफी अधिक होता है क्योंकि इनमें से अधिकांश मदों का उत्पादन बन्द हो चुका होता है। पार्टियों को उनके पास मरम्मत के रखी मदों की पुष्टि करने के लिए मेल भेजी गई हैं। इसके अलावा, मरम्मत के लिए विदेश भेजे गए तथा भारत से बाहर रखे हुए ₹5187.95 लाख मूल्य के रोटेब्ल्स में से ₹5060.81 लाख (₹4978.80 लाख पश्चिम क्षेत्र तथा ₹82.01 लाख उत्तरी क्षेत्र) के संबंध में पुष्टि प्राप्त हो चुकी है तथा शेष पुष्टियों की ऑडिटरों द्वारा जांच की जा चुकी है एवं ₹127.14 लाख मूल्य (₹127.14 लाख पश्चिम क्षेत्र) की पुष्टि प्रतीक्षित है जिसमें से ₹101.75 लाख मूल्य के रोटेब्ल्स मरम्मत/ओवरहॉल के पश्चात् 30.09.2015 तक वापस प्राप्त हो गए थे शेष ₹25.39 लाख मूल्य की मदों के लिए मरम्मत/वापस प्राप्ति हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(2) (क) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में कम्पनी द्वारा नीतिगत रूप से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में केवल 10.66% मालसूची का ही भौतिक सत्यापन किया गया है तदनुसार वैस्टलैंड हैलीकॉप्टरों के भंडार एवं पुर्जों की मालसूची के अलावा प्रबंधन द्वारा शेष बची मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका है। हमारे विचारानुसार भौतिक सत्यापन की निरंतरता औचित्यपरक नहीं है तथा तीन वर्ष के कालक्रम में मालसूचियों का 100% भौतिक सत्यापन कर लिया जाना चाहिए। पश्चिम क्षेत्र के मामले में भंडार एवं पुर्जों की उच्च मूल्य की मदें मुख्य भंडार में रखी गई हैं तथा वर्ष की समाप्ति पर प्रबंधन द्वारा इनका भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। मुख्य भंडार में रखी गई अन्य मदों के मामले में पश्चिम क्षेत्र द्वारा इनका भौतिक सत्यापन तीन वर्ष में एक बार किए जाने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है तथा तदनुसार इस मालसूची के एक भाग का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में कर लिया गया है। डिटेचमेंट के भंडार एवं पुर्जों के मामलों का वैस्टलैंड हैलीकॉप्टरों के भंडार एवं पुर्जों के संबंध में कृपया हमारे नोट संख्या 28(IV) की और भी ध्यान आकर्षित करे जिसमें मंत्रालय द्वारा वैस्टलैंड परिसम्पतियों के शेष की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार किए जाने के संबंध में दिए गए निदेश का उल्लेख किया गया है तथा मूल्यांकनकर्ता द्वारा इनका मूल्य ₹25.73 लाख आंका गया है। तथापि, मंत्रालय द्वारा पुनः अपने दिनांक 07.11.2014 के पत्र के माध्यम से इन परिसम्पतियों के मूल्य का आंकडा किसी अन्य मूल्यंकनकर्ता से करवाने के लिए निदेश दिए गए हैं। दूसरे मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति कर ली गई है तथा उसके द्वारा शीघ्र ही मूल्यांकन किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय को भिजवा दी जाएगी। इसके अलावा, इस निपटान से संभावित हानियों के लिए बहियों में विवेकसम्मत रूप से 100% उपलब्ध है।

पश्चिम क्षेत्र के मामले में मालसूचियों का मैनुअल स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव सभी डिटेचमटों पर किया जा रहा है। बेस प्रबंधको को इसके अलावा ये निदेश जारी किए गए हैं कि वे निरंतरता के आधार पर मालसूची रजिस्टर को अद्यतन रखें।

निवरण क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा वर्ष के अंत में किया जाता है तथा डिटेचमेंट के भंडार एवं पुर्जों के अंत शेष को संबंधित डिटेचमेंट द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर रिकार्ड के आधार पर रिकोर्ड में लिया जाता है तथा ऐसा होने से इसके लिए सीमित नियंत्रण की व्यवस्था की गई है।

(ख) हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा मालसूचियों के उचित रिकॉर्ड का अनुरक्षण कर रही है तथा भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में लाई गई अनियमितताओं, जो महत्वपूर्ण नहीं पाई गई हैं, के संबंध में लेखा पुस्तिकाओं में उचित व्यवस्था की गई है। तथापि पश्चिमी क्षेत्र में, डिटेचमेंट के संबंध में उचित रिकॉर्ड का अनुरक्षण नहीं किया गया है जिससे अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं होता है। मालसूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में लाई गई अनियमितताओं को काफी लम्बे समय से पुस्तिकाओं में समायोजित नहीं किया गया है। यह प्रेक्षण पिछले वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी किया गया परन्तु प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार पिछले वर्षों से अनेक मदें ऐसी हैं जिनके संबंध में भौतिक सत्यापन किए जाने के बावजूद भी समाधान नहीं किया जा सका है। इसे ध्यान में रखते हुए पश्चिम क्षेत्र में प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए प्रयोग में लाई जा रही प्रक्रिया को कम्पनी के आकार एवं कार्य प्रकृति के अनुरूप सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है।

पश्चिम क्षेत्र के मामले में मालसूचियों का मैनुअल स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव सभी डिटेचमेंटों पर किया जा रहा है। इसके अलावा, बहियों एवं भौतिक सत्यापन का आवधिक मिलान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से बेस प्रबंधकों को ये निदेश जारी किए गए हैं कि वे निरंतरता के आधार पर मालसूची रजिस्टर को अद्यतन रखें। डिटेचमेंटों सहित समग्र पश्चिम क्षेत्र के संबंध में किए जाने वाले समाधान के आधार पर पाई गई कमियों के लिए नियमित रूप से वार्षिक लेखा पुस्तिकाओं में प्रावधान किए जाते हैं।

(3) कम्पनी द्वारा कम्पनियों, फर्मों अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 189 के अंतर्गत अनुरक्षित में समाहित अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, रक्षित अथवा अनारक्षित, प्रदान नहीं किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं

(i) हमारे मतानुसार तथा हमें उपलब्ध करवाई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची एवं चल सम्पति की खरीद तथा सामान एवं सेवाओं की

	बिक्री के संबंध में कम्पनी के व्यवसाय एवं आकार के सम्मेय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है। इसके अलावा, कम्पनी की लेखा पुस्तिकाओं एवं रिकॉर्ड के संबंध में की गई तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे सम्मुख ऑडिट किए जाने के दौरान आंतरिक नियंत्रण के संबंध में कोई प्रमुख खामी हमारे ध्यान में नहीं आई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(4)	कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 73 तथा 76 तथा कम्पनियों द्वारा स्वीकार्य जमा नियमावली, 2013 के अर्थों के दायरे में जनता से किसी प्रकार की जमाराशि प्राप्त नहीं की गई हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(5)	कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण किए जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम कम्पनी के संबंध में लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(6)	(क) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकॉर्ड की जांच के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अधिभार, मूल्य संवर्धित कर तथा लागू अन्य देयताओं के संबंध में सामान्यत: वर्ष के दौरान संबंधित प्राधिकरणों को नियमित रूप से भुगतान किया गया है तथा पश्चिम क्षेत्र में अब तक चुकता न की गई ₹13.81 लाख की स्टाम्प ड्यूटी के अलावा छ: माह से अधिक अवधि की कोई भी बकाया अथवा देयताएं भुगतान के लिए शेष नहीं है।	पश्चिम क्षेत्र के मामले में कम्पनी द्वारा वर्ष 1998 में अपने कर्मचारियों के लिए 6 आवासीय फ्लैट एमएचएडीए, मुम्बई से खरीदे गए थे तथा इनका कब्जा आबंटन पत्र के आधार पर लिया गया था अत: कम्पनी द्वारा अस्थाई आधार पर स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण करवाया गया है जिसके लिए अंतिम भुगतान सोसायटी के नाम उचित कन्वेंस डीड तैयार होने पर किया जाएगा। कुछ सोयायटियों द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में एमएचएडीए के खिलाफ मूल्य में भिन्नता का दावा किया है। अत: ऐसी स्थिति में स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
	(ख) सामान्यत: कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के अतिरिक्त भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सम्पति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, अधिभार, मूल्य संवर्धित कर तथा अन्य वस्तुगत देयताओं जैसी अन्य लागू सभी अविवादित देयताओं को संबंधित	नोट संख्या 28(II)(3) में इन राशियों को आकस्मिक देयताओं के रूप में लिया गया है।

प्राधिकरण में नियमित रूप में जमा करवाया गया है:-

मांग की प्रकृति	वित्तीय वर्ष	राशि (₹ लाख में)	किस स्तर पर मामला विवादित है।
केन्द्रीय बिक्री कर, ब्याज एवं जुर्माना	2006-07	818.96	व्यापार एवं कर आयुक्त, दिल्ली
केन्द्रीय बिक्री कर, ब्याज एवं जुर्माना	2007-08	784.71	व्यापार एवं कर आयुक्त, दिल्ली
केन्द्रीय बिक्री कर, ब्याज एवं जुर्माना	2008-09	853.63	व्यापार एवं कर आयुक्त, दिल्ली
केन्द्रीय बिक्री कर, ब्याज एवं जुर्माना	2009-10	735.41	व्यापार एवं कर आयुक्त, दिल्ली
	योग	3192.71	

(ग) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करते हुए निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा में स्थानांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित राशियां संबंधित निधि में समय पर स्थानांतरित कर दी गई हैं। — कोई टिप्पणी नहीं

(7) 31 मार्च, 2015 की यथास्थिति के अनुसार कम्पनी को कोई संचित हानि नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष की इस तारीख को समाप्त वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कम्पनी को कोई नकदी हानि नहीं हुई है। — हमारे विचारानुसार, इससे वित्तीय विवरणियों पर किसी प्रकार का वस्तुगत प्रभाव नहीं होगा।

(8) वर्ष के दौरान कम्पनी के पास किसी वित्तीय संस्थान तथा बैंकों के बकाया लाभांश नहीं हैं तथा तदनुसार देयताओं के पुनर्भुगतान के संबंध में कोई चूक नहीं की गई है। — कोई टिप्पणी नहीं

(9) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार किन्हीं अन्यों द्वारा बैकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के प्रति कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी गई है। — कोई टिप्पणी नहीं

(10) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए आवधिक ऋणों का कम्पनी द्वारा उपयोग उन्हीं उद्देश्यों से किया गया है जिन उद्देश्यों से ये प्राप्त किए गए थे।	कोई टिप्पणी नहीं
(11) ऑडिट की प्रक्रिया के दौरान तथा में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी की गई किसी प्रकार की धोखेबाजी की सूचना प्रकाश में नही आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।	

कृते खन्ना एवं आनन्दनम

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण संख्या 001297एन)

(बी. जे. सिंह)

साझीदार

सदस्यता संख्या 7884

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 7 अक्तूबर, 2015

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश

क्र. सं.	निदेश	लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1.	यदि कंपनी विनिवेश के लिए चुनी जाती हैं तो विनिवेश की प्रणाली और वर्तमान स्थिति सहित आस्तियों के मूल्यांकन (अमूर्त आस्तियों और भूमि से सम्मिलित करते हुए) और देयताओं (प्रतिबद्ध एवं सामान्य आरक्षितियों सहित) के संबंध में एक पूर्ण स्थिति रिपोर्ट का परीक्षण किया जाए।	हमें सूचित किया गया है कि कंपनी नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विनिवेश के लिए सूचीबद्ध की गई है। यद्यपि उक्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।
2.	कृपया रिपोर्ट करें कि क्या ऋण/उधार/ब्याज आदि से छूट/बट्टे खाते डालने के कोई मामले हैं यदि कोई हों तो उसका कारण और निहित राशि।	कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ऋण/उधार/ब्याज आदि से छूट/बट्टे खाते का कोई मामला नहीं है। यद्यपि कंपनी ने रु. 625.24 लाख को संदेहास्पद वसूली माना है और उसके लिए अत्यावश्यक प्रावधान किए हैं।
3.	क्या तृतीय पक्षों के पास पड़ी इंवेंट्री और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त आस्तियों का उचित रिकॉर्ड रखा जाता है।	कंपनी ने तृतीय पक्षों के पास पड़ी इंवेंट्री का उचित रिकॉर्ड रखा है। यद्यपि संदर्भ के लिए शेष की पुष्टि हेतु विदेशी वेंडरों को प्रेषण उपलब्ध नहीं हैं।
4.	लंबित रहने के कारणों सहित लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों की वर्षवार विश्लेषण रिपोर्ट और सभी कानूनी मामलों (विदेशी और स्थानीय) पर व्यय के लिए निगरानी तंत्र की मौजूदगी/प्रभावशीलता पर एक रिपोर्ट दी जाए।	आवश्यक विवरण संलग्न अनुबंध ख-1 में दिए गए हैं। कानूनी/मध्यस्थता मामलों की भारी संख्या को देखते हुए दिनांक 31.03.2015 तक व्यय किए गए कानूनी व्ययों के आधार पर मामले समूहित किए गए हैं। कंपनी ने लंबित रहने के निम्नलिखित कारण दिए हैं : * कानूनी मुकदमेबाजी की प्रक्रिया के विस्तृत और बहुत समय लेने वाला होने के कारण * पार्टियों द्वारा प्रतिदावे * सबूत/समायोजन काफी समय लेते हैं। हमारे विचार से हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और व्याख्या के अनुसार सामान्य तौर पर निगरानी प्रणाली प्रभावी पायी गई।

खन्ना एवं आनंधनम के लिए
सनदी लेखाकार
फार्म पंजीकरण सं. 001297 एन
बी. जे. सिंह
पार्टनर
सदस्यता सं. 7884
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 अक्तूबर, 2015

अनुबंध ख-1

पवन हंस लिमिटेड
31-3-2015 को समाप्त अवधि के लिए ऑडिट

विधिक मामलों की वर्षवार सूची

(₹ लाख में)

वर्ष	मामलों की सं.	समाहित राशि	विधिक व्यय
1990	1	50.00	2.00
1999	1	कोई राशि विनिर्दिष्ट नहीं	2.00
2002	1	11.60	0.30
2004	1	कोई राशि विनिर्दिष्ट नहीं	2.00
2005	2	38.47	3.20
2006	1	350.00	1.00
2007	1	42.29	0.10
2008	6	53.00	2.00
2009	5	420.00	11.70
2010	2	20.00	0.60
2011	1	7.00	0.40
2012	5	1719.00	20.10
2013	3	10.00	0.35
2014	10	433.00	12.50
2015	3	328.00	0.70
योग	43	3,482.36	58.95

कृते खन्न एवं आन्नधनम

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण संख्या 001297 एन)

(बी.जे. सिंह)

साझीदार

सदस्यता संख्या 7884

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 7 अक्टूबर, 2015

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के संबंध में पवन हंस लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसरण में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक इन वित्तीय रिपोर्टों के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत विनिर्धारित मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 07 अक्तूबर, 2015 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके ऐसा किए जाने का उल्लेख किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के संबंध में पवन हंस लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य संबंध दस्तावेजों तक पहुँच बनाए बिना किया गया है तथा प्रमुखत: यह वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चुनिंदा लेखांकन रिकॉर्डों की जाँच तक सीमित है। मेरे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा उल्लेखनीय नहीं आया है जिसके संबंध में कोई टिप्पणी की जा सके अथवा वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अनुपूरक किया जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक की ओर से

तथा कृते

तनुजा एस मित्तल

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के

प्रधान निदेशक तथा पदेन सदस्य

लेखा परीक्षण मंडल-1, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 4 दिसंबर, 2015

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ग'

सेवा में,

सदस्य

पवन हंस लिमिटेड

समदिनांकित साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

(1) रिकार्ड के अनुरक्षण की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन सचिवीय रिकॉर्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

(2) हमने रिकॉर्डों की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त लेखा परीक्षा व्यवहारों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। जाँच आधार पर सत्यापन किए गए ताकि रिकॉर्डों में प्रदर्शित तथ्यों की सत्यता सुनिश्चित हो सके। हम विश्वास करते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अनुपालन किया है हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

(3) हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

(4) जहाँ कहीं अपेक्षित था हमने विधियों के अनुपालन, नियम और विनियमों और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।

(5) कारपोरेट और अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारे परीक्षण जाँच आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थे।

(6) साचिविक लेखा परीक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए कोई आश्वासन है ना ही अक्षमता या प्रभावशीलता पर जिसके बिना पर प्रबंधन ने कंपनी का कार्य व्यवहार संचालित किया है।

कृते एसजीएस एसोसिएट्स

कम्पनी सचिव

(डी.पी. गुप्ता)

एम.एन.एफसीएस 2411

सी.पी.सं. 1509

दिनांक: 09.11.2015

स्थान:- नई दिल्ली

फार्म सं. एमआर-3
साचिविक ऑडिट रिपोर्ट

(कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 214(1) तथा कम्पनी (कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के अनुसार)

सेवा में

सदस्य,

पवन हंस लिमिटेड,

सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली।

मैंने संगत सांविधिक प्रावधानों एवं मान्य निगमित क्रियाकलापों का अनुसरण किए जाने के प्रति पवन हंस लिमिटेड (एतद्वारा "कम्पनी" के रूप में उल्लिखित) के साचिविक ऑडिट का संचलन किया है। साचिविक ऑडिट की प्रक्रिया का संचालन निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन का औचित्यपरक आधार प्राप्त करने तथा उनके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के विचार से किया गया था।

हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकॉर्ड तथा साचिविक ऑडिट किए जाने के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के संबंध में की गई जांच के आधार पर मैं, एतद्वारा यह सूचित करता हूँ कि मेरे विचारानुसार 31 मार्च, 2015 ("ऑडिट अवधि") को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाहित किया गया है तथा कम्पनी में यहां किए गए उल्लेख के अनुसार बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुसरण की यंत्र-व्यवस्था रिपोर्टिंग की शर्त के साथ यथोचित ढंग से की गई है:

मैंने निम्नलिखित के प्रावधानों का अनुसरण किए जाने के संदर्भ में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए गन्य रिकॉर्ड का परीक्षण किया है:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(2) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम; **(ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

(3) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन निर्धारित किए गए विनियम एवं उप नियम।

(4) विदेशी मुद्रा प्रबंधन, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए बनाए गए नियम **(ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा इस अधिनियम के अध्याधीन निर्धारित नियम एवं विनियम **(कम्पनी चूंकि असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी है अतः ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

हमने नीचे उल्लिखित लागू उपवाक्यों का अनुसरण किए जाने के संबंध में भी परीक्षण किया है:-

(क) इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरिज्स ऑफ इंडिया (भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान) द्वारा जारी साचिविक मानक।

(ख) शेयर बाजारों के साथ सूचीबद्ध किए जाने के लिए कम्पनी द्वारा किए गए करार **(ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

(ग) भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम में सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के निगमित संचालन के लिए निर्धारित दिशानिर्देश।

हम यह भी सूचित करते हैं कि, कम्पनी की विद्यमान अनुसरण व्यवस्था तथा उससे संबंधित दस्तावेजों तथा परीक्षण जांच आधार पर उनके रिकॉर्ड का परीक्षण किए जाने पर यह पाया गया है कि कम्पनी द्वारा, विशिष्ट रूप से संबद्ध, निम्नलिखित विधान व्यवस्था का अनुसरण किया गया है:

(क) वायुयान अधिनियम, 1934 तथा वायुयान नियमावली, 1937

विचाराधीन अवधि के दौरान, नीचे उल्लिखित प्रेक्षणों के साथ, कम्पनी द्वारा अधिनियम, नियमों, विनियमों,

दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों के संबंध में अनुपालन किया गया है:

मैं यह भी सूचित करता हूं कि:

1. स्वतंत्र निदेशकों, जिनकी नियुक्ति की शक्तियां कम्पनी से संबंधित संस्था के अंतर्नियमों के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास हैं, के अतिरिक्त पूर्ण कालिक निदेशकों, गैर अधिशासी निदेशकों के उचित संतुलन से युक्त कम्पनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत है।
2. ऑडिट समिति तथा नामांकन एवं प्रतिफल समिति का गठन अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं किया गया है।
3. कम्पनी में जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित नहीं है। कम्पनी को जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने तथा उसका कार्यान्वयन करने का परामर्श दिया गया है।
4. कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा 2013 एवं उसके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित फार्मों एवं विवरणियों को विधिवत रूप से दाखिल किया गया है।
5. कैलेंडर वर्ष 2014 के दौरान वार्षिक आम सभा का आयोजन न करके कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के उपबंधो का उल्लंघन किया गया है। इस अवधि के लिए अपेक्षित वार्षिक आम बैठक का आयोजन 29 मार्च, 2015 को किया गया जिसके कारण दो वार्षिक आम बैठकों के आयोजन के मध्य 15 माह की अवधि का अंतर स्थापित हुआ है।
6. कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 173(3) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक मंडल की बैठक के आयोजन की उनकी कार्यसूची के साथ सूचना कम से कम 7 दिन अग्रिम भिजवाई जानी अपेक्षित की गई है। कम्पनी को इस संबंध में अनुपालन का परामर्श दिया गया है।
7. कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 129 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर वित्तीय विवरणियों को अंगीकार नहीं किया गया है।

8. कम्पनी में निगमित सामाजिक दायित्वों के लिए समिति का गठन उचित ढंग से नहीं किया गया है। कम्पनी को निगमित सामाजिक दायित्वों के लिए समिति का गठन किए जाने तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्वों के लिए नीति तैयार करने का परामर्श दिया गया है।

विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में किए गए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करते हुए किए गए हैं।

कार्यवृत्तों में किए गए रिकॉर्ड के अनुसार निदेशक मंडल अथवा की समितियों की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय, जैसे भी मामलें हों, एकमत रूप से लिए गए हैं।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लागू विधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशोंका संचलन एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

कृते एसजीएस एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

(डी.पी. गुप्ता)
एम.एन.एफसीएस 2411
सी.पी.सं. 1509

तिथि:
स्थल:- नई दिल्ली

नोट: यह रिपोट "अनुबंध-क" पर संलग्न हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पठनीय है जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध - 'घ'

फॉम सं.एओसी - 2

कंपनी (लेखा) अधिनियम, 2014 के नियम और अधिनियम 8(2) के अनुच्छेद 134 के उप खंड (3) की धारा (च) के अनुसार

ससंदर्भ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उप खंड (1) के तीसरे परंतुक के अंतर्गत निकटवर्ती आधार पर के कुछ लेनदेन को सम्मिलित करते हुए संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए अनुबंध/व्यवस्था के विवरण का प्रकटीकरण प्रपत्र

(i) निकटवर्ती आधार पर अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण

क्रं. सं.	(क) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति		(ख) अनुबंध / व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	(ग) व्यवस्था/ लेनदेन की अवधि	(घ) अनुबंध की मुख्य शर्तें		(ङ) निदेशक मंडल से अनुमो. दिन की तिथि (याँ) यदि कोई हों	(च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि यदि कोई हो।	(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि यदि कोई हो।	(ज) अनुच्छेद 188 के पहले परन्तु के अंतर्गत अपेक्षित सामान्य बैठक में पारित विशेषसंकल्प की तिथि
	नाम	रिश्ता			मुख्य शर्तें	लेनदेन मूल्य (₹ में दस लाख)				
शून्य										

(ii) निकटवर्ती आधार पर अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण

क्र. सं.	(क) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति		(ख) अनुबंध / व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	(ग) व्यवस्था/ लेनदेन की अवधि	(घ) अनुबंध की मुख्य शर्तें या		(ङ) निदेशक मंडल से अनुमोदन की तिथि (याँ) यदि कोई हों	(च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि यदि कोई है।
	नाम	रिश्ता			मुख्य शर्तें	लेनदेन मूल्य (₹ में दस लाख)		
1.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए	आईसीबीके माध्यम से अनुबंध	1873.23	147 वीं निदेशक मंडल बैठक दिनांक 24.12.2014	
2.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	ओएनजीसी के हैलीकॉप्टर के अनुरक्षण सेवाएं कराना	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए		शून्य		
3.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	हैलीकॉप्टर उपलब्ध कराने में देरी पर एलडी की कटौती	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए	वास्तविक	82.04		
4.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	इक्विटी पर लाभांश का भुगतान	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए	वास्तविक	37.80	29 वीं वा सा वै दिनांक 19.03.2015	
5.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	ऋण पर ब्याज का भुगतान	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए	वास्तविक	64.51		

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ङ

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना/गतिविधि

क्र. सं.	नैसाउ परियोजना/ गतिविधि का वर्ष	गैससं/ अभिकरण का नाम	संस्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	भुगतान की तिथि	सोधे या कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से व्यय राशि रु.
1.	जनवरी 2012-दिसंबर 2012	नॉर्थ इस्ट डेवेलमेंट कंसोर्टियम	13,20,000	3,30,000	20.06.2014	नॉर्थ इस्ट डेवेलमेंट कंसोर्दियम के माध्यम से
	नैसाउ परियोजना 2014-15	नॉर्थ इस्ट डेवेलमेंट कंसोर्टियम	5,50,000	5,50,000	11,08,2015	
2.	जनवरी 2012-दिसंबर 2012	र्यजाह इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी	5,30,000	5,30,000	20.06.2014	र्यजाह इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी के माध्यम से
3.	2012-13	मार्टिन लूथर क्रिस्वियन यूनिवर्सिटी	18,75,000	13,69,800	05.06.2014	मार्टिन लूथर क्रिस्वियन यूनिवर्सिटी के माध्यम से
4.	मई 2012 में प्रस्ताव प्रारंभ	बुचो मोटर्स के माध्यम से आरके मिशन हॉस्पिटल	10,00,000	8,48,349	26.08.2014	एम्बुलेंस के लिए बचो मोटर्स के पास राशि जमा
	मई 2012 में प्रस्ताव प्रारंभ	बुचो मोटर्स के माध्यम से आरके मिशन हॉस्पिटल		23,594	14.09.2015	
5.	नैसाउ परियोजना 2014-15	इनर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इनर्जी ऑडिटर टीए/डीए	13,19,000	13,19,170 50,814	31.03.2015 18.08.2015	पवन हंस द्वारा इनर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को राशि जमा
6.		स्वच्छ विद्यालय -भाविप्रा द्वारा शौचालयों का निर्माण	1,00,00,000	50,00,000	29.05.2015	पवन हंस द्वारा भाविप्रा को चेक जमा

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध - 'च'

फोम सं एम जी टी - 9

वार्षिक विवरणी का सार

यथास्थिति दिनांक **30.03.2015** को समाप्त वित्तीय वर्ष

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) और

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

(I) पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

(i) सीआईएन : यू622200 डीएल 1985 जीओआई 022233

(ii) पंजीकरण तिथि : 15.10.1985

(iii) कंपनी का नाम : पवन हंस लिमिटेड

(iv) कंपनी की कोटि/उप कोटि : यात्रियों की हवाई परिवहन सेवाएं

(v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण:

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110 003

दूरभाष : 011-24620889 फैक्स : 011-24610764

ई-मेल : co.secy@pawanhans.co.in

(vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है: जी नहीं

(vii) पंजीकृत और हस्तांतरण अभिकरण यदि कोई हो का नाम, पता और संपर्क विवरण : कोई नहीं

(II) कंपनी की प्रधान कारोबारी गतिविधि

क्रम. सं.	नाम और मुख्य उत्पादों/सेवाओं का विवरण	उत्पाद/सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	यात्रियों की घरेलू अनियत हवाई परिवहन सेवाएं	99462420	100%

(III) नियंत्रक, सहायक और सहयोगी कंपनियों के ब्यौरे: कोई नहीं

(IV) शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर केपिटल ब्रेकप)

(i) कोटिवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की कोटि	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	

क. प्रवर्तक (1) भारतीय (क) व्यक्तिगत/हिअप (ख) केन्द्र सरकार (ग) राज्य सरकार (घ) निकाय निगम (ङ) बैंक/वि सं (च) कोई अन्य	 – – – 120350	 125266 – –	 125266 – 120350	 51% 49%		 125266 120350	 125266 120350	 51% 49%	 शून्य शून्य
प्रवर्तकों की कुल शेयर धारिता (क) =(क)(1)+(क)(2)		245616	245616	100%		245616	245616	100%	
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता				शून्य					शून्य
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्र्योंउयन द्वारा धारित शेयर			शून्य					शून्य	
कुल योग (क+ख+ग)		245616	245616	100%	–	245616	245616	100%	

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्रंम. सं.	शेयर धारकों का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी रखे/भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी रखे/भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधरिता में % परिवर्तन
1.	भारत के राष्ट्रपति	125266	51%	शून्य	125266	51%	–	–
2.	ओएनजीसीलि.	120350	49%	–	120350	49%	–	–
	कुल	245616	100%	–	245616	100%	–	–

(iii) प्रवर्तको की शेयरधारता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें यदि कोई परिवर्तन न हों): शून्य

(iv) सर्वोच्च दश शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड) : शून्य

(v) निदशकों और मुख्य प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता

क्र. सं.		**वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता**		**वर्ष के दौरान और वर्ष की समाप्ति पर संयची शेयरधारिता**	
	प्रत्येक निदेशकों और मु.प्र.का. के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के प्रारेभ में				
	निदेशक: (क) श्री जी असोक कुमार (ख) श्री अनिल श्रीवास्तव (ग) श्रीमती मणि सथियावथी	 1 1 1	 – – –	 1 1 1	 – – –

(V) ऋण ग्रस्तता

कंपनी का ऋण ग्रस्तता जिसमें बकाया ब्याज/अर्जित ब्याज सम्मिलित हैं परंतु भुगतान के लिए देय नहीं हैं

	जमा को छोड सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
(क) मूल राशि	271.63	130.91	–	402.54
(ख) देय ब्याज परन्तु भुगतान नहीं	शून्य	339.32	–	339.32
(ग) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	शून्य	शून्य	–	–
योग (क+ख+ग)	271.63	470.23	–	741.86
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
– जोड़	–	–	–	–
– घटाएं	194.70	–	–	194.70
शुद्ध परिवर्तन	194.70	–	–	547.16
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता				
(क) मूल राशि	76.93	130.91	–	207.84
(ख) देय ब्याज परंतु भुगतान	–	339.32	–	339.32
(ग) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	–	–	–	–
योग (क+ख+ग)	76.93	470.23	–	547.16

(VI) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक

क्रं. सं.	परिश्रमिक का विवरण	प्र.नि./पूकानि/ प्रबंधक का नाम			कुल राशि
		डॉ. बी. पी. शर्मा (अप्रनि)			
1.	कुल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) अनुलाभों का मूल्य आयकर अधिनियम 1961 के खंड 17(2) के अंतर्गत (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	188303			
2.	स्टॉक का विकल्प	–	–	–	
3.	उद्यम इक्विटी	–	–	–	
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, स्पष्ट करें	–	–	–	
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	–	–	–	
	योग (क)	–	–	–	
	अधिनियम के आधार पर अधिकतम सीमा	188303	–	–	188303
		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

(ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक: शून्य

(ग) प्रनि/प्रबंधक/पू.कानि को छोड अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुकाअ	श्री संजीव अग्रवाल, कंपनी सचिव	श्री डी सहाय मु.वि.अ	योग
1.	कुल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ		2482034	2174469	4656503
2.	स्टॉक का विकल्प	–	–	–	–
3.	उद्यम इक्विटी	–	–	–	–
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य स्पष्ट करें	–	–	–	–
5.	अन्य कृपया स्पष्ट करें	–	–	–	–
	योग	–	2500160	2224319	4724479

(VII) दंड/सजा/लगाए गए समझौता शुल्क का विवरण

प्रकार	कंपनी अधिनियम का खंड	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/लगाए गए समझौता शुल्क का विवरण	प्रातिकारी (आर डी/एनसीएलटी कोर्ट)	अपील, यदि कोई भी की गई हो (विवरण दें)
(क) कंपनी					
दंड	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
समझौता	–	–	–	–	–
(ख) निदेशक					
दंड	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
समझौता	–	–	–	–	–
(ग) व्यतिक्रम में अन्य अधिकारी					
दंड	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
समझौता	–	–	–	–	–

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 102 के अनुसरण में अपेक्षित विवरणी

मद संख्या 3 (i) – श्री टी.के. सेनगुप्ता को दिनांक 1.2.2014 को आगामी आदेशों तक के लिए निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 152 के अनुसरण में श्री सेनगुप्ता की नियुक्ति का काल 30वीं वार्षिक आम सभा में समाप्त होने जा रहा है। श्री सेनगुप्ता तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ एन जी सी) में निदेशक (अपतट) के पद पर कार्यरत हैं तथा विविध क्षेत्रों में उनका अनुभव अत्यंत समृद्ध है तथा वे आवर्तन क्रम में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं तथा उन्होंने पुन: नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। तदनुसार, श्री सेनगुप्ता की पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की सहमति मांगी गई। शेयरधारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित नोट की मद संख्या 3(i) में दिए गए साधारण संकल्प की निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की गई है। इसे स्वीकार किया जाए तथा श्री सेनगुप्ता के अतिरिक्त कोई भी निदेशक, प्रमुख कार्मिक तथा उनके संबंधी इस संकल्प के प्रति हितबद्ध अथवा सम्बद्ध नहीं है।

मद संख्या 3 (ii) – नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 27.2.2015 के आदेश संख्या ए-160015/160/2010-डीजी के माध्यम से डॉ. बी. पी. शर्मा की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति आगामी आदेशों तक के लिए की गई थी। डॉ. शर्मा की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर हुई तथा उनकी नियुक्ति का कार्यकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत 30वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन तक के लिए था। डॉ. शर्मा को विविध क्षेत्रों में अच्छा अनुभव प्राप्त है। डॉ. शर्मा को कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौपें जाने में कम्पनी को डॉ. शर्मा की उम्मीदवारी के प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। तदनुसार शेयर धारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित नोट की मद संख्या 3(i) में दिए गए साधारण संकल्प की निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की गई है। इसे स्वीकार किया जाए तथा डॉ. शर्मा के अतिरिक्त कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी इस संकल्प के प्रति हितबद्ध अथवा सम्बद्ध नहीं है।

मद संख्या 3 (iii) – नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 2.12.96 के आदेश संख्या एवी- 13015/28/92 (एसीवीएल)/वीई)खंड।।) के अंतर्गत दिनांक 30.4.2015 को श्रीमती गार्गी कौल की निदेशक के पद पर नियुक्ति यह आदेश देते हुए की गई थी कि संयुक्त सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता, नागर विमानन मंत्रालय पवन हंस के निदेशक मंडल के सदस्य होगें। श्रीमती कौल की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर हुई तथा उनकी नियुक्ति का कार्यकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत 30वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन तक के लिए था। श्रीमती गार्गी कौल 1984 बैच की आईए एवं एएस अधिकारी हैं तथा विविध क्षेत्रों में उनका अनुभव काफी अच्छा है। तदनुसार, श्रीमती कौल की पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की सहमति मांगी गई। शेयरधारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित नोट की मद संख्या 3(i) में दिए गए साधारण संकल्प की निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की गई है। उनके पास भारत के राष्ट्रपति के नामांकित के रूप में पवन हंस का एक इक्विटी शेयर है। इसे स्वीकार किया जाए तथा श्रीमती कौल के अतिरिक्त कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी इस संकल्प के प्रति हितबद्ध अथवा सम्बद्ध नहीं है।

मद संख्या 3 (iv) – नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 2.12.96 के आदेश संख्या एवी-13015/28/92 (एसीवीएल)/वीई(खंड।।) के अंतर्गत दिनांक 13.8.2015 को श्रीमती उषा पाधी की निदेशक के पद पर नियुक्ति यह आदेश देते हुए की गई थी कि संयुक्त, नागर विमानन मंत्रालय पवन हंस के निदेशक मंडल के सदस्य होगें। श्रीमती पाधी की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर हुई तथा उनकी नियुक्ति का कार्यकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत 30वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन तक के लिए था। श्रीमती उषा पाधी 1996 बैच की आईएएस अधिकारी

हैं तथा विविध क्षेत्रों में उनका अनुभव काफी अच्छा है। तदनुसार कम्पनी में निदेशक के पद पर नियुक्ति के पद पर नियुक्ति किए जाने के लिए श्रीमती पाधी की उम्मीदवारी के लिए कम्पनी को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, श्रीमती पाधी की पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की सहमति मांगी गई। शेयरधारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित नोट की मद संख्या 3(i) में दिए गए साधारण संकल्प की निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की गई है। उनके पास भारत के राष्ट्रपति के नामांकित के रूप में पवन हंस का एक इक्विटी शेयर है। इसे स्वीकार किया जाए तथा श्रीमती पाधी के अतिरिक्त कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी इस संकल्प के प्रति हितबद्ध अथवा सम्बद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल द्वारा उपर्युक्त संकल्पों के संबंध में शेयरधारकों के अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

****